राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १० वां दिवस [संख्या ८

शुक्रवार, दिनांक ५ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक ११.४ म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन-स्वास्थ्य, खनिज, सिंचाई, स्वायत्त शासन, गृह एवं कृषि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

'डाई सैट' की खरीद

१७६. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि वाटर वर्क्स, सिटी डिविजन, जयपुर ने जी० टी० डी० पाइप डाई सैट के ६ सैट्स वर्ष १९६३ में खरीदे हैं? यदि हां, तो किस दर से, कहां से और इस खरीद का टेण्डर नोटिस किस तारीख में दिया गया था?

(२) क्या उक्त खरीद के लिये किन्हीं फर्मो के टेन्डर्स आये थे? यदि हां, तो किस किस फर्म के कितने कितने रुपये के? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इन जी० टी० डी० पाइप डाई सैट्स के असली सैट होने की तस्दीक अथवा जांच कहीं से कराई गई है? यदि हां, तो किसने की है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, यह सैट ११००.०० प्रति सैट की दर से मैसर्स इन्सुलाइट प्रोडक्ट्स से खरीदे गए। इसका टेन्डर नोटिस ता० २२-५-६२ को अधिशासी अभियन्ता, उदयपुर ने जारी किया था।

(२) जी हां, फर्मो के नाम जिनके टेन्डर आये थे व उनकी दरें निम्न प्रकार हैं:

(अ) मैसर्स इन्सुलाइट प्रोडक्ट्स कोर्पो. जयपुर ११००.०० प्रति सैट।

(ब) मैसर्स महेन्द्रा ट्यूब एण्ड हार्डवेयर मार्ट, बम्बई १३३०.०० प्रति सैट।

Page No 2

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(स) मैसर्स टिनिट ट्रेडर्स, देहली १५२५.०० प्रति सैट।

(द) मैसर्स ज्ञानचन्द राजेन्द्र कुमार, जयपुर १२८०.०० प्रति सैट।

(क) अजन्ता ट्रेडिंग कारपो० जयपुर ११५५.०० प्रति सैट

(ख) मैसर्स मॉडर्न टूल्स एण्ड इलेक्ट्रिक कं० देहली १३६५.०० प्रति सैट

(३) जी हां, विभागीय अधिकारियों द्वारा।

श्री रामकिशन : नम्बर ३ में जो आपने कहा है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की है, तो क्या इस रिपोर्ट में कोई डिफेक्ट्स बताये हैं ? जिस तरह के टेन्डर में सेम्पल दिये थे वे हैं या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

प्रश्न संख्या १७७

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७८

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज।

मूर्तियों को खंडित करने की जांच

१८०. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आहोर (जिला जालौर) के जैन मंदिर में दिनांक ११ मई, १९६३ की रात्रि के समय कुछ गुण्डों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित करके चक्षु वगैरह चुरा लिये ?

(२) क्या उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस में दिनांक १३-मई, १९६३ को दी गई थी जिस पर एस० एच० ओ० ने मौका देखा और मोतबिरान के बयानात लिये ?

(३) क्या यह सही है कि करीब १० माह तक आगे कोई कार्यवाही न होने पर स्थानीय लोगों ने आगे लिखा-पढ़ी की तो पता चला कि उक्त वाके की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज ही नहीं है और सारे कागजात एस० एच० ओ० ने गायब कर दिये हैं ? और इसी हेतु एस० एच० ओ० का तबादला भी कर दिया गया ?

(४) क्या राज्य सरकार ने उक्त एस० एच० ओ० के विरुद्ध इस हद दर्जे की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ ?

(५) क्या सरकार उक्त सारे काण्ड की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कराने का विचार रखती है ?

Page No 3

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, घटना की रिपोर्ट दिनांक १३-५-६३ को एस० एच० ओ० को दी गई थी और उन्होंने मौका देखा और जबानी पूछताछ की।

(३) यह सही है कि एस० एच० ओ० ने उपरोक्त रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की। यह भी सही है कि १६-३-६४ को आई० जी० पी० के पास शिकायत पहुंची और दिनांक १६-३-६४ को केस रजिस्टर हुआ। सम्बन्धित एस० एच० ओ० ने दिनांक १३-५-६३ को जबानी पूछताछ की थी, इसलिये कागजात गायब कर दिये गये, यह उत्पन्न ही नहीं होता। एस० एच० ओ० का स्थानान्तरण आदेश अगस्त, १९६३ में दिया गया और वे जालौर जिले को १३-६-६३ को गये, इसलिए यह सही नहीं है कि एस० एच० ओ० का स्थानान्तरण इसी हेतु किया गया।

(४) जी हां, विभागीय जांच अभी जारी है।

(५) चोरी के मामले की जांच डी० आई० जी० (क्राइम) के आदेशानुसार सी० आई० गुप्तचर ने की है, मौका देखा है और बयानात लिये हैं; मुलजिमों का पता अभी नहीं चला है, जांच जारी है।

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब १३-५-६३ को पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई थी तो इतने दिनों तक एस० एच० ओ० ने दर्ज नहीं किया इसके मुताल्लिक एस० एच० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस० एच० ओ० के खिलाफ डी० ई० आरम्भ की गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : नं० ४ में पूछा है कि जांच कब से चल रही है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच दो तरह की हैं। एक तो इस मामले की और एक एस० एच० ओ० की। तो दोनों जांचों के लिए बताऊं या एक जांच के लिए?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दोनों ही बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों ही डी० आई० जी० के पास दरख्वास्तें प्रस्तुत कीं १६-३-६४ को और केस रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टीगेशन आरम्भ हो गई, जांच जारी है। ज्यों ही मालूम हुआ कि एस० एच० ओ० ने इस संबंध में शिथिलता व्यवहारिक तौर से बताई है और १६-३-६४ को मालूम हुआ त्यों ही उसका ट्रान्सफर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर कर दिया गया और उसके विरुद्ध डी० ई० आरम्भ हुई।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : डी० ई० का क्या नतीजा रहा?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आरम्भ हुई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक साल तो हो गया आखिर, कितना समय लगेगा जांच में?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष : चार्जशीट दे दी गई या प्रिलिमिनेरी जांच जारी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार्जशीट सर्व की है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : जबानी पूछा तो ऐसा क्यों ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस० एच० ओ० ने दर्ख्वास्त आने पर जबानी पूछताछ की, ऐसा हमें मालूम हुआ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : दर्ख्वास्त आती है तो उसको दर्ज करना चाहिए, जबानी पूछताछ से क्या मतलब ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी तो उसी से परेशान हुआ हूं। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

नहर निर्माण में आई भूमि
का मुआवजा

१८१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील सांगोद के समस्त काश्तकारों की नहर निर्माण हेतु अवाप्त (एक्वायर) की गई भूमि तथा फसलों को हुई क्षति के दावों के मुआवजे का भुगतान चम्बल सिंचाई अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ली के श्री भंवरिया पुत्र देवीलाल धाकर को धनिया की फसल का तथा ग्राम गुडला के श्री किशोर पुत्र भागचन्द मीणा, नाथूलाल पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा, अमरा पुत्र धन्ना, कन्हैयालाल पुत्र श्रीरामचन्द्र मीणा, जगनदास वैरागी, अमरलाल पुत्र मन्नालाल मीणा, रामगोपाल पुत्र भागचन्द मीणा व रामपाल पुत्र भंवरलाल मीणा को दाहिनी मुख्य नहर (राइट मेन कैनाल) के तट तथा सड़क निर्माण हेतु खोदी गई भूमि की क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया है तथा इन व्यक्तियों से अभी तक राजस्व की वसूली की जा रही है जब कि अब ये अपने खेतों में काश्त नहीं कर रहे हैं ?

(३) इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप में कितनी कितनी भूमि नहर निर्माण हेतु अवाप्त की गई है तथा उनके मुआवजे के दावों पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं, केवल कुछ काश्तकारों का मुआवजा देना अभी शेष है।

(२) जी नहीं, केवल श्री कन्हैयालाल व श्री रामपाल को मुआवजा नहीं मिला है, बाकी सबको दे दिया गया है।

(३) सूची संलग्न है। जो एकाध काश्तकार को मुआवजा देना है उसकी कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल योजना कोटा से जारी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 5

श्री जुझारसिंह : आपने कहा कुछ काश्तकारों को देना बाकी है तो ऐसे कितने काश्तकार हैं और कितने साल का मुआवजा और कितना बाकी है ?

श्री दौलतराम सारण : तहसील सांगोद में दाहिनी मुख्य नहर के निर्माण में आई हुई भूमि और नष्ट हुई फसलों का मुआवजा मोडिया वल्द धोबिया को छोड़कर समस्त काश्तकारों को चुका दिया गया है । श्री मोडिया की मिसल भूमि अवाप्ति अधिकारी,कोटा के विचाराधीन है । छोटी नहरों में आई हुई भूमि व नष्ट हुई फसलों में से १२ बीघा ४ बिस्वा जमीन का मुआवजा देना बाकी है ।

श्री जुझारसिंह : मैं कई गांवों के बारे में बात कर रहा हूं । तहसील सांगोद में कई गांव हैं । दूसरे नम्बर में मैंने पूछा है वह जनरल क्वेश्चन है । मैंने इन सारे गांवों के बारे में पूछा है । इन सारे गांवों म क्या एक ही आदमी रह गया है ? तहसील सांगोद के राइट बैंक केनाल में मुआवजों देने वालों में ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जिस सम्बन्ध में आपने प्रश्न पूछा है उसी की सूचना मैं देने में समर्थ हो सका हूं । जिनका नहीं पूछा उनके सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री जुझारसिंह : मैंने राइट बैंक केनाल में जो भूमि ली गई है तहसील सांगोद में उसके काश्तकारों के बारे में पूछा है । मेरा पहला प्रश्न किसी गांव विशेष के बारे में नहीं है । वह प्रश्न सभी काश्तकारों के बारे में है जिनका मुआवजा नहीं मिला है ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि तहसील सांगोद में दाहिनी मुख्य नहर के निर्माण में आई हुई भूमि और नष्ट हुई फसलों का मुआवजा मोडिया वल्द धोबिया को छोड़कर समस्त काश्कारों को चुका दिया है । श्री मोडिया की मिसल भूमि आवप्त अधिकारी, कोटा में विचाराधीन है । छोटी नहरों में आई हुई भूमि एवं फसलों के मुआवजे में से १२ बीघा ४ बिस्वा का मुआवजा देना बाकी है जो कि आॅर्डर आने पर चुका दिया जायगा ।

श्री जुझारसिंह : मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तहसील सांगोद में जो राजगढ़ और दूसरे गांवों में कई ऐसे काश्तकार हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है । क्या आप जानकारी फिर से फर्मायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं उसकी जानकारी कर लूंगा । जो मेरी सूचना है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (संचोर) : मोडिया क्या है ? उसका नाम क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : जो नाम सरकारी कागजात में दर्ज है वही मैंने कहा है ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : जो प्रश्न पूछा जाता है उसके सप्लीमेन्ट्रीक आन्सर के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए । मैंने पूछा है कि कितने प्रार्थनापत्र बाकी हैं, वे नहीं बता सकते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न पूछा है उसका ही मैं उत्तर निवेदन कर रहा हूं ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : यह मुग्रावजा किस रेट पर दिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है, इसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने चुकाया है और आपको मालूम नहीं है, यह अफसोस की बात है।

श्री दौलतराम सारण : सब बातों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान : एवजाना पुराना मिला है और सरकार ने मनचाही रेट से मुग्रावजा दिया है।

श्री दौलतराम सारण : कानून के अनुसार एवार्ड दिया जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

नगरपालिका निवाई के भूतपूर्व चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

१८२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका निवाई के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री हनुमानदास टोडरवाल के खिलाफ १६–२–६१ को ११ बजे दिन के अविश्वास प्रस्ताव पर मत लिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि निश्चित समय पर जब श्री वैद्य रामेश्वरप्रसादजी, सदस्य नगरपालिका निवाई मत देने गये तो उनको ११ बज कर ५ मिनिट पर एक तार दिया गया जिसके द्वारा राज्य सरकार ने उनको सदस्यता से मौग्रत्तिल किया था, जिससे उनका मत देने का अधिकार छिन गया ?

(३) क्या यह सही है कि मोग्रत्तिल करने से पूर्व उनको चार्टशीट नहीं दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि बाद में १७–६–६१ को उनको एक झूठी चार्जशीट दी गई ?

(५) क्या वह भी सही है कि बाद में २२–६–६१ को सरकार ने श्री रामेश्वर प्रसादजी पर लगाये गये चार्जों को तथ्यहीन कह कर उनको बरी कर दिया ?

(६) क्या यह सही है कि यह सारा काण्ड सिर्फ चेयरमैन, जो कि पार्टी विशेष के सदस्य हैं, के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास न होने देने के लिए रचा गया था ?

(७) क्या यह भी सही है कि उक्त चेयरमैन के खिलाफ फिर १३ जुलाई को दुबारा अविश्वास प्रस्ताव पर मत लिए गये ?

(८) क्या यह भी सही है कि सरकार ने फिर दो सदस्यों, श्री जमालुद्दीन व श्री गूजरमल को ११ जुलाई, १९६२ को गैर कानूनी तौर पर मोग्रत्तिल कर दिया ?

(९) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों सदस्यों पर लगाये गये चार्जों की सुनवाई १५ जुलाई को स्वायत्त शासन मंत्री के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

समक्ष टोंक में रखी थी, जिसकी इत्तला दोनों सदस्यों को दी गई थी ?

(१०) क्या यह भी सही है कि जब २७–११–६१ से केस चल कर १५ जुलाई, ६२ को पेशी पड़ी हुई थी तो फिर बीच में ही बिना सदस्यों को इत्तला दिये ही सदस्यों को मोअत्तिल करना सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति नहीं है ?

(११) क्या यह सही है कि प्रजातन्त्र की परवाह न करके सरकार जनता के अविश्वास प्राप्त चेयरमैन को सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के जरिये किसी भी सूरत में नहीं हटाने के लिए दृढ़ संकल्प है ?

(१२) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त बोर्ड का कार्य करने की अवधि ६ माह की और बढ़ा दी ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी हां।

(२) तार दिनांक १४–२–६१ को दिया गया था व उसी तिथि से मोअत्तिल किया गया था।

(३) जी हां।

(४) यह सही नहीं है। चार्टशीट आरोपों के आधार पर दिनांक १५–६–६१ को दी गई थी।

(५) दिनांक १७–६–६१ को बरी कर दिया गया था।

(६) यह सही नहीं है।

(७) सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कौरम पूरा न होने से अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सभा नहीं हुई।

(८) ११ जुलाई, १९६२ को कानूनी तौर पर मोअत्तिल किया गया था।

(९) यह सही है।

(१०) यह सही नहीं है।

(११) यह सही नहीं है। नये चुनाव हो गये हैं, अब श्री हनुमानप्रसाद टोंडरवाल पालिका के चेयरमैन नहीं हैं।

(१२) जी हां। अवधि चुनाव न होने से बढ़ाई गई थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने यह नं० १ के प्रश्न में 'हां' किया है और दूसरे प्रश्न में 'ना' किया है और इन्होंने कहा कि दो दिन पहले तार मिला है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि तार ११ बज कर ५ मिनट पर जब वे वोट देने के लिए ऊपर बोर्ड के दफ्तर में गये तब उन्हें मिला।

श्री दौलतराम सारण : तार तो यहां से, जैसा कि मैंने बताया पहले दिया था और मिला उनको उस समय होगा। मैंने तो जो तार दिया वह देने का समय निवेदन किया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने मिलने का समय मांगा है।

श्री दौलतराम सारण : मैं ना नहीं करता। हो सकता है, लेकिन मैं देने का समय निवेदन कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तार दिया जाय इसकी आज्ञा कब दी और वह तार कब यहां से दिया गया उसके सम्बन्ध में समय बताया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : तार दिनांक १४-२-६१ को दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : टाइम मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह माना जाय कि तार १४-२-६१ को तारघर से दे दिया गया ? आपने हुक्म १४-२-६१ को दिया या तार दे दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यहां से तार १४-२-६१ को दिया गया, ऐसी मेरी सूचना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं स्पेसिफ़िकली कह रहा हूं कि आदेश १४-२-६१ को दिये गये हैं और तार का जो ट्रान्समिशन किया गया है वह १४-२-६१ को नहीं किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के मुताबिक जो इस समय मेरे पास है तार १४-२-६१ को दिया गया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह कह रहा हूं कि तार ११ बजकर ५ मिनिट पर जब उन्होंने वोट देने के लिए प्रवेश किया तो उनको मिला।

श्री दौलतराम सारण : तार ११ बजकर ५ मिनिट पर मिला होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो माननीय उपमंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि १४ का तार दिया हुआ १६ को मिल सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है, सरकार ने जो चार्जशीट दी है उसकी जांच करने वाले ने कहा है कि चार्जशीट कानून के अनुसार नहीं दी गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : उनको चार्जशीट दी गई। उसके बाद मिनिस्टर महोदय ने उनको एक्विट कर दिया; जो कि मेरे प्रिडिसेसर थे उन्होंने किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो चार्जशीट दी जाती है और जिस आधार पर मेम्बर को मोअत्तिल किया जाता है उस चार्जशीट की जांच की जाती है और उसके लिए सस्पेन्शन, रिमूवल या क्या एक्शन लिया जाय, इसके सम्बन्ध में निर्णय के लिए जुडीशियल कोर्ट को केस दिया जाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह होता है कि मिनिस्टर साहब को यह मालूम हो जाय कि चार्जेज इतने स्ट्रोन्ग नहीं हैं या सब्स्टेन्शियेट नहीं हो सकते हैं तो मिनिस्टर उनको

(श्री बरकतुल्ला खां)

बहाल कर देता है। उनका एक्स्प्लेनेशन आने के बाद वह सोचता है कि मेम्बर पर जो चार्जेज लगाये हैं वे जुडीशियल एन्क्वायरी में जाने चाहिए तो उन केसेज़ को वह जुडीशियल एन्क्वायरी में देता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सच है कि उनको मोअत्तिल करने से पहले चार्जशीट नहीं दी गई और बाद में झूठी चार्जशीट दी गई और आपने कोई जानकारी नहीं की और उसको बहाल कर दिया ? यह कैसे आपको सपना आ गया, उनके ऊपर चार्ज लगाने का कैसे सपना आया और बहाल करने का सपना कैसे आ गया ? उनके कोई बयान नहीं लिए।

श्री बरकतुल्लाखां : ऐसा है कि जब किसी के खिलाफ शिकायत आती है, मेम्बर के खिलाफ, तो उसके ऊपर पहले यह देखा जाता है कि प्राइमा फंसी केस है कि नहीं और प्राइमाफेसी केस के अन्दर अगर यह मालूम होता है कि वाकई प्राइमा फंसी केस बनता है या सीरियस चार्जेज़ इतने हैं तो उसको सस्पेण्ड कर सकते हैं उस एक्ट के मुताबिक जो कि विधान सभा ने बनाया था और बनाने के बाद जो फर्दर इन्फोर्मेशन उनके पास आती है उसके ऊपर उसके बाद वे एन्क्वायरी करा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, डी० एल० बी० और कलेक्टर से पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल करने के बाद उसको एक्विट खुद ही कर सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या एन्क्वायरी की गई ? न टेलिफोन किया और न बयान लिये उस सदस्य के, मेम्बर के ?

श्री बरकतुल्ला खां : रामेश्वरप्रसादजी को सस्पेण्ड किया तो डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ की रिपोर्ट थी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जिन सदस्यों के खिलाफ शिकायत हुई है वह कौन सी तारीख को प्राप्त हुई है ?

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें प्रश्न यह है कि जिस सदस्य को आपने मोअत्तिल किया है उनके खिलाफ कब शिकायत आई है और कब से पेंडिंग था और अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना जो सदस्यों को दी है कलेक्टर ने वह कब दी थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो मेम्बर साहब थे उनको वापिस रिइन्स्टेट किया है। उनका एक्स्प्लेनेशन आने के बाद उनको रिइन्स्टेट किया है।

श्री रामकिशन : आप दूसरे प्रश्न पर आ गये। मैं यह पूछ रहा हूं कि उनके खिलाफ शिकायत कब से थी और क्या शिकायत थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अविश्वास की सूचना मेम्बर्स या सदस्यों को कलेक्टर ने मीटिंग रखवाने के लिए कब दी थी ?

श्री दौलतराम सारण : दिनांक २७.१.६१ को शिकायत प्राप्त होने पर ३०.१.६१ को जांच की और १४.२.६२ को सस्पेन्ड किया गया।

श्री रामकिशन : अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कब मिली थी ?

Page No 10

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकिशन : इसका मतलब साफ यह निकलता है कि अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिये ऐसा किया है, नहीं तो पहले नोटिस देते और फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करते । यदि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं होती तो मुअत्तिल नहीं किया जाता ।

श्री अध्यक्ष : यह आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री रामकिशन : सरकार की तरफ से जो तथ्य दिये हैं उसका नतीजा यही निकलता है । सरकार की नीयत साफ यही जाहिर होती है कि अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिये यह सब किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अविश्वास का प्रस्ताव आने पर उनको मुअत्तिल किया ।

श्री बरकतुल्लाखां : डाइरेक्टर के पास इसकी पहले कोई इन्फोर्मेशन नहीं थी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अविश्वास का प्रस्ताव दो दफा रखा गया और सदस्यों को दो दफा मुअत्तिल किया । दूसरी टाइम पर दो सदस्यों को फिर मुअत्तिल किया, इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है ।

श्री अध्यक्ष : वापिस बरी किया गया ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां, १५ दिन बाद बरी किया गया ।

श्री बरकतुल्लाखां : इसमें ऐसा हुआ था कि एक सदस्य महोदय ने एक स्लिप लिखी थी जिसको पढ़ा गया, एक आदमी के खिलाफ एडल्टरेशन का मुकदमा चल रहा था, उसके बारे में इन्सपेक्टर को उन सदस्य महोदय ने स्लिप लिखी थी जिसको वहां पढ़ा गया । उसमें लिखा था कि यह मेरा खास आदमी है, इसका ख्याल रखना ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह किसने कहा था ?

श्री बरकतुल्लाखां : मि. जमालुद्दीन और श्री गूजरमल दो सदस्यों को मुअत्तिल किया गया । इसका कारण यह था कि एक एडलटरेशन के केस में उनकी स्लिप प्रोड्यूस की गई और यह बताया गया कि यह उन्होंने इन्सपेक्टर को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि यह मेरा खास आदमी है इसका ख्याल रखना । तब यह मालूम हुआ कि यदि एक म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर एडल्टरेशन के मामले में सिफारिश करता है तो उसको सस्पेन्ड करना चाहिये ताकि केस की कार्यवाही पूरी हो; इसलिये उसको सस्पेन्ड किया गया और फूड एडल्टरेशन का केस प्रूव हो गया ।

दूसरा केस मोहम्मद जमालुद्दीन का था । उसके खिलाफ शिकायत यह की गई थी कि एक फर्म में उसका शेयर है और सड़क व जमीन घेरे हुए है जिस पर वह पत्थर, लकड़ी आदि रखता है और म्युनिसिपैलिटी को किराया नहीं देता है । जब इसका पता चला

Page No 11

(श्री बरकतुल्ला खां)

तो यह समझा गया कि एक म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर ही आदेशों की इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा। जब एस. डी. ओ. को उसने लिखा कि फर्म से और प्रोपर्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था; जब यह प्रूव हो गया तो हमने समझा कि जब एक तरीके से यह सिद्ध हो गया कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था तो हमने समझा कि अपोजिशन का मेम्बर है वह समझेगा कि मेरे खिलाफ यों ही कार्यवाही की गई है इसलिये उसको बहाल कर दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब स्वायत्त शासन मंत्रीजी के यहां दोनों मामलों की सुनवाई १५ जुलाई को होने वाली थी जैसा कि (६) नंबर के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है तो उनको ११ जुलाई को सस्पेन्ड क्यों किया गया, जब कि चार दिन बाद ही केस की सुनवाई करने की इत्तला दी गई थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : १५ जुलाई को मैंने टोंक में सुनवाई करने का रखा था, लेकिन मैं उस तारीख को वहां नहीं जा सकता था और उसके बाद उनके खिलाफ यह चार्ज लगाया गया कि एडल्टरेशन के मामले में उन्होंने सिफारिश की चिट्ठी लिखी है जो प्रोड्यूस हुई और दूसरे मेम्बर के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी के आदेशों की अवहेलना करने की शिकायत थी तो इस कारण दोनों को सस्पेन्ड किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह प्रतीत होता है मुझे तोकि इसमें जनतंत्र की हत्या की गई है सरकार के द्वारा। एक दफा अविश्वास का प्रस्ताव आता है, उसके पहले ही एक आदमी को तुरन्त से मुअत्तिल किया जाता है। दूसरी दफा जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है उससे पहले फौरन दो आदमियों को मुअत्तिल किया जाता है। फिर सरकार की तरफ से बनावटी बहाना दिया जाता है कि मुअत्तली करने के ये कारण हैं। मुअत्तली के पश्चात् मुअत्तली के संबंध में जो व्यवस्था थी वह भी मौकूफ कर दी। मेरे खयाल से यह असंतोष-जनक है। इस तरह के उदाहरणों से बार बार मुझे कटु अनुभव हो चुका है। यदि सरकार को जनतंत्र की स्वस्थ परंपरा कायम रखनी है तो इस तरह के हथकंडे काम में नहीं लाने चाहिये। मुझे जो उत्तर मिला है, सरकार को सुना गया है वह असंतोषजनक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आगे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार भविष्य के लिये इस तरह की पद्धति कायम करेगी कि नव–निर्वाचित सदस्यों को मुअत्तिल करने से पहले उनको हियरिंग का मौका दिया जायगा कि आपके खिलाफ यह शिकायत है, आपको क्या कहना है ? उनके एक्सप्लेनेशन के बाद सस्पेन्ड किया जाय ताकि नव निर्वाचित सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के समय एक दिन में या एक मिनिट पहले सस्पेन्ड करने की कार्यवाही न हो। यदि कानून में ऐसा है तो क्या सरकार लॉ डिपार्टमेन्ट से इस बारे में राय लेगी। मैं विधि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में किसी भी नव निर्वाचित सदस्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को जब तक एक चान्स प्रिलिमिनरी हियरिंग का नहीं देते तब तक सस्पेन्ड नहीं किया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : चार्ज शीट भी नहीं दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार्जशीट नहीं, हियरिंग नहीं और ऐन टाइम पर सस्पेन्ड कर देते हैं!

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक जनरल सवाल है, चार्जशीट दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे आते हैं जिसमें रेकॉर्ड टेम्पर विथ करते हैं, कुछ में म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ एक्शन करते हैं, कुछ में गवर्नमेंट के आॅर्डर की अवहेलना करते हैं जो म्युनिसिपैलिटी के इन्ट्रेस्ट में दिये जाते हैं। ऐसी हालत में यह करना पोसिबल नहीं है। आप देख लीजिये, ऐसे मुश्किल से हाफ ए डजन केसेज होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे केसेज वे ही हैं जो अविश्वास के प्रस्ताव के लिये किये गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी कहा गया कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज की अवधि ६ महीनों की बढ़ाई गई और बहुत सी बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई; हालांकि यहां यह अप्रासंगिक है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी की अवधि बढ़ाने और समाप्त करने का प्रश्न भी नोटिस से संबंधित है। मुझे यह लगता है कि सरकार ही पार्टी और सरकार ही जज हो, यह व्यवस्था भी असंतोषजनक है। सरकार को निष्पक्ष और उदारता का व्यवहार करना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बहुत से केसेज में चार्जशीट दिये बिना ही सस्पेन्ड किया जाता है। होना यह चाहिये कि पहले चार्जशीट दें और फिर सस्पेन्ड करें।

सवाई माधोपुर जिले में डकैतियों की संख्या

१८३. वैद्य श्री गोबिन्दसहाय (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष १९५० से १९६४ तक कुल कितनी डकैतियां हुई हैं? प्रत्येक वर्ष की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस जिले में डकैतियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती रही है? यदि हां, तो इसके मुख्य २ कारण क्या हैं?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) सन् १९५० से १९६४ तक कुल ८७ डकैतियां हुईं। वर्षवार सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। सन् १९५० में कुल १२ डकैतियां हुईं और सन् १९६४ में केवल ७; जिससे स्पष्ट है कि डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : सन् ५० के पहले के आंकड़े बता दिये जांय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे ध्यान में नहीं हैं। आपने सन् ५० से पूछा इसलिये मैंने ५० से बताया।

श्री गोविन्दसहाय : ५० से निरंतर डकैतियों में वृद्धि हुई, उसका कारण क्या है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारण आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक असमानता, सामाजिक व्यवस्था आदि कई कारण हैं।

श्री अध्यक्ष : असामाजिक तत्व।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अयोग्य मंत्री।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अयोग्य मंत्री, अयोग्य वकील।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : योग्य वकील, अयोग्य मंत्री और आपकी छत्रछाया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्रिमिनल कैसेज में एडवाइस देने वाले वकील।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा था कि ५० में १२ डकैतियां हुई और सन् ६४ में ७; लेकिन आपने यह नहीं बताया कि सन् ५० में पुलिस की क्या संख्या थी और ६४ में क्या संख्या थी? अनुपात इस तरह से नहीं लगाया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जन-संख्या के आधार पर पुलिस की संख्या भी बढ़ती है; यद्यपि हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : और मंत्रिमण्डल की भी!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह तो गतिशीलता है।

प्रश्न संख्या १८४

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अब मैं नहीं रखना चाहती?

श्री रामकिशन : (वैर) क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

राजस्थान नहर के प्रवाह क्षेत्र की भूमि

१८५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर के प्रवाह क्षेत्र में कुल कितनी भूमि आती है? उसमें से कितनी कितनी कमांड एरिया में होगी तथा कितनी भूमि अन-कमान्ड रहेगी?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के प्रवाह क्षेत्र का काफी पानी सरप्लस रहेगा जिसको लिफ्ट करके जिला बीकानेर तथा नागौर तक सूखी भूमि को हरा-भरा बनाने एवं पैदावार बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

Page No 14

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान नहर के प्रवाह क्षेत्र में कुल ५० लाख एकड़ भूमि आती है। उसमें से ३६.८६ लाख एकड़ भूमि कमांड एरिया में ऐसी है जिसमें खेती की जा सकती है, बाकी १३–१४ लाख एकड़ भूमि खेती के योग्य नहीं है।

(२) जी नहीं, राजस्थान नहर का कोई पानी सरप्लस नहीं रहेगा। बीकानेर जिले की २.५० लाख एकड़ भूमि जो कि नहर के उपरोक्त ३६.८६ लाख भूमि कृषि योग्य कमांड एरिया में शामिल है, के लिये एक लिफ्ट चैनल योजना तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। योजना के तैयार होने पर ही बीकानेर जिले की उक्त भूमि की सिंचाई, के बारे में निश्चित मत स्थिर किया जा सकेगा। नागौर जिले में राजस्थान नहर के पानी से सिंचाई करने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री भीमसेन : बीकानेर के लिए योजना बनी है उसमें पानी आप कहां से देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : उसमें राजस्थान नहर से देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपका पम्पिंग स्टेशन किस जगह पर होगा ?

श्री दौलतराम सारण : (अश्रव्य)

श्री भीमसेन : कितने लागत की स्कीम तैयार की है ?

श्री दौलतराम सारण : सर्वे हो रही है। सर्वे के अनुसार लागत करीब सवा छः करोड़ होगी।

श्री रामकिशन (वैर) : भरतपुर बाढ़ का पानी नागौर में नहीं दिया जा सकता है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिफ्ट सिस्टम से जितनी भूमि सिंचित होगी उसका कमाण्ड एरिया कितना होगा ?

श्री दौलतराम सारण : ढाई लाख, मैंने निवेदन किया।

होम गार्ड्स की ट्रेनिंग

१८६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बूंदी जिले में होम गार्ड और दलपति की ट्रेनिंग दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो कौन कौन से गांव में होम गार्ड के कितने कितने वॉलन्टियर्स को ट्रेनिंग कब दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि होम गार्ड की ट्रेनिंग के नियमों के अनुसार ट्रेनिंग के कार्य-काल में कोई एलाउन्स व अन्य कुछ सुविधायें देने का प्रावधान है ?

(४) यदि हां, तो क्या बूंदी जिले के होम गार्ड्स का एलाउन्स दे दिया गया ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

Page No 15

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) सूचना इस प्रकार है :

होम-गार्ड्स	प्रशिक्षण की अवधि	केन्द्र
५६	१-६-६३ से ३०-६-६३	पुलिस लाइन बूंदी
३०	१६-७-६३ से १५-८-६३	पुलिस लाइन बूंदी
२४	नवम्बर से दिसम्बर ६३	लाखेरी
३३	१० जून से ६ जुलाई ६४	तालेरा
२२	३-८-६४ से २-६-६४	तालेरा
५८	सितम्बर व अक्टूबर ६४	हिंडौली

(३) जी हां।

(४) जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह होम गार्ड्स आपने टेम्प्रेरी बनाये हैं या पर्मानेन्ट ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर्मानेन्ट फीचर हम उसको करना चाहते हैं। ये इमर्जेन्सी के टाइम में बनाये; इसलिए टेम्प्रेरी अभी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : होम गार्ड्स किस उद्देश्य से बनाये हैं–ये टेम्प्रेरी बनाये हैं या पर्मानेन्ट ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उद्देश्य तो बहुत साफ है। इमर्जेंसी को मीट करने के लिए, गांव में सजगता का वातावरण पैदा करने के लिए–हर आदमी अपने गांव की रक्षा स्वयं कर सके–उस आधार पर बनाये हैं। अब यह पर्मानेन्ट फीचर कहां तक बन पाता है, यह हम अभी नहीं कह सकते।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह ट्रेनिंग दी गई है, क्या यह सही है कि पन्द्रह दिन की ट्रेनिंग दी है और उसके बाद वे उस तमाम ट्रेनिंग को भूल गये हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह क्षमता पर आधारित होता है। बहुत से गांव वाले बड़े क्षमताशील होते हैं, वे ट्रेनिंग को भूलते नहीं। हमको विश्वास है कि जो ट्रेनिंग लेकर गये हैं वे क्षमताशील व्यक्ति हैं, कर्तव्य-निष्ठ हैं। वैसे यह ट्रेनिंग कॉम्प्लीकेटेड नहीं है। एकेडेमिक साइड हो तो भूल जायं। आर्म्स को चलाने की प्रेक्टिस की जरूरत होती है।

एक माननीय सदस्य : ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के लिए छांटने का क्या तरीका है ? आप कहते हैं कि क्षमताशील व्यक्ति को ले लेते हैं। आप उस आदमी को ट्रेनिंग देने में खर्चा करते हैं तो उसको छांटने का क्या बेसिस है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खर्चा बिल्कुल वाजिब हुआ है। छांटने का तरीका बताया है, जो आर्म्स चलाने और मसक्कत करने के काबिल हो सकता है, ऐसा स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपकी तरह संड-मुसण्ड !

श्री निरंजननाथ आचार्य : और इधर उधर भाग–दौड़ करने के काबिल हो। पौलिटिकली माननीय सदस्य के जैसा नहीं होना चाहिए, काम करने लायक हो; यह सब देख लेते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : होम गार्ड्स पर कितना खर्च पड़ रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २ रुपये ५० पैसे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न आप सुन लें, उसके बाद उत्तर दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका प्रश्न यही है कि प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आता है । मैंने कहा कि २ रुपया ५० नये पैसे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या भरती उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एमर्जेन्सी में डाकू का अपॉइन्टमेंट हो गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस प्रकार डाकू की नोट बुक में किसी का नाम हो—ऐसा नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जैसा रामसिंह का हो गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह कहते हैं कि होम गार्ड और दलपति के लिए पन्द्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और पिछले दिनों संकटकाल में होम रक्षक दल के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी गई उससे ७० हजार वॉलन्टियर्स तैयार कर दिये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो ट्रेनिंग दी है पन्द्रह दिन की और फिर कहते हैं कि होम गार्ड चल रहे हैं और ग्राम रक्षा दल चल रहे हैं जब कि वे बिल्कुल भूल जाते हैं । इससे अच्छा तो यह होता कि उनको आप लाठी चलाना सिखा देते तो उनके पास लाठी तो है, उसको वे भूल नहीं सकते थे और उसका उपयोग भी कर सकते थे...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आपकी शाखाओं में सिखाया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राइफल की ट्रेनिंग देकर राइफल चलाना सिखाने के बाद उसका उपयोग नहीं होता है और वह भूल जाते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस बात की आवश्यकता क्यों नहीं समझी······

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो प्रश्न नहीं है, भाषण है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : होम गार्ड को रेगुलर करने की आपने व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं भी निवेदन कर दूं । इन्होंने तो कह दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप भी कर दीजिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम गार्ड्स को रिफ्रेशर्स कोर्स देते हैं । जब कभी मेले वगैरह आते हैं तो हम उनको बुलाते हैं और काम लेते हैं । इस तरह उनका रिफ्रेशर्स कोर्स हो जाता है । जहां तक होम गार्ड का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि लोग सजग हों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ताकि अपने अपने गांवों में अपनी रक्षा अपने आप कर सकें। इसलिए हम आपके कहने के माफिक शंका नहीं करते हैं बल्कि दृढ़ विश्वास रखते हैं। यह एक अच्छा प्रोग्राम है !

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : कितना खर्चा हुआ है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्षमता वालों को ट्रेनिंग देने की बात बताई जाती है, यह एक ढकोसला मालूम होता है। होम गार्ड के सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से कोई न कोई ठोस काम करना है तो रेगुलर इन्टर्वल पर ड्रिल वगैरह का प्रोग्राम होना चाहिए। एक दफा ड्रिलिंग वगैरह करा कर, ट्रेनिंग देकर उनकी क्षमता पर छोड़ देना—मेरे ख्याल में एक अच्छा सिद्धान्त है, पर वकालत और प्रश्नोत्तर करने की प्रेक्टिस आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसका क्या परिणाम होगा, यह आप जानते हैं। इसलिए अगर क्षमता पर छोड़ दिया जाय, यह सर्वोपरि और सर्वोत्तम है लेकिन फिर राम भरोसे खेती होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ढकोसले का दृष्टिकोण आपका है। हमने जिस आधार पर ट्रेनिंग दी है उसका परिणाम हम देख रहे हैं। वह अच्छा रहा है। मैं विश्वास दिलाऊं कि इसमें ढकोसले का प्रश्न पैदा नहीं होता है, यह कतई नहीं है और बिल्कुल निराधार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कहीं पर यह एफीशियेंटली फंक्शन कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ड्रिलिंग वगैरह बराबर नहीं करायेंगे तो होम गार्ड नगण्य हो जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि मेले वगैरह के मौके पर हम उनको बुलाते हैं जिससे ठीक तरह से यह होम गार्ड काम करता है। यही नहीं, हम उनको ड्रिलिंग कराते हैं, परेड कराते हैं, और सब कुछ।

श्री दुर्गालाल बाहदार (हवामहल, जयपुर) : ऐसा एक भी मौका नहीं आया है जब आपने इनको बुलाया हो। क्या आप बताने को तैयार हैं कि ऐसे कितने मौके आये हैं जब इनको आपने बुलाया है और आपने देखा है कि एफीशियेन्सी के साथ काम किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लाश को देख कर भय से भाग जाने वाले मंत्री महोदयो की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने के बारे में आप क्या सोचते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम एडवोकेट्स को लेना चाहते हैं, लेकिन वे आते नहीं हैं। मंत्रियों का हमें करना है, वह हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाग-छूटे-गार्ड की भी ट्रेनिंग हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें भी वकील नहीं आये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उप मन्त्रीजी का ड्रिलिंग हुआ या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा तो ड्रिलिंग हुआ है, लेकिन आपका नहीं हुआ क्योंकि आप शहर में आ बसे।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

गम्भीरी नदी का पानी

१८७ **श्री सांवलिया राम** (रूपवास–सु०) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास, जिला भरतपुर में जो नदी ओडले ग्राम से निकल कर ग्राम सिंघावली को जाती है उसमें गंभीर नदी का पानी अधिक तादाद में ढेहर में जाता है और माघ महीने के अन्त तक भरा रहता है और पानी खाली न होने के कारण २५०० वीघा उपजाऊ भूमि बंजर रह जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि रूपावास ढेहर में सिंघावली नहर तक करीब एक मील का फासला है और वह हर साल नदी की रेत से भर जाती है और उसे हर साल खाली कराया जाता है तथा सरकार का व्यर्थ व्यय होता है ?

(३) क्या यह सही है कि यदि इस एक मील के क्षेत्र को पक्का करा दिया जावे तथा एक मील का बांध डाल कर चारमीरा बनवा दिया जावे तो हर साल का व्यर्थ व्यय बच सकता है ?

(४) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) उचित कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(३) व (४) जी हां। यह कार्य जनवरी में ही शुरू करा दिया गया है।

श्री सांवलियाराम : कार्य शुरू कर लिया है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। यह जानकारी दे दें कि स्कीम कुल कितने रुपये की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : स्कीम १२ लाख ४० हजार रुपये की बनाई गई है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह पूरी कब तक हो जायगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी तो शुरू हुई है। पूरी होने की तो बाद की बात है।

श्री रामकिशन : यह कोई जवाब हुआ ? कोई समय तो होगा।

श्री दिनेशराय डांगी : चालू वर्ष में तीन लाख रुपया खर्च किया जायगा।

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं दिया। हर साल बाढ़ से नुकसान होता है।

श्री दिनेशराय डांगी : चालू वर्ष में तीन लाख रुपया खर्च किया जावेगा।

श्री रामकिशन : यह काम कहां से शुरू हो रहा है। यह हर साल बाढ़ से पाड़ित रहता है इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं

(श्री रामकिशन)

कि यह काम कहां से से शुरू होने जा रहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसका काम जनवरी माह से शुरू किया है। जो मंजूरी शुदा काम है उससे एडजस्ट हो जावेंगे।

श्री रामकिशन : मैं कुछ पूछ रहा हूं और आप जवाब कुछ दे रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : जहां से आप संबन्धित हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको ऐसे मंत्रीजी से प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिये जिनको कोई शर्म नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो आपके लिये शर्म की बात है कि आप इस प्रकार की बातें कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आपको शर्म आती तो भाग जाते। शर्म आती नहीं इसीलिये बैठे है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

तहसील सांचोर के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

१८८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ग्राम बीछावाड़ी, हाडेचा, काछेला एवं बगसडी तहसील सांचोर में पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है जिससे जन साधारण को इन ग्रामों में पीने के पानी की बड़ी कठिनाइयां हैं ?

(२) क्या यह सच है कि सरकार ग्राम सीलू में बोरिंग द्वारा भूमि के नीचे का पानी निकाल कर पाइप लाइन द्वारा पानी लाकर इन ग्रामों के पीने के पानी की समस्या मिटाना चाहती है ? अगर हां, तो यह योजना कब तक सम्पूर्ण की जाकर पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या सरकार बड़ गांव, जेतपुरा नदियों का पानी रोक कर व नहर लाकर इन ग्रामों में पीने का मीठा पानी लोगों को उपलब्ध कराने की योजना बनाने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से संबन्धित नहीं है। अतः संबन्धित मंत्रीजी (योजना मंत्री) को ट्रान्सफर कर दिया गया है। वे अपने टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने उनको ट्रान्सफर तो कर दिया। मगर इसके लिये कई बार व्यवस्था चैम्बर की तरफ से दी गई है कि समय पर उनके पास नहीं पहुंचते, इसलिये उत्तर नहीं मिलते हैं। इसलिये काफी अर्से पहले भेज दें।

Page No 20

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह समय पर उनको भेज दिया गया है और वे अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जेतपुर बांध

१८९. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के जैतपुर बांध की सर्वे होकर द्वितीय व तृतीय योजना में बनाने की स्वीकृति हो चुकी थी ? यदि हां, तो अब तक उसका कार्य शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री,सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): जी नहीं। सर्वे पूर्ण होने के पश्चात् योजना आयोग को स्वीकृति हेतु यह योजना भेजी गई है। स्वीकृति आने पर और धनराशि उपलब्ध हुए बिना कार्य शुरू नहीं हो सकता।

श्री गणपतिलाल वर्मा : क्या यह सही है कि ६१–६२, ६२–६३ और ६३–६४ में बजट में इस तालाब के लिये स्वीकृति थी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। ३४ लाख की एक स्कीम बनी है वह मध्यम श्रेणी में आते हैं...

श्री गणपतिलाल वर्मा : सन् ६१–६२, ६२–६३ में इसके लिये धन-राशि स्वीकृत हुई थी। मंत्री कहते हैं कि कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई।

श्री दिनेशराय डांगी : जैसी सूचना उपलब्ध है, मैंने दी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसकी स्वीकृति पहले मिल चुकी है और जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई आता है है, उसमें यह कहा जाता है कि अभी कोई स्कीम नहीं मिली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप सारे बजट को देख कर और दूसरी सारी चीजों को देख कर जबाब देते हैं या नहीं ? आप कैसे कहते हैं कि इसकी स्वीकृति नहीं मिली। आप हमारे लिये जिम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट को हम नहीं जानते। बजट आपके सामने नहीं है क्या ? आपका जबाब आता है कि अभी तक स्कीम नहीं बनी।

श्री दिनेशराय डांगी : यह मैंने नहीं कहा की स्कीम नहीं बनी। स्कीम बन चुकी है। ३४ लाख की स्कीम है।

श्री गणपतिलाल वर्मा : इसकी पहले स्वीकृति हो चुकी या नहीं, इसका जबाब दीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे अभी सूचना मिली है कि बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपके पास हो तो बता दें।

श्री गणपतिलाल वर्मा : आप ६०-६१ का बजट देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से जांच करें।

(विराम)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १९०

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६१

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया ।

चौमू डिस्पेन्सरी का स्टाफ

१६२. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चौमू डिस्पेन्सरी में कितना स्टाफ स्वीकृत है और अभी वास्तव में कितना स्टाफ कार्य कर रहा है ?

(२) यदि स्टाफ कम है तो उसकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उप-मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) चौमू डिस्पेन्सरी के लिये निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराज-पत्रित स्टाफ स्वीकृत है एवं मौजूद हैं :—

डाक्टर	१
कम्पाउन्डर ग्रेड द्वितीय	१
कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय	१
मिडवाइफ	१
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	४

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : मिडवाइफ कितनी पापुलेशन पर रखी जाती है, यह पॉलिसी बता दीजिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपने क्या फरमाया ? सुना नहीं ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : एक मिड-वाइफ की व्यवस्था के लिये कितनी पोपुलेशन की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह पॉलिसी का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : यह बजट का प्रश्न है ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : वहां की जनता की आवश्यकता को देखते हुए यह स्टाफ बहुत कम है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछना चाहते हैं ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : क्या उतना स्टाफ है जितना बजट के अनुसार होना चाहिये या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितना सेंक्शन्ड स्टाफ है वह पूरा का पूरा वहां मौजूद है, यह मैंने बताया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

Page No 22

सांडों की खरीद व उनकी देखभाल

१६३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उदयपुर जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे सांड खरीदे गये हैं ?

(२) यदि हां, तो प्रत्येक की कीमत कितनी थी ?

(३) क्या यह सही है कि ठीक संभाल नहीं होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) प्रत्येक की कीमत निम्न प्रकार है :—

२ की कीमत ५००) रु० प्रत्येक के हिसाब से

१ की कीमत ६००) रु०

१ की कीमत ८००) रु०

(३) जी नहीं, सम्भाल खरीदने के पश्चात से विभाग द्वारा भली भांति की जा रही है, स्वास्थ्य खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : सांड कौनसी ब्रीड के थे ?

श्रीं रामप्रसाद लड्ढा : इसका प्रश्न नहीं पूछा गया।

श्री जोधसिंह चौहान: क्या वे पेडिग्री सांड थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह भीलवाड़ा ब्रीड तो नहीं है न ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : लोकल ब्रीड ही होनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ये डांगी ब्रीड के सांड हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत समिति भीम में कृषि प्रसार अधिकारी की नियुक्ति

१६४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, भीम में कृषि प्रसार अधिकारी ८ जुलाई, १९६४ से काम नहीं कर रहा है तथा पंचायत समिति बार-बार कृषि प्रसार अधिकारी भेजने को सरकार को लिख रही है ?

(२) क्या यह सही है कि कृषि प्रसार अधिकारी के न होने के कारण सारा एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ठप्प हो रहा है ? तथा न फर्टिलाइज़र बांटा जा रहा है न दूसरे आवश्यक काम हो रहे हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या शीघ्र ही उस स्थान की पूर्ति करने के प्रवन्ध का सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। ८ जुलाई, १९६४ को कृषि प्रसार अधिकारी वहां उपस्थित था। वह २७ जुलाई, १९६४ से अर्थात् १८ दिन बाद अवकाश पर गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इतने दिनों तक छुट्टी पर रहा तब तक तो सारा काम खराब हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छुट्टी पर गया उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में दूसरे की नियुक्ति कर दी गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने से क्या हुआ ? वहां का सारा एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ठप्प हो गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी छुट्टी जाने पर उसकी अनुपस्थिति में दूसरे अधिकारी को लगा दिया जो अपने कार्य के अलावा इस कार्य को भी देखता था और बाद में उसको कृषि प्रसार अधिकारी बना दिया। इससे कृषि के कार्य-क्रम में कोई विशेष हानि नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : कृषि प्रसार अधिकारी को कितने दिनों की टूर करना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मानिकचन्द सुराणा।

प्रश्न संख्या १९५

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस प्रश्न के पहले मेरा प्रश्न १७७ है उसको पूछ लेता हूं। जो मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत रजिस्टर के सम्बन्ध में है।

मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९६० के अन्तर्गत रजिस्टर

१७७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या डाइरेक्टर माइन्स व ज्योलोजी या माइनिंग इन्जीनियर या अन्य किसी अधिकारी द्वारा मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९६० के नियम २१ व ४० के अधीन रजिस्टर रखे जाते हैं ?

(२) रखे जा रहे ऐसे रजिस्टरों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि विधि द्वारा अपेक्षित चार रजिस्टर १९६२ के अन्त तक नहीं रखे गए व रखे जा रहे हैं तथा इन चार के स्थान पर केवल एक रजिस्टर ही रखा जाता था ? यदि हां, तो ऐसी अवैधता क्यों बरती जा रही है ?

(४) क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि विधि द्वारा अपेक्षित रजिस्टर पूर्वलक्षी प्रभाव (रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से तैयार कराये जायेंगे तथा रखे जायेंगे ?

(५) इन रजिस्टरों को रखने का कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा किन पर निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(६) क्या एवीडेन्स एक्ट की धारा ७६ के अन्तर्गत रजिस्टर सार्वजनिक दस्तावेज (पब्लिक डोक्यूमेंट) हैं ? यदि हां, तो शुल्क देने के उपरान्त भी इनकी प्रमाणित प्रतिलिपि क्यों नहीं दी जाती है ?

(७) क्या यह सही है कि माइनिंग इन्जीनियर, भीलवाड़ा अपने पत्र संख्या एम. एल. ४६ (५८) १०५१६, दि० ३०-६-५६ द्वारा पी. एल. व एम. एल. रजिस्टर की प्रविष्टियों (एन्टरीज़) की प्रमाणित प्रति–लिपि देने के लिये सहमत थे, किन्तु बाद में अपने पत्र संख्या पी. एल. एस. । ६५ (५४) ७६१२ दि० २८-४-५६ द्वारा उसे देने से मना कर दिया जबकि पूर्व पत्र के निर्देशा–नुसार २) रु. पहले ही जमा करवा दिये गये थे ? क्या राज्य सरकार खनिज विभाग को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देगी ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, इन अधिनियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के रजिस्टर सम्बन्धित खनिज अभियन्ता या सहायक खनिज अभि-यन्ता द्वारा रखे जाते हैं ।

(२) ऐसे रजिस्टरों की संख्या ४ है ।

(३) उक्त कथित नियम २६ नवम्बर, १९६० से लागू हुये । इन नियमों के लागू होने के पूर्व मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ प्रचलन में थे, जिनके अन्तर्गत केवल दो रजि-स्टर-एक पी. एल. व दूसरा एम. एल. के लिये थे । नये नियमों के अन्तर्गत चार रजि-स्टर दो पी. एल. व दो एम. एल. के लिये रखे जाने चाहिये थे किन्तु जब तक वे नये रजिस्टर सम्बन्धित अधिकारियों के कार्या–लयों में उपलब्ध नहीं हुये तब तक पुराने नियमों के अन्तर्गत प्रचलित रजिस्टरों से कार्य चलाया गया । ज्यों ही नये रजिस्टर उपलब्ध हो गये उनमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । नये रजिस्टरों को छपवाने में कुछ समय लगा ।

(४) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है फिर भी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

(५) रजिस्टर नियमानुसार रखवाने का कर्तव्य खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता पर है ।

(६) मई से मिनरल्स रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट १९५७ की धारा १२ उप–धारा (२) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धा-रित फीस की अदायगी पर कोई व्यक्ति ऐसे रजिस्टर को मुआयना ही कर सकता है और उसमें तस्दीक शुदा नकलें देने का प्रावधान नहीं है । अतः आम तौर पर प्रमाणित प्रति-लिपियां नहीं दी जाती हैं ।

(७) जी हां । राज्य सरकार इस वक्त की कानूनी छानबीन कर रही है कि आया प्रतिलिपि क्षेत्र भी शामिल है । इस सम्बन्ध में कानूनी राय प्राप्त होने पर उचित कार्य–वाही की जा सकेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो यह जवाब दिया है सवाल नं० २ का कि २६ नवम्बर, १९६० से ४ रजिस्टर रखने का प्रावधान हो गया, तो इन नियमों के प्रोमल्गेशन के बाद में ४ रजिस्टर रखने जरूरी है वे क्यों नहीं रखवा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि नवम्बर ६० से जब से नियम लागू हुए हैं, हिसाब से दूसरे रोज लागू हो जाने चाहिये थे, पर सारी जानकारी एडवान्स में मिलती नहीं है, रूल्स के पब्लिश होने के बाद में रजिस्टर छपवाये गये, छपवाने में समय लगा इसलिए देर हुई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कब से नये रजिस्टर रखे गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भिन्न भिन्न स्थानों के लिये भिन्न भिन्न तारीखें हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रजिस्टर छप कर कब तैयार हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्टर कब छप कर तैयार हुए इसकी तारीख तो इस समय नहीं बता सकता पर यह जानता हूं कि कि बहुत सारे माइनिग इन्जीनियरों के दफ्तरों में कब से रखे जाने लगे, जो, उसमें ३-१-६१ की पहली तारीख आती है, इसलिये कह सकता हूं कि ६१ के आस-पास रजिस्टर छप चुके थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६१ से रजिस्टर रखे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुआयने के लिये रखे जाते हैं; तो नियमों में यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो भी उन रजिस्टर्स की सर्टिफाइड कॉपी देने में क्या एतराज है ? किन किन लोगों को किन किन कन्डीशन पर कितनी कितनी एरिया की माइन्स दी हैं, इसकी सर्टिफाइड कापी देने में क्या एतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक सैंटर का एक्ट है और एक्ट में जो प्रावधान दिये गये हैं उनका पालन करने का प्रश्न है। जो प्रावधान है, उसका अर्थ कानूनी दृष्टि से या इन्टरप्रिटेशन से ऐसा हो सकता है कि नहीं कि प्रतिलिपियां देना भी इन्स्पेक्शन में शामिल है। सैंटर के एक्ट का इन्टरप्रिटेशन हम यह करते हैं कि इन्स्पेक्शन केवल इन्स्पेक्शन ही है। आप कहते हैं कि नकल मिलनी चाहिये तो इसके लिये लॉ डिपार्टमेंट से पूछा गया है, कि इसका इन्टरप्रिटेशन प्रतिलिपि देना भी हो सकता है या नहीं। जैसी लॉ डिपार्टमेंट की कानूनी राय होगी उसके अनुसार किया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये नियम राज्य सरकार के बनाये हुए हैं या भारत सरकार के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भारत सरकार के।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार को नियमों में सुधार करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्ट की सेक्शन २।१२ है इनमें हम कोई नियम नहीं बना सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक्ट में इन्स्पेक्शन का साफ तौर से लिखा है, कोई पढ़ सकता है, नोट ले सकता है तो क्या प्रतिलिपि देना मूल इन्टरप्रिटेशन के खिलाफ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी की लीगल पोज़ीशन लॉ डिपार्टमेंट से एक्ज़ामिन करवा रहे हैं।

Page No 26

श्री मानिकचन्द सुराणा : सवाल को भेजे एक साल हो गया, तीन चार बार रिपीट करने पर यह सवाल आया है, अब मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि लीगल पोजिशन एग्ज़ामिन करवा रहे हैं, जब लॉ डिपार्टमेंट से राय आयेगी तब वह राय मुझे बतायेंगे !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां से जो राय आयेगी उसके अनुसार आज्ञा प्रसारित कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह प्रश्न मैंने मेरी जानकारी के लिये नहीं दिया है, आम लोगों की जानकारी के लिये दिया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो माइन्स की लीजेज़ दी जा रही हैं किन कन्डीशन्स पर दी जा रही हैं, किन किन एरियाज़ की दी जा रही हैं। मेरी जानकारी के लिये नहीं, सबकी जानकारी के लिये दिया है कि ये सारी टर्म्स लोगों को मालूम हो जायं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी टर्म्स रजिस्टर में दर्ज नहीं होतीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चारों रजिस्टरों में कम्प्लीट डिटेल्स होती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टर्म्स ऑफ कन्डीशन्स का सारा ब्यौरा रजिस्टर्स में दिया जाता हो, ऐसा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप प्रोफोर्माज़ देख सकते हैं, उनमें सारा ब्यौरा दर्ज होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट की राय कब तक आ जायगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि We have already referred this matter to the Law Department और जल्दी ही उनकी राय इस बारे में आ जायगी, हम बहुत जल्दी इसे तय कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मुझे समझ में नहीं आता कि सर्टिफाइड कॉपीज़ देने में क्या एतराज है? नक्शों के अलावा भी काम करते हैं। यह देखा जाता है तो नकल मिल जाय तो दूसरे लोग भी रख वाली कर सकते हैं। जहां कानून इतनी बड़ी बात के लिये खामोश है वहां जनरल कानून में कॉपी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इसमें लॉ डिपार्टमेंट की राय की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने इन्कार तो नहीं किया है, कानूनी राय के बारे में एग्ज़ामिन करवा रहे हैं ताकि ऐसा कार्य नहीं हो जाय जो एक्ट की मंशा से खिलाफ पड़ता हो।

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एवीडेन्स एक्ट के सेक्शन ७६ के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट में यह रजिस्टर आते हैं तो एविडेन्स एक्ट के तहत भी इनकी कॉपी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सोप स्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की दरख्वास्त

१६५. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१) क्या श्री बी. एल. राजगड़िया ने सोप स्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की दर्ख्वास्त पेश की ? यदि हां, तो उस क्षेत्र का व्यौरा बताइये जिसके लिये दर्ख्वास्त पेश की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त दर्ख्वास्त मंजूर हो गई ?

(३) क्या यह सही है कि दर्ख्वास्त की मंजूरी के बावजूद उनको वह एरिया प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिये नहीं दिया गया बल्कि उसके बजाय दूसरा एरिया दिया गया है जिसके लिये कोई दर्ख्वास्त नहीं दी गई थी ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। श्री राजगड़िया ने गांव जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में १.३ स्क्वायर किलोमीटर के लिये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की दर्ख्वास्त पेश की थी।

(२) वास्तविक स्थिति नीचे बताई गई है।

(३) वस्तु स्थिति यह है कि दर्ख्वास्त किये हुए १.३ स्क्वावर किलोमीटर (३२० एकड़) एरिया में से १६३ एकड़ एरिया अन्य पार्टियों को प्राथमिकता के आधार पर एम. एल. में स्वीकृत किया गया था। शेष एरिया १५७ एकड़ में नजदीक के फ्री एरिया में से १६३ एकड़ और मिलाकर ३२० एकड़ एरिया के लिये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस स्वीकृत किया था।

श्री मानिकचंद सुराणा : जिस एरिया के लिये उन्होंने दर्ख्वास्त नहीं दी, नया एरिया १५७ एकड़ जिसके लिये दर्ख्वास्त नहीं थी वह एरिया अलॉट किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस एरिया के लिये और की दर्ख्वास्त थी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह एरिया फ्री था इसलिये दूसरों की दर्ख्वास्त का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रश्न नहीं उठता तो जिस एरिया के लिये दर्ख्वास्त दी वही एरिया देते, उसमें १६३ एकड़ और मिलाकर ३२० एकड़ एरिया क्यों दिया, जिसके लिये कि उसकी दर्ख्वास्त नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सिद्धान्त है कि छोटे से छोटा एरिया कितना दे सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग और एम. एल. के लिये; उस हिसाब से दिया।

श्री मानिकचंद सुराणा : क्या ३२० एकड़ से कम सोपस्टोन की माइन किसी मांइनिंग लीज होल्डर को नहीं दी जाती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर से नहीं दिया जाता।

श्री मानिकचंद सुराणा : आम तौर का सवाल है नहीं; मेरा प्रश्न है कि इससे कम एरिया की लीज़ दी जाती है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में नहीं दी जाती।

श्री मानिकचंद सुराणा : कई लीज़ेज़ ऐसी हैं जो ३२० एकड़ से कम है।

Page No 28

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं आप किस पोइन्ट पर स्ट्रेस करना चाहते हैं ? मैं तहकीक कह चुका कि फ्री एरिया के लिये जो इसमें मिलाया गया है न तो कोई एप्लीकेशन इन्वाइट की थी, न किसी की एप्लीकेशन थी। जब प्लॉट देते हैं तो मिनिमम के अलावा यह भी सवाल होता है कि रेक्टेन्गुलर शेप बना दें, टेढ़ा-मेढ़ा न रखकर स्क्वेअर एरिया बना दें; ताकि हमें और काम करने वाले को भी सुविधा हो। इस समय इसे मापा भी नहीं है, कुछ समय बाद उसने इस एरिया को वर्क आउट किया तो उसे तत्व नजर नहीं आया तो सरेंडर कर दिया। अब तो प्रश्न ही नहीं है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री मानिकचंद सुराणा : उन्होंने सरेंडर कर दिया यह दूसरी बात है लेकिन उसमें बहुत अच्छा माल होता तो सरेंडर नहीं करते। आपने अपनी तरफ से तय किया। उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। आपने बिना दरख्वास्त के अपनी तरफ से उसको दे दिए। राज्य सरकार कोई पर्टीक्यूलर एरिया किस को दे दे, इस तरह का प्रावधान नहीं है। यदि आप अलॉट करना चाहते थे तो एप्लीकेशन्स मंगवा सकते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी आवश्यकता नहीं है। पास का एरिया मिलाकर कम्पैक्ट ब्लॉक्स रेक्टैंग्युलर शेप में बनाने का अधिकार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुरा) : एप्लीकेशन होना मेरे ख्याल से जरूरी है। बिना एप्लीकेशन के सरकार उस को कोई एरिया अलॉट करे, यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेक्टैंग्यूलर शेप के लिये हम बनाकर देते हैं। यदि किसी को एतराज है कि मुझे स्वीकार नहीं है तो वह अपना एतराज कर सकता है, इस मामले में कोई ऐतराज नहीं किया गया और काफी समय उनके पास रहा ओर उसके बाद...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या आप राजगढ़िया के वकील तो नहीं रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अमुक एरिया ओपन था, आपने अलॉट किया लेकिन उस एरिया के संबंध में कोई एप्लीकेशन नहीं हुई; मैं समझता हूं...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३२० एकड़ से कम हम पी० एल० में नहीं देते और ८० एकड़ से कम हम एम० एल० में नहीं देते। इसलिए हमने उस एरिया को दिया लेकिन क्योंकि ३२० एकड़ से कम नहीं दे सकते और उनका जो नॉन-कन्फ्लिक्टिग एरिया था और क्योंकि हमको पी० एल० को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, इनकी भी एप्लीकेशन थी, दूसरों की एम० एल० के लिए थी; तो हमने प्राथमिकता दी उसको, एरिया दिया उसको। माइनस करने के बाद जो एरिया बचा था वह ३२० से कम था, इसलिए बचा एरिया और पास वाला एरिया मिलाकर ३२० एकड़ बना कर दिया गया, तो कोई ज्यादती नहीं की गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसके साथ रिम्रायत की गई, ज्यादती नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और किसी को भी लेना है तो ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मेरा एक जरूरी सवाल है रिक्शा वालों के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : पूछिये ।

जयपुर शहर के रिक्शों की संख्या

१६७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में कुल कितने रिक्शे हैं ओर उनके मालिकों की संख्या कितनी है?

(२) क्या यह सच है कि रिक्शा मालिक रिक्शा चलाने वालों से ज्यादा किराया लेते हैं ? यदि हां, तो क्या कोई रेट तय करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री दौलतराम सारण (उपमंत्री, स्वायत शासन) : (१) जयपुर शहर में रक्शों की संख्या ६४७ व मालिकों की संख्या ८५० है ।

(२) यह जानकारी नहीं है कि रिक्शा चालक रिक्शा चलाने वालों से क्या किराया लेते हैं । रेट तय करने संबंधी प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : रिक्शा मालिक रिक्शा चालकों से जो किराया लेते हैं उस बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया, यह प्रश्न एक साल पहले का है । इस अवधि में सरकार ने कुछ नही किया ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत शासन मंत्री) : (१) रिक्शाओं की तादाद जो है वह रिक्शा चलाने वालों के आधे से कुछ कम है । एक आदमी २४ घंटे रिक्शा नहीं चला सकता । एक रिक्शा को कम से कम दो आदमी दिन भर में चलाते हैं, इसलिए यह बात नहीं है कि रिक्शा चलाने वालों की तादाद ज्यादा है ओर रिक्शाओं की कमी है । जो मालिक हैं वह भी यह चाहते हैं कि उनके रिक्शा का यूटीलाइज़ेशन हो और उनको प्रोफिट हो । अगर रिक्शा कम होते हैं और चलाने वाले ज्यादा होते तो रेट का सवाल आ सकता था, लेकिन आधे से कुछ कम रिक्शा हैं जिन्हें लाइसेन्स है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रिक्शा पुलर्स कितने हैं लाइसेन्सड ?

श्री दौलतराम सारण : ६४७ रिक्शा हैं और ८५० रिक्शा मालिक हैं, रिक्शा पुलर्स टोटल २४३५ हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आधे से कम कैसे रहे ?

श्री दौलतराम सारण : आधे से कम रिक्शाओं की संख्या बताई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि रिक्शा पुलर्स को पहले एक रिक्शा पर २४ घटे का एक रुपया देना पड़ता था और अब ४ गुना रेट यानी ४ रु० देने पड़ते है ।

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी प्रश्नोत्तर में मेरे पास नहीं है ।

Page No 30

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने कैसे कहा कि यह रेट ज्यादा नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : न तो सरकार ने कहा कि रेट वाजिब है और न सरकार ने कहा कि रेट गैरवाजिब है। मैंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है कि वे क्या रेट लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब सरकार के पास शिकायत आती है कि इस कारण से एक्सप्लोइटेशन होता है, ४००) की रिक्शा और मालिक उसका तीन रुपया रोज यानी ९० महीने में लेता है और साल में एक हजार से ज्यादा हो गया। जयपुर शहर में ७-८ साल एक रिक्शा चल चुका है और मेरी जानकारी के अनुसार एक एक मालिक ९-९ हजार एक एक रिक्शा से कमा चुका है, जो कि ४०० रु० में आती है; उसके ऊपर सरकार कहे कि हम उचित नहीं समझते कि रेट फिक्स किये जायं !

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह नहीं कहा कि सरकार उचित नहीं समझती। आपने प्रश्न पूछा है कि रेट सरकार के विचाराधीन है क्या ? मैंने निवेदन किया है कि रेट तय करने सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल और श्री जयनारायण सालोदिया : क्या नहीं विचाराधीन है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार ने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की है कि पहले किराया क्या था और अब किराया क्या वसूल हो रहा है; जबकि यह सवाल बहुत रिलेवेन्ट है क्योंकि सरकार के अनुसार संख्या ९४७ रिक्शा हैं और २४०० पुलर्स हैं; जबकि यह भी बात है कि रिक्शा मालिक कुछ अनलाइसेन्स्ड पुलर्स को भी रिक्शा देते हैं। इस तरह की कॉम्पीटीशन जो पुलर्स में है वह बहुत अधिक है और उस कारण उन बेचारों को कॉम्पीटीटिव रेट्स देने पड़ते हैं और इससे ४०० रु० इन्वेस्ट करके नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं और इसी बुनियाद पर नीचे रिक्शा वाले बैठे हुए हैं कि मिडेलमैन का प्रोफिट कम करो, एक्सप्लाइटेशन कम करो। सारे जयपुर के उद्योग को तो लेना नहीं है, लेकिन ४००) की रिक्शा हम खरीद सकते हैं इसलिए उन्होंने नए रिक्शा खरीदे हैं, वे लाइसेन्स चाहते हैं ताकि उस रेट में कुछ कमी आए। सरकार को तो चाहिए कि जितने रिक्शा पुलर्स खुद अपने रिक्शा लेना चाहते हैं या कोऑपरेटिव्ज़ बना कर लेना चाहते हैं उनको रिक्शा देनी चाहिए। अगर रिक्शाओं की तादाद नहीं बढ़ाना चाहते तो मालिकों की रिक्शाओं को कैंसिल करके पुलर्स को दी जायं और इसके अलावा जो बाकी रिक्शा रह जायं जो कि पुलर्स खरीद नहीं सकते या कोऑपरेटिव्ज़ नहीं बना सकते, उनकी रेट्स क्या लें, उनको सरकार को कन्ट्रोल करना चाहिए। उनका एक्सप्लोइटेशन इस प्रकार होता रहे और सरकार को जानकारी भी न हो, जो सबसे बड़ा रिलेवेन्ट फैक्टर था, इसलिए सरकार इस बात का आश्वासन दे कि इमीजियटली इस एक्सप्लोइटेशन को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाएगी और जो रिक्शा पुलर्स अपनी रिक्शा चलाना चाहते हैं उनको चलाने की इजाजत देगी। सरकार अगर ज्यादा तादाद नहीं बढ़ाना चाहती तो मालिकों की रिक्शा कैंसिल कर दे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा पहले वक्तव्य इसके बारे में दिया गया कि आदमी आदमी को खींचे, यह बर्दाश्त नहीं। टूरिस्ट्स आते हैं। यह दिखने में बुरा लगता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बार बार यह कोशिश की जा रही है जवाब देने की कि जब ६०० रिक्शा के लिए लाइसेन्स होल्डर्स हैं, उनकी संख्या-रिक्शा पुलर्स की २५०० है, आपने उनको उन लोगों के रहम पर छोड़ रखा है जो उन रिक्शाओं के ओनर्स हैं। पुलर्स के हित में पुलर्स खुद अपनी कोऑप-रेटिव बनाते हैं या खुद उसके ओनर बनना चाहते हैं तो कहते हैं कि हम उनको रिक्शा न दें, हम इसको एनकरेज नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ज्यादा आदमियों की जरूरत है इसलिए अपने आप रेट पूरी हो जाती है। रिक्शा १८ घंटे चलता है, लेकिन जिस ह्यूमन कन्सीडरेशन पर आप करना चाहते हैं कि आदमी आदमी को खींचे, यह बुरा और टुरिस्ट्स की बात आती है और बुरा लगता है, लेकिन आपने उस आदमी को जो रिक्शा पुलर है उसको लाइ-सेन्स होल्डर के रहम पर क्यों छोड़ रखा है? या तो आप उन रिक्शाओं को ले लीजिये या रीज़नेबल कीमत पर चलाइये। इसलिए जो एक्स्प्लोइटेशन होता है वह न हो। वर्ना तो इसका मतलब यह है कि रिक्शा के लाइसेन्स होते हैं पैसों वालों के पास में और आप उनको, उन मजदूरों को उनके रहम पर छोड़ देते हैं। रेट भी नहीं मिलती, फिर भी पुलर का काम करते हैं। आप इस नेफेरियस काम को चालू रखना चाहते हैं। और रिक्शा लाइसेन्स वाले जो सेठ हैं उनके फेवर में आप इनका एक्स्प्लोइटेशन होने देना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): नीति की बात कही गई थी। सरकार की यह नीति है कि शोषण न करें। आपको इस प्रकार से रिक्शा कम करना भी हो तो आप इस नीति में इसको प्राथमिकता देते हैं; शोषण करने वाले दूकानदार हैं, उनकी संख्या कम करेंगे। यह सबसे पहली बात है। दूसरी नीति बनायेंगे कि जो पुलर्स हैं, रिक्शा खींचने वाले हैं वे खुद करते हैं, उनका शोषण होता है, उसको प्राथमिकता देंगे? आपको इस नीति की बात पर स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। अगर आप अपनी नीति स्पष्ट कर लेते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। वर्ना सरकार की जिद्द जरूर हो; नीति की दृष्टि से न तो न्याय संगत है और न समाजवाद की दृष्टि से ही न्याय संगत है। अगर सरकार वाकई रिक्शा पुलर्स और रिक्शाओं की संख्या कम करना चाहती है तो घोषणा कर दे कि हम उनकी संख्या कम करेंगे जो दूसरों का शोषण करते हैं। रिक्शा पुलर्स के लिए कहते हैं तो न्याय संगत बात नहीं होती है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुरा): दो शब्द, अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं। सरकार की जो नीति प्रकाशित हुई है इस सम्बन्ध में वह, मेरे खयाल में, कोई नीति नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं वह एक तरह की जबरदस्ती है। माननीय सदस्यों के द्वारा कई बातों के सम्बन्ध में इसके बारे में सुझाव सरकार के समक्ष आये हैं। सरकार को चाहिये था कि इस प्रश्न को आर्थिक प्रश्न के रूप से देखे। बहुत से लोगों की रोजी--रोटी का सवाल है। अगर रिक्शा पुलर्स की तादाद आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कम करना चाहते हैं, अगर आपको ह्यूमन समस्या को देख कर इस मामले को सुलझाना है तो वह मैं समझ सकता हूं, किन्तु जो रिक्शा पुलर्स हैं उनके सम्बन्ध में कोऑपरेटिव्ज़ के सम्बन्ध में सरकार विचार करे तो भी मैं समझ सकता हूं। ठीक बात है। अगर रिक्शा मालिकों के लाइसेन्स कम करने की बात है तो भी मैं समझता हूं, यह ठीक बात है। लेकिन नीति के रूप में इस समस्या का हल निकालना चाहिये न कि जबरदस्ती का रूप हो। रोजाना विधान सभा के सामने गरीब बेचारे चिल्ला रहे हैं उनको कुछ न कुछ सरकार के द्वारा आश्वासन मिलना चाहिये। अगर उनको भूखे ही मारना हो तो कह दीजिये कि हम कुछ नहीं करेंगे; वर्ना माननीय सदस्यों के, रोजाना आपके समक्ष वे चिल्लाते हैं, कम से कम इसको विचाराधीन लेकर ओन मेरिट्स ओफ दी केस तो डिस्पोज़ ओफ करिये। इसमें हठ-धर्मी का सवाल नहीं होना चाहिये, जबरदस्ती का सवाल नहीं होना चाहिये। यह तो एक नीति का सवाल है और नीति भी बाई इवोल्यूशन और बाई ग्रेजुअल मेथड इसको सोल्व करना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन, मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति है कि रिक्शा पुलर्स के लाइसेन्स नहीं बढ़ने चाहिये, बल्कि खत्म होने चाहिये। जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी थी तो उस समय भी उन्होंने भी लाइसेन्स नहीं बढ़ाये। जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी थी तो उस समय कोई रिज़ोल्यूशन नहीं पास किया गया कि रिक्शा की रेट्स तय होनी चाहिये। स्वतन्त्र पार्टी की म्युनिसिपैलिटी है उनकी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिलता। मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से यह एश्योरेन्स देता हूं कि नगरपालिका यह एश्योरेन्स भेजती है कि रिक्शाओं का किराया कम करना चाहिये। मैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कन्सीडर करूंगा। यदि म्युनिसिपैलिटी लिख देती है तो हम उसको नहीं रोकेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह म्युनिसिपैलिटी का सवाल नहीं है; मैंने विधान सभा के मेम्बर की हैसियत से यह पूछा है। मैं इसका उत्तर चाहता हूं; रिक्शा मालिकों के किराये की रेट फिक्स होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मालिकों के लाइसेंस कम करके रिक्शा पुलर्स को देना है। शोषण करने वाले हैं उनको तो आप कम करते नहीं हैं और करेंगे जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनको। यह न्यायसंगत नहीं है। आप घोषणा करिये कि हम उन शोषण करने वालों को कम करेंगे। जो रिक्शा मालिक हैं सौ पचास, वे उन रिक्शा पुलर्स का शोषण करते हैं। इसलिए आप अपनी नीति को स्पष्ट क्यों नहीं करते?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि रिक्शाओं के रिक्शा मालिकों को पुलर्स कितना किराया देंगे, इस प्रकार का रिज़ोल्युशन पास होवे, जैसा माननीय मन्त्रीजी ने बताया, मैं आपको बताऊं कि नियम और रूल्स बनाना यह म्युनिसिपैलिटी के ज्युरिस्डिक्शन के बाहर है।

Page No 33

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक रूल्स बनाने का ताल्लुक है राजस्थान सरकार ने रूल्स बनाये हैं और वे फाइनेलाइजेशन की स्टेज तक हैं, लेकिन गवर्नमेंट का यह कहना है कि रिक्शाओं के मालिक ज्यादा किराया ले रहे हैं इसके लिए म्युनिसिपैलिटी कभी भी प्रस्ताव रखे वह बुरा नहीं करती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अभी सदन के समक्ष माननीय मंत्रीजी ने बात कही वह मैं समझता हूं कि एस्केपिज्म के रूप से है, एक बहानाबाजी है और किसी संस्था को बदनाम करने के लिए है। मैं तो एक सिद्धान्त का प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर स्वतन्त्र पार्टी की म्युनिसिपैलिटी यहां पर रहे या न रहे, स्वतन्त्र पार्टी की म्युनिसिपैलिटी की जयपुर सिटी में कोई ठेकेदारी नहीं है। सवाल एक नीति का है। अगर सरकार इतनी क्षुद्र बुद्धि के साथ, नेरो माइन्डेडनेस के साथ इस प्रोब्लम को एप्रोच करे तो मैं सरकार के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय और चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड दोनों बैठकर इस समस्या का क्यों नहीं मिल-जुल कर रेट रिजोल्युशन के सम्बन्ध में कोई नीति अख्तियार करती है ? आप चाहते हैं, गेंद उस कोर्ट में जाय तो वे कहते हैं 'The ball should be thrown in the other court.' और इस तरह से एक रैकेट कोर्ट की तरह आपकी फजीती हो, यह तो मेरे खयाल में कोई नीति नहीं है। नीति उसको कहते हैं कि कोऑपरेटिव एक्स्टेन्ड करें, रेट्स को एक्स्टेन्ड करें, मिल कर बात करें। यह तो कोई डेमोक्रेसी है; नहीं तो एक दूसरे को बदनाम करने की बात है। इससे निर्णय कुछ नहीं होगा और जो बेचारे भूखों मरते हैं वे और भी परेशान होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न इस बात का है कि माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न और वक्तव्य में जो कुछ कहा है यदि यह मान लिया जाय कि कोई नये लाइसेंस नहीं देंगे, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि नये लाइसेंस न दिए जाने पर रिक्शा पुलर्स की संख्या में कोई कमी हो जायगी ? जो १००-२०० मालिक हैं और जो रोज रिक्शा पुलर्स रिक्शा चलाते हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आवेगी। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि रिक्शा मालिकों को लाइसेंस मिलते रहें, इस पर क्यों अड़ी हुई है ?

रिक्शा मालिकों के लाइसेंस को लेकर उनको कम करके रिक्शा पुलर्स को लाइसेंस दे देते हैं जो कि आज वे रिक्शा चलाते हैं तो कौनसा अन्याय हो गया ? अगर इनके घर में रुपया, डेढ़ रुपया ज्यादा पहुंच जाता है तो मैं नहीं समझता, आपको इससे क्या परेशानी होती है ? यह तो मानवीय दृष्टि–कोण का प्रश्न है। एक तरफ तो हम काश्तकार को खातेदार बनाते हैं; लेकिन दूसरी तरफ ४०० रुपया लगाकर जिसने रिक्शा बनाया है, ऐसे रिक्शा पुलर को मालिक बनाने की बात आती है तो आप उसको मालिक नहीं बनाना चाहते ! आज ये लोग दस दिन से आन्दोलन चला रहे हैं, मंत्रियों को घेर लेते हैं, फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। स्वास्थ्य मन्त्रीजी यदि उनसे मिल लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, उनकी कहां हार होती है; आप जो यह मान कर चल रहे हैं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जायगी या राज्य सरकार का अन्त हो जायगा रिक्शा पुलर्स को लाइसेंस दे दिया तो। वे तो ऑलरेडी रिक्शा पुलर्स हैं, उनको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लाइसेंस दीजिये ताकि वे अपनी रोजी-रोटी अच्छी तरह से कमा सकें; इसमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर ज्यादा बहस नहीं हो सकती। श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एक अमानवीय कार्य होते हुए भी राज्य सरकार इसको बिल्कुल बन्द नहीं कर सकी है। जब तक ये रिक्शा चालू रहते हैं मैं समझता हूं उस समय तक एक्सप्लोइटेशन जो मालिकों की ओर से होता है वह बन्द होना चाहिये। एक्सप्लोइटेशन मालिकों द्वारा न हो, इसके लिए राज्य सरकार को कोई उपाय निकालना चाहिये। रिक्शा वे ही चलायेंगे जिनके खुद के रिक्शा हों। इसके अलावा जो रिक्शा के लाइसेंस हैं उनको बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। बिज़नेस करने वाले जो इसमें घुस पड़े हैं राज्य सरकार को उनको कतई प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस संबंध में प्रश्न आया था। मैं समझता हूं, इस संबंध में जो सरकार की नीति है उसको सही रूप में समझा जायगा तो प्रश्न उतना उलझा हुआ नजर नहीं आयगा। जहां तक इस वक्त जो लोग कहते हैं कि वे खुद रिक्शा पुलर्स हैं, रिक्शा उनका खुद का है, उनके सामने केवल मात्र इस बात का ख्याल रखते हुए, क्योंकि उन्होंने रिक्शा पर अपना खर्चा किया है और वे खुद चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूं जो ज्यादा से ज्यादा लिबरल कन्डीशन्स हो सकती हैं उन लोगों के लिये, सरकार ने एलान किया है कि इन लोगों की जांच करने के बाद कि इनमें से कितने रिक्शे खुद के खरीदे हुए हैं उनको ऑटो रिक्शाज़ देकर उनकी रोजी का सवाल हल किया जायगा। मेरे पास कुछ लोग आये, उन्होंने कहा एक रिक्शे से कितनी आमदनी होगी, कितनी नहीं होगी इस बारे में किस प्रकार से सोचा जा सकता है। मैंने इतना ही कहा कि दो-तीन व्यक्ति मिल कर इस बात को एग्ज़ामिन कर सकते हैं। साइकिल रिक्शा चलाने से औसत तौर पर जितनी आमदनी होती है उतनी ऑटो रिक्शों से आमदनी हो पायगी या नहीं और एक एक के पीछे या दस दस के पीछे, कितने ग्रुप के लिये, एक दो ऑटो रिक्शा की जरूरत होगी वह तय कर लिया जाय। साइकिल रिक्शे के जरिये जो आमदनी होती है ऑटो रिक्शा के जरिये उतनी आमदनी एश्योर कर दी जाय। यह प्रश्न उठाया गया कि ऑटो रिक्शा खरीदने के लिये पैसा नहीं है, उसकी क्या व्यवस्था होगी? उसके लिये यह कहा गया हायर-पर्चेज सिस्टम पर इन लोगों के लिये व्यवस्था कर दी जायगी जो धीरे धीरे किश्तों में चुका दें, इस तरह से ऑटो रिक्शा के मालिक बन जायेंगे। इसकी कोस्ट चुकने के बाद जिस प्रकार बसेज़, ट्रक्स आदि मोर्टगेज रहते हैं उसी प्रकार इनके साथ भी लीगल एग्रीमेन्ट कर लिया जाय।

मैं समझता हूं, इन लोगों का प्रश्न दर असल स्वयं पुलर्स हैं, इनका खुद का है। इस बात को करने के बाद कह सकते हैं कि वह स्वास्थ्य बिगाड़ कर इन्कम करता है दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा से स्वास्थ्य कायम रखकर कमा सकता है उसके लिये सरकार जरिया करने के लिये तैयार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। मैं समझता हूं, इसके बाद भी इन लोगों को एजीटेट करने का कौनसा प्रश्न रहता है, सदन के सामने एजीटेट करने का कौन सा प्रश्न रहता है ?

इतने ऑटो रिक्शाज़ एक साथ नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, इसके लिये बैठकर डिटेल्स में एग्ज़ामिन किया जाय कि कितनों को नही मिलेगा, कितनों को मिलेगा, इसका विस्तार से बैठ कर ही विचार हो सकता है। जहां तक इन लोगों को रोजगार देने की बात है, ये बिना रोजगार रह जायं, यह सरकार की नीति कतई नहीं है।

जो रिक्शा वाले एक्स्प्लोइटेशन करते हैं इस प्रकार का इनह्युमेन वर्क लेकर वह इक्स्प्लोइटेशन रुकना चाहिये। सरकार की नीति रिक्शा चलाने के संबंध में क्या है, क्या लाइसेन्स केन्सल कर दिये जांय या क्या। आज भी जिन लोगों ने रिक्शा खरीद लिये हैं, मजबूरी है उनको लाइसेन्स देने में जिस नीति को अपनाया है उसके अनुसार आज जितने भी रिक्शाज़ चल रहे हैं एक साथ उनको कह दिया जाय कि सब रिक्शा बन्द करके ऑटो रिक्शा सप्लाई कर दिया जायेगा, वह प्रेक्टिकल नहीं है। इस बात को तय किया जाय कि आगे यह नहीं जुड़ें लेकिन जो है वे किस प्रकार से धीरे-धीरे बन्द कर सकते हैं उसको सोच कर चलते हैं। इस बीच में भी रिक्शा चलाने वाले मजदूरों को एक्स्प्लोइटेशन से किसी प्रकार भी रोका जा सकता है तो उस बारे में सरकार उचित तौर से विचार करेगी और निश्चित नीति तय करेगी, आवश्यक होगा तो कानून लागू करके भी इसको किया जा सकता है।

श्री रामकिशन (वैर) : इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो मुख्य मंत्री जी से बात कर सकते हैं।

मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के बाद ही बहस नहीं हो सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह समझा जाय कि मौजूदा जो रिक्शा मालिक हैं वे जब तक कम्प्लीटली ऑटो रिक्शा से रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक उनका एक्स्प्लोइटेशन जारी रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया एक्स्प्लोइटेशन न हो इसके लिये आवश्यक हो तो कानन भी लाया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री ने जो ऑटो रिक्शाज़ के बारे में कहा वह एक हद्द तक सन्तोषजनक बात है। लेकिन इसके साथ ही उनके दिमाग में एक असन्तोषजनक व्यवस्था भी है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये इन्टेरिम रूप से ठोस कदम उठायेंगे या नहीं। यह ऑल इन्डिया वाईड क्वेश्चन है। बैंगलोर, आगरा, बनारस सारे हिन्दुस्तान के अन्दर रिक्शाज़ चलाये जाते हैं। आपके इस ढंग से हल निकालने से ऑल इन्डिया का प्रश्न हल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं होगा। जो कुछ करना चाहते हैं ऑटो रिक्शा जादूगरी की तरह एक दम तो पैदा नहीं कर देंगे। इसलिये इन आदमियों की समस्या को उदारता के साथ हल करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। रेट्स रेगुलेट करें, एक्सप्लोइटेशन खत्म करें; आखिर कुछ तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवस्था तो करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना स्पष्ट कर दूं। तारीख तो मुझे याद नहीं; शायद २४ तारीख होगी। मैं जब बाहर से लौटा मेरे मकान में कुछ लोग ठहरे हुए थे, धरना दिये हुए थे। मैंने उनको सुबह बुलाया। पहले रोज ही मैंने इस बारे में कहा, इस सदन में इस बात का ऐलान किया। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत में कोई एजीटेशन इसके लिये करने का कारण आता है।

दो-तीन रोज पहले भी मेरे पास इनका एक डेपुटेशन मिलने आया। उसको भी मैंने यही एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर वे एजीटेट करते रहें तो मेरे पास कोई जरिया नहीं कि मैं उसको रोक सकूं। फिर भी हमारी नीति है कि किसी के प्रति किसी दुर्भावना की दृष्टि से नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जो उनके लिये व्यवस्था की जा रही है वह ज्यादा लाभप्रद है और जैसा कि अभी ऑपोजीशन के माननीय नेता ने कहा कि यह एक देशव्यापी प्रश्न है; सही बात है एक हद तक; लेकिन इसके साथ साथ इसको ज्यादा व्यापक न होने देना यह भी बहुत जरूरी है जिसकी वजह से कि यह व्यापक होने से रुके।

आज सारे हिन्दुस्तान में भी यह प्रश्न नहीं है। सभी नगरों में भी नहीं है। राजस्थान के अन्दर भी सब जगह नहीं है। पर धीरे धीरे यह आज बढ़ रहा है और इसे बढ़ने से रोक कर इसे व्यवस्थित कर दिया जावे तो उचित ही होगा यह।

इस लिहाज से मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर हमें सलाह दें। हम एक-दो अधिकारियों की नियुक्ति कर दें। उनके साथ बैठ कर देखें कि इसके लिये क्या व्यवस्था हो सकती है और यह प्रोब्लम कैसे हल हो सकता है। उनकी रोजगार की समस्या हल होनी चाहिये, यही उद्देश्य है इसके पीछे। तो इससे सरकार सहानुभूति रखती है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हरचन्द तालाब की नहर में आने वाली भूमि का मुआवजा

१७८. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा के हरचंद तालाब की नहर में आने वाली भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और अब कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां, जहां तक का कार्य पूर्ण हो

(श्री सिंचाई मंत्री)

चुका है वहां तक का मुआवजा तारीख १२-२-६५ को चुका दिया गया है।

नगरपालिकाओं के चुनाव

१७६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उन नगरपालिकाओं की, जहां प्रशासक कार्य कर रहे हैं, संख्या क्या है ?

(२) इन नगरपालिकाओं के निर्वाचन किस तारीख तक करवाये जायेंगे ?

(३) उन नगरपालिकाओं के नाम क्या हैं जहां अशासकीय कर्मचारी प्रशासक का कार्य कर रहे हैं ?

(४) उन समस्त नगरपालिकाओं के क्या नाम हैं जिनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक के लिये बढ़ाया गया है ?

(५) उन नगरपालिकाओं के नाम क्या हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है किन्तु जो समय वृद्धि के अधीन कार्य कर रही हैं ?

(६) जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल नहीं बढ़ कर वर्तमान में प्रशासक कार्य कर रहे हैं उनमें कार्यकाल नहीं बढ़ाने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(१) उन नगरपालिकाओं की जहां प्रशासक कार्य कर रहे हैं, संख्या ३० है।

(२) चुनाव विभाग की सूचनानुसार चुनाव माह मई, १९६५ में करवाये जा रहे हैं।

(३) कोई अशासकीय कर्मचारी प्रशासक का कार्य नहीं कर रहा है।

(४) नियमों में एक वर्ष से अधिक अवधि बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, इसलिये किसी भी नगरपालिका की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई गई है।

(५) सूची संलग्न है।

(६) प्रशासनिक कारणों से कार्य-काल नहीं बढ़ाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डिस्पेन्सरी भवन सिकराय

१८०. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-मु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय में डिस्पेन्सरी सन् १९४५ से चल रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि डिस्पेंसरी भवन के अभाव में १९ वर्ष से यह डिस्पेंसरी एक छोटे से प्राइवेट किराये के मकान में चल रही है जिसमें डिस्पेन्सरी चलने की पूरी गुन्जाइश नहीं है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत सिकराय पांच वर्ष से डिस्पेंसरी भवन बनाने हेतु सरकार को निवेदन कर रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि ६२-६३, में डिस्पेन्सरी भवन बनवाने का आश्वासन

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

पंचायत को सम्बन्धित विभाग से दिया गया था ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस डिस्पेंसरी में पिछले दो वर्ष से डॉक्टर नहीं है ?

(६) यदि हां, तो क्यों और डॉक्टर अब कब तक वहां भेजे जाने की सम्भावना है ?

(७) क्या सरकार इस आर्थिक वर्ष में डिस्पेन्सरी भवन बनाने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां,किन्तु अर्थाभाव के कारण यह भवन नहीं बन सका ।

(५) जी नहीं ।

(६) व (७) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पुलों की मरम्मत

१६१. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि घाट खूंटेटा (रूपरेल नदी,अलवर) से लक्ष्मणगढ़ तहसील में सिंचाई होती है ? अगर हां, तो ६२-६३ में कितनी भूमि सिंचित हुई और प्रति एकड़ कितना सिंचाई टैक्स लिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसकी तमाम बड़ी व छोटी केनाल्स व रास्तों के पुल खराब हो रहे हैं और इनको सुधारने का एस्टीमेट भी बन चुका है लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं हुई है ?. यदि हां, तो यह ऐस्टीमेट कितने का है ?

(३) इस एस्टीमेट की मंजूरी कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् ६२-६३ में घाट की नहरों से ८५३ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई जिस पर ६,६४७) रु० सिंचाई कर कायम किया गया । प्रति एकड़ पर औसतन आबयाना ८) रु० १४ पैसे के लगभग आता है ।

(२) जी हां, पुलों की मरम्मत की आवश्यकता है । नहरों की रिमोडलिंग का एस्टीमेट मंजूर हो गया है और उसके साथ साथ पुलों की मरम्मत भी करा दी जावेगी ।

(३) एस्टीमेट मंजूर हो गया ।

(१२. ३२ म. प.)

प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य आपजी श्री रघुराजसिंहजी के देहावसान पर श्रद्धांजलियां

श्री अध्यक्ष : मुझे कल एक माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना मिली कि प्रथम

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विधान सभा के सदस्य मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह, कोयला निवासी, कोटा का देहान्त ११ जनवरी, १९६५ को हो गया है।

स्वर्गीय श्री रघुराजसिंह किशनगंज क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे ओर राजस्थान विधान सभा के सन् १९५२ से १९५७ तक सदस्य रहे। वे इस विधान सभा में संयुक्त दल के सदस्य थे।

स्वर्गीय श्री रघुराजसिंह सन् १९३७ में एन्टी टी. बी. फण्ड कमेटी के और १९४६ में वाल्टर राजपूत हितकारिणी समिति के चेयरमैन रहे। आप १९४६ में सप्रू कॉन्स्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी, कोटा के सदस्य तथा उप-प्रधान रहे। १९४२ में आप सलाहकार परिषद् में सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके। आप क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे।

मैं अपनी और राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे दो मिनिट के लिये मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन दो मिनिट के लिए मौन खड़ा रहा)

(१२.३५ म.प.)

अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का सन्देश

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में जो सन्देश भेजा है, वह इस प्रकार है :

"दिनांक मार्च ४, १९६५

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका ३ मार्च का पत्रांक १४०। अ.वि.स।नि.स।६५ मिला। विधान सभा ने मेरे अभिभाषण के लिए जो कृतज्ञता प्रस्ताव अभिस्वीकृत किया है मैं उसके लिये आभारी हूँ।

भवदीय,

सम्पूर्णानन्द।"

(१२.३६ म.प.)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत नियम

(सदन की मेज पर रखना)

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९(२) के अन्तर्गत, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समितियों का गठन) नियम, १९६५ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची रखी जा रही है और उसके बारे में मैंने कल भी बोलते हुए यह कहा था कि जिन यिनमों को

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

काफी पहले बना लिया गया है उनके बारे में डिपार्टमेन्ट ने एक अलग से सर्कूलर भी निकाल दिया और आज जब कि सदन को चले काफी अर्सा हो गया तब आज ये नियम यहां रखे जा रहे हैं जब कि सदन के पहले ही दिन रक्खे जाने चाहिये थे। तो उस दिन नहीं रखे जाने का क्या कारण था; यह बता दें मन्त्रीजी तो अच्छा हो।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी प्रतिलिपि का सवाल है वह हमारे यहां से पंचायत विभाग से यहां भेज दी गई थी और जहां तक परिपत्र का सवाल है ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया।

कल जब विवाद चल रहा था तो माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था उस समय मैं यह कहना भूल गया। कल डिस्कशन में कहा और मैंने आज रख दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): तीन, चार और पांच को पंचायत समितियों के चुनाव प्रायः पूर्ण हो चुके थे और स्टेंडिंग कमेटी के इलेक्शन इसलिये रोक दिये गये थे कि ये नियम अभी तक गजट नहीं हुए थे या सर्क्यूलेट नहीं हुए थे। आज डेढ़ दो महीने से प्रायः सभी पंचायत समितियों की स्टेंडिंग कमेटियों के चुनाव इनके अभाव में रुके पड़े हैं और जो माननीय सदस्य बनेड़ा से आते हैं उन्होंने भी एतराज किया है। अगर इनको २४–२५ को भी रख देते तो १०–१५ दिन के समय में ये चुनाव पूर्ण हो सकते थे। इसलिये मुझे भी ऐतराज है कि इतने देर से ये क्यों रक्खे गये?

(१२.३७ म. प.)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१६६४-६५) (द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१६६४-६५) (द्वितीय खंड) के विवरण का उपस्थापन करता हूँ।

(१२.३८ म. प.)

राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १६६५

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तवा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १६६५।

[विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने वाला परिनियत संकल्प :—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर), **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) व **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा):

"यह सदन राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण अध्यादेश,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

१९६५ (अध्यादेश सं० १ सन् १९६५) को जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक ९-१-१९६५ को प्रख्यापित किया गया, अस्वीकार करता है।"]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरंतर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ के संबंध में जो एक अध्यादेश जारी किया गया, उसको निरस्त करने के संबंध में मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य सरकार यह अध्यादेश जारी करने की परम्परा को समाप्त करे।

पिछली बार भी सरकार का इस संबंध में काफी विरोध हुआ था। सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि अध्यादेश जारी करने की नौबत कम से कम आवेगी।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज सरकार का अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत दिया गया है वह इसलिये दिया गया है कि उसका विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाय। अगर ऐसा किया जाता तो कोई बात समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि नगरपालिका के चुनावों के संबंध में ऐसी कौनसी विशेष और असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई कि जिसके कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा जिस पर सदन में आज विचार किया जा रहा है। इसीलिये मैंने इसको मंसूख और निरस्त करने के सम्बन्ध में अपना संकल्प प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है सन् ६३ में राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और सन् ६३ की दिसम्बर में जिस समय राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव हुए बीकानेर नगरपालिका का भी चुनाव हुआ। बीकानेर के चुनावों को लेकर वहां के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट, याचिका दायर की और यह कहा कि बीकानेर नगरपालिका की जो सीमायें हैं, क्षेत्र हैं, दायरा है, वह भीनासर ओर गंगाशहर की दो और छोटी नगरपालिकायें हैं उनका दायरा और इलाका भी सन् ६२ में या ६१ के आसपास उनमें मिला लिया गया। यानी बीकानेर नगरपालिका का दायरा भीनासर और गंगाशहर दोनों को मिलाकर सारा कुछ किया गया ओर बीकानेर की नगरपालिका का क्षेत्र बड़ा हो गया। सरकार ने चुनाव करा दिये। भीनासर की नगरपालिका अलग चलती रही ओर गंगाशहर की नगरपालिका अलग चलती रही और बीकानेर की नगरपालिका के चुनाव अलग करा दिये। जब हाईकोर्ट में रिट हुई कि जैसे बीकानेर की नगरपालिका के चुनाव कराये गये है उसकी सीमा बड़ी है, दायरा बड़ा है, चुनाव की दृष्टि से नगरपालिका का क्षेत्र भीनासर ओर गंगाशहर की दोनों नगरपालिकाओं का क्षेत्र बीकानेर में शामिल कर दिया गया था सरकार के द्वारा और वह सरकार की आज्ञा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मन्सूख नहीं की गई, वह आज भी स्टेन्ड करती है। ऐसी स्थिति में बीकानेर में नगरपालिका के चुनाव गलत हुए हैं, सीमा का निर्धारण गलत हुआ है, बीकानेर की नगरपालिका के चुनाव रद्द किये जायें और अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को हाईकोर्ट ने रिट को स्वीकार किया, प्रार्थनापत्र उन प्रार्थनापत्र देने वालों का स्वीकार किया। चुनाव कराने की सरकार की आज्ञा को अवैध माना और हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि बीकानेर की नगरपालिका की सीमा भीनासर और गंगाशहर तक हो चुकी थी और वह अलग रह नहीं सकती। उनका भी बीकानेर नगरपालिका में एमलगेमेशन हो चुका था इसलिए ये चुनाव बिलकुल गलत हुए हैं। सरकार ने चुनावों को रद्द कर दिया। चुनावों के रद्द होने के बाद दूसरे चुनाव होने चाहिए थे, कानून का पालन नहीं हुआ, कानून के अनुसार चुनाव नहीं हुए, सरकार ने गलती की, सरकार के अधिकारियों ने गलती की और उसके कारण से इतनी बड़ी भारी परेशानी हुई। लोग हाईकोर्ट में गये और जब चुनाव मन्सूख हो गए तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान की जितनी भी नगरपालिका के चुनाव हुए थे तो आखिर ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं कि सारे राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव रद्द हो गए। मैं नहीं समझता कि बीकानेर की नगरपालिका के चुनाव रद्द होने की वजह से एक नगरपालिका में चुनाव दुबारा कराने पड़ेंगे। यह बात सही है, मैं मानता हूं कि इसके कारण से कुछ नगरपालिकाओं को परेशानी हो सकती थी लेकिन मैं समझता हूं कि केवल मात्र खर्चे का आधार लेकर, केवल मात्र दुबारा चुनाव कराने की नौबत आयेगी इस आधार पर हमारी सरकार वहां के संबंध में एक अध्यादेश जारी करे, यह कतई वाजिब नहीं है। राजस्थान की अन्य नगरपालिकायें हैं, राजस्थान के सारे चुनाव रद्द हो जायें तो कुछ समझ में आ सकता है। यहां कोई टैक्स का सवाल नहीं था, टाउन के ऊपर ब्रिज बना हुआ था और सरकार गलत ढंग से टैक्स वसूल करती रही। इसके लिए हाईकोर्ट में रिट-पिटीशन हुई और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप को टैक्स वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार विधान सभा में फिर आई। सरकार ने कहा कि हम वर्षों से वसूल करते आये हैं, लेकिन अब इस टैक्स की रकम जो वसूल कर ली है इसे किसको वापिस करेंगे, इसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा और क्योंकि सार्वजनिक कोष में पैसा आ चुका है इसलिए विधान सभा के सामने अध्यादेश ले आये कि इसको पास किया जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सरकार के बे अध्यादेश भी देखें हैं कि जहां एक एडमिनिस्ट्रेटर को वैलीडेट करने के लिए अध्यादेश लाये जाते हैं, एक धारा में संशोधन करने की दृष्टि से अध्यादेश जारी किये जाते हैं। पिछली बार भी मैंने सदन में सवाल खड़ा किया था कि म्युनिसिपैलिटी के होमगार्ड के बारे में अध्यादेश जारी किये। नियम नहीं बनाये और इसलिए अध्यादेश काम में नहीं आया। राज्यपाल महोदय को संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत जो असाधारण शक्तियां दी गई थीं उनका गलत प्रयोग किया गया। ऐसा लगता है, मैं कभी कभी सरकार के सारे विभागों के बारे में सोचता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं और स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में यह अध्यादेश जारी किया। आपको चिन्ता तो हो गई कि बीकानेर की म्युनीसिपैलिटी के चुनाव रद्द हो गये हैं और हम कैसे उसको वैलीडेट करायें। आपको और आपके विभाग को इसकी चिंता होती है लेकिन आप और आपके विभाग को कभी इसकी भी चिन्ता होती है कि बाकी नगरपालिकाओं की हालत क्या है?

इस सदन में कई बार मांग की गई कि राजस्थान की नगरपालिकाओं का कानून ऐसा बन गया है कि जिसमें अनेक खामियां हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, कोडीफाइड लॉ लाना चाहिए राजस्थान की नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत सुधरनी चाहिए। आप म्युनिसिपैलिटी के एक्ट में संशोधन करने के लिए तैयार नहीं, आप कोडीफाइड लॉ लाने के लिए तैयार नहीं, कानून की खामियों को दूर करने के लिए तैयार नहीं जो सारे पिछले अनुभव हैं कानून के आधार पर उनको दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं और राजस्थान में इस सदन में कई बार चर्चा की गई कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की हालत अच्छी नहीं है और अध्यक्ष महोदय, यह हालत आप से भी छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में नगरपालिकायें जो एक प्रकार से जनतंत्रीय शासन पद्धति में जो स्वायत्त शासन की मौलिक इकाइयां हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि वह जिन्दगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। जो राजस्थान की नगरपालिकाओं पर आपने अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की व्यवस्था लागू की है और जितने भी आमदनी के जरिये हो सकते थे वे सब सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। आज नगरपालिकाओं के पास न वाटर वर्क्स है और न पावर हाउसेज़ हैं। वाटर वर्क्स और पॉवर हाउसेज की आमदनी हम नगरपालिकाओं को ट्रान्सफर करते वह उनके पास नहीं है। जमीन बेचने के अधिकार नगरपालिकाओं के थे वह भी अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट लागू करके राजस्थान की सरकार ने अपने हाथ में वह आमदनी ले ली। मैं समझता हूं कि व्हीकल्स का टैक्स आप लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का टैक्स आप लेते हैं, गाड़ियों का टैक्स आप लेते हैं, कुछ सेल्स टैक्स आप वसूल करते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस आप लेते हैं, ये सारे जितने भी आमदनी के जरिये शहरों में हो सकते हैं वे सारे सरकार ने अपने हाथ में 'ले रखे हैं और राजस्थान में सरकार ने नगरपालिकाओं को दीवालिया बना रखा है, पंगु बना रखा है, दाने दाने के लिए आज वह मोहताज है और पैसे पैसे के लिए बारबार मन्त्रियों के पास जाते हैं। अनुदान और सहायता के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। सड़कों का निर्माण, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते और राजस्थान की सरकार ने कॉन्सटीट्यूशन में लोकल बॉडीज़ के आधार पर जो सारे संविधान की रचना की गई है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। आज उनको शैशवकाल में ही पंगु बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बनाई उस कमेटी का निर्माण कई वर्षों पहले किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत सुधारने की दृष्टि से कौन कौन से टैक्स नगरपालिकाओं को दिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जायें। इस कमेटी का निर्माण सम्भवतः ७ वर्ष पहले सन् ५८ में किया गया था और जो कि आजकल विधि मन्त्री हैं उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का निर्माण किया गया था। उस कमेटी ने काम किया और सौभाग्य से मैं भी उसका मेम्बर था। कुछ दिनों के बाद आपने उस कमेटी को भंग कर दिया और आपने श्रीमान् बालकृष्ण कौल की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी गठित कर दी और उसमें भी मैं मेम्बर था, उस कमेटी ने भी काम किया। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष आये, एवीडेन्सेज हुईं, बैठ कर सारे विचार विमर्श हुए, प्रश्नोत्तर भेजे, लोगों के जवाब आये और रिपोर्ट करने से पहले आपने उस कमेटी को फिर भंग कर दिया और श्री टी० एन० चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तीसरी कमेटी आपने बना दी और तीसरी कमेटी ६१–६२ से काम कर रही है। आज ढाई-तीन साल होने को आये। एक अप्रेल, ६२ को उसका निर्माण किया गया था और आज १ अप्रेल, ६५ होने जा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि तीन साल में उस कमेटी ने क्या किया ? आज तक उसने रिपोर्ट नहीं दी है और अगर दी है तो सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया है। आज आप कई सालों से कमेटियों पर कमेटियां बनाते जा रहे हो। सदन में घोषणा करते हो, अखबारों में प्रचार करा लेते हो कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की हालत सुधारने के लिए कमेटी बना देते हैं। कमेटी का क्या होता है ? उनकी रिपोर्ट नहीं आती है और रिपोर्ट आती है तो आप निर्णय नहीं ले पाते हैं और अगर निर्णय लेते हैं तो उनको लागू नहीं कर पाते हैं। आप कानून बना देते हैं लेकिन कानून लागू नहीं होता है। आपने मनी लेन्डर्स बिल बनाया लेकिन वह लागू नहीं हुआ है। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज राजस्थान की नगरपालिकाओं की हालत अगर सरकार सुधारना चाहती है तो शहरी क्षेत्रों से जो माननीय सदस्य आये हैं तो शहरी क्षेत्र का सवाल खड़ा करके कोई प्रश्न खड़ा किया जाता हो; उस पर कोई विचार किया है कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की क्या हालत है?

आज, अध्यक्ष महोदय, स्लम्स का सवाल खड़ा हुआ है। गन्दे इलाकों, गन्दी बस्तियों, कच्ची बस्तियों में स्लम्स के बारे में आज तक सरकार ने राजस्थान में कोई नीति नहीं अपनाई है। स्लम्स क्लियरेन्स के बारे में न उन्होंने निर्णय किया है और न उनकी स्कीम दी है कि कच्ची, गन्दी बस्तियों में रहने वालों को स्वस्थ वातावरण में किस तरह से रखा जाय, कैसे उनकी बिल्डिगें वहां बनवा दी जायं, कैसे उनकी अवस्था को सुधारा जाय। आज राजस्थान की सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, जो गरीबों के समर्थन से समाजवाद के आधार पर दुनिया में नाम कमाना चाहती है ऐसी राजस्थान सरकार समाजवाद के नाम पर, गरीबों के नाम पर अमीरों की खिलाफत का दिखावा करके सदन में आ जाती है। राजस्थान की हुकूमत समाजवादी हुकूमत नहीं है। आप राजस्थान में जाकर देखिये मंत्री महोदय, जिस समय आप सदन से जायें तो हजारों लोग ऐसी बस्तियों में निवास करते हैं, ऐसी ऐसी बस्तियां हैं कि जिनके घरों में अगर कोई

Page No 45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आदमी मर जाय तो मुर्दे को नहीं ला सकते हैं कन्धों पर, सिवाय घसीट कर लाने के। इतना तंग रास्ता है। छोटे छोटे मकान हैं और एक एक कमरे में सारा परिवार रहता है, बीबी-बच्चे रहते है, जिस कमरे में उसी में और छोटे परिवार के लोग रहते हैं उसी में वे खाना बनाते हैं और उसी में सारे सोते हैं। आपने देखा है कि कैसी उनकी हालत है ? मंत्री महोदय, आप जिस संस्था और शासन का दम भरते हैं, जिस संस्था का सदस्य होने का दम भरते हैं कि यह तो गांधीजी की संस्था है तो गांधीजी तो हरिजन बस्तियों में ठहरा करते थे। आज आप हरिजन बस्तियों में नहीं जा सकते हैं। आप उनको अछूत समझते हैं। नारा तो आप अछूतोद्धार का लगाते हैं, लेकिन आप उनके पास में नहीं बैठते हैं। यहां पर ए० आइ० सी० सी० का अधिवेशन हुआ था, तब जवाहरलालजी नेहरू आये थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पाटिल, मुरारजी, मेनन और मालवीय आये थे तो वे कौन सी हरिजन बस्तियों में जाकर ठहरे थे। कौनसे वे घाट दरवाजे में, बोरदिया में ठहरे थे, कौनसे मोती डूंगरी में ठहरे थे, कौनसी पुरानी बस्ती की हरिजन बस्तियों में ठहरे थे ? कहां ठहरे ? कोई बिड़ला हाउस में ठहरा था, कोई पोद्दार पार्क में ठहरा था, कोई सर्किट हाउस में ठहरा था, दूसरे बनीपार्क के बड़े बड़े भवनों में ठहरे थे। वे आज हरिजन बस्तियों से घृणा करने लगे। आज आपकी नजर नहीं जाती है उनका उद्धार करने के लिए।

मैं, अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब करता हूं कि जिस रास्ते से मंत्रीजी जाते हैं, मिर्जा इस्माइल रोड और चौड़े रास्ते से, तो रास्ते में हथरोई का रास्ता पड़ता है जब कि सिविल लाइन्स में जाते हैं तो क्या कभी आप ने आंखें उठाकर देखा है कि ऊंचे ऊंचे टीलों पर कौन लोग रहते हैं, और कई वर्ष से रहते हैं ? जिनका कि कोई घर नहीं है, बार नहीं हैं, प्लॉट नहीं है, जमीन नहीं है, पट्टा नहीं है, मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है। वे वर्षों से जमीन पर पड़े हैं। बरसात आती है तो झोंपड़े गिर जाते हैं, कच्ची दीवारें गिर जाती हैं। आंधी आती है तो झोंपड़े उड़ जाते हैं। आपके पास उनको बसाने की योजना नहीं है। हां, आप एक काम कर सकते हैं। सरकार के हाथ में अधिकार है। सरकार यह कहती है कि कच्ची बस्तियां उन्हें पसन्द नहीं है। यह कहां से अपनी सड़क पर बसे हुए हैं, इनको उठा दो। पुलिस के सिपाही जायेंगे और उन झोपड़ियों को उखाड़ा जायेगा। नगरपालिका के प्रशासक जायेंगे, उनके आदमी जायेंगे और उन झोपड़ियों को उठा देंगे। वे इस बात की चिन्ता नहीं करेंगे कि जाड़ा है, इसमें ये कहां जायेंगे ? सरदी की कड़ी रातें हैं, तेज हवा हो और पड़ने वाले ओले हों लेकिन उसकी उनको चिन्ता नहीं। ओढ़ने के लिए उनके पास रजाई नहीं है, बिछाने के लिए गद्दी नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है। वे जमीन पर पड़े हैं। नीचे धरती और ऊपर आकाश है। उन दोनों के बीच में पड़े रहने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। यह राजस्थान सरकार गांधीजी और नेहरूजी के नाम को क्यों लजाती है ? उनका नाम लेने वाली यह सरकार और उसके मंत्री कभी गरीब बस्तियों में नहीं जाते हैं और न वहां के हाल देखते हैं। वहां की बाकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्थाओं का सवाल छोड़ दें, न वहां पर बिजली है न पानी है। उन लोगों के यहां पर आप नल नहीं लगा सकते हैं। आज सैकड़ों लोग पानी के लिए कतार लगाकर खड़े रहते हैं, अन्धेरे में ठोकरें खाते हैं, वहां पर आप बिजली के लट्टू नहीं लगाते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके साथ मजाक किया जाता है। चुनाव आता है तो शासन के मंत्री लोग वहां जाते हैं। उनका वहां स्वागत करते हैं। घारूजी जैसे लोग भोलेपन से उन मंत्रीजी का स्वागत करने के लिए मंच बनाते हैं, मालाएं लाते हैं, लाउडस्पीकर लाते हैं और मंत्रीजी कहते हैं और वहां पर आश्वासन दिया जाता है कि वहां पर नल और बिजली लगेगी। वे वोट डालने के लिए चले जाते हैं। वार्ड से उनका मेम्बर जीत गया। मंत्री जी आये थे और आश्वासन दे गए थे तो नल की टूंटी लग गई है। लोग पूछते हैं कि कहां लगी है तो वे कहते हैं कि वहां लगी है, आओ पानी भर लें और स्नान कर लें। नल की एक टूटी हथरोई के पास में लगाई गई। यह आश्वासन दिया गया था। नल की टूटी को खोला गया तो वह सू सू की आवाज करने लगी। किसी ने समझा कि पानी का प्रेशर नहीं है, किसी ने कहा कि पानी आ रहा होगा। किसी ने कहा कि कहीं कुछ टूटी में कुछ अटक गया हो तो किसी ने उस को झकझोरा तो वह डंडा बाहर निकल आया और फिर देखा कि पाइप नहीं है और डंडा खड़ा हुआ है। चुनाव हो गया। वोट मिल गये, उनकी पार्टी का आदमी जीत गया और लोगों के हाथ में टूटी का डंडा पकड़ा दिया। वहां पर पाइप लाइन का पता नहीं। उनके यहां बिजली के खम्भे लगाये गये और कहा गया कि बिजली लाई जायेगी। वे बेचारे भरोसे में आ जाते हैं। बिजली लग जाती है। माननीय मंत्री महोदय बिजली मंत्री को लाते हैं, उपमंत्री को लाते हैं। और कोई न मिले तो शिड्यूल्ड कास्ट का मंत्री तो मिल ही जाता है। वे कहते हैं कि बिजली का खम्भा लगना चाहिए तो बिजली का खम्भा लग जाय पहले तो लट्टू भी आ जायेगा। गरीब बस्तियों के लोग भोले होते हैं, हिन्दुस्तान के आदमी भोले होते हैं, उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट के और उनमें से भी हरिजन लोग सबसे ज्यादा भोले होते हैं। क्यों घारू जी ? मैं समझता हूं कि वे बोलते नहीं है क्योंकि सफेद टोपी लगाते हैं। मन में तो समझते हैं...

श्री हरिराम घारू (सिवाना) : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरिजनों के बारे में आप जो फर्मा रहे हैं तो मैं आपकी हमदर्दी की दाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी झोपड़ियों में आये नहीं, लेकिन सूर्य इतना ऊंचा होता है कि उसकी रोशनी सबको मिलती है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी ४० मेहतरों के बोर्डिंग खोले हैं जिनमें मेहतरों के लड़के पढ़ रहे हैं और मेहतरों और हरिजनों को साढ़े बारह पर्सेन्ट नौकरियों में ले रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम खुद समझते हैं और समझदार हैं।

श्री सतशीचन्द्र अग्रवाल : अगर आप इतने समझदार होते, इतने ताकतवर होते तो आज मंत्रि-मंडल का सदस्य हरिजन है क्या ? बताइये कोई है क्या ?

एक माननीय सदस्य : माननीय डांगीजी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे कैसे हैं, यह आप भी जानते हैं। मंत्रि-मंडल की मैं कहता हूं।

श्री हरिराम धारू : यह सब लीडर पर छोड़ा हुआ है। जैसा उचित समझे वैसा कर सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य, हरिरामजी अपने जगजीवनरामजी का भाषण पढ़ें जो कि अखबारों में अभी निकला है कि १५ साल के अपने शासन में कांग्रेस ने हरिजनों की उपेक्षा की है। हरिजनों के साथ में बड़ा घोर अन्यायपूर्ण वर्ताव किया गया है, उनकी उन्नति नहीं की गई है।

श्री हरिराम धारू : अध्यक्ष महोदय, इनको कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि ऐसा बोलने से अब वे कहां हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल ठीक बात है। इनके मन में यह डर है। कितने भोले हैं, अपने दिल की बात कह दी। जगजीवनरामजी सरकार में इसलिये नहीं हैं कि वे खिलाफ बोले थे और बोलने वालों का हाल क्या है, इसी डर से ये नहीं बोल रहे हैं। मन में तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन इनको डर है कि यदि तुमने खिलाफत की तो सन् ६७ में टिकट नहीं मिलेगा, और यदि टिकट मिला तो पैसा नहीं मिलेगा, यदि पैसा मिलेगा तो जीत नहीं पाओगे और जीत नहीं पाओगे तो इज्जत नहीं होगी।

श्री हरिराम धारू : यदि कहीं ऐसा टैक्स लगा दिया जिससे भंगियों के सोने के महल बना दें, इस तरह का टैक्स लग गया तो आप ही आड़े आ जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धारूजी आपने गुलाब का फूल लगा रखा है, लेकिन लोगों को गेंदे का फूल भी नहीं मिल रहा है। आप हरिजनों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं, सरकार की चापलूसी छोड़ कर उनके भले की बात कहो।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अभी तो आपकी तारीफ कर रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पन्नालाल-जी बारूपाल ने भाषण दिया है संसद में। अपने नेताओं के भाषण को पढ़ो, चौबीस घंटों की चापलूसी छोड़ो। आचार्यजी के और आपके रंग रूप में कोई फर्क नहीं है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मगरमच्छ के आंसू हैं, इन आंसुओं से सावधान रहना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मगरमच्छ के आंसुओं की दुहाई देते हैं, मछलियों के बारे में क्या कहना है ?

मैं निवेदन कर रहा था कि चुनाव के समय आपने लोगों को आश्वासन दिया था कि बिजली और नल लग जायगा लेकिन बिजली और नल नहीं आये। कहीं पर बिजली के खंभे गाड़ दिये, कहीं तार आ गया,तो कहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तार आ गया तो कहीं पर लट्टू भी लग गया लेकिन बिजली नहीं आई। आज कहीं खंभे खड़े हैं तो तार नहीं हैं और जहां तार और लट्टू हैं तो करेन्ट नहीं है। इस तरह की आज आपकी व्यवस्था है। स्लम्स क्लीयरेन्स के कार्यक्रम को चालू करना चाहिये था लेकिन नहीं किया गया। जयपुर में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने जमीन के पट्टे मांगे पर सरकार ने तय किया कि पट्टे नहीं देंगे, जमीन को नीलाम करेंगे। यू० आई० टी० जमीन को नीलाम करके पैसा कमाती है और अच्छी अच्छी बस्तियों में सड़कें बनाती है। सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिये। गरीबों और छोटे तबके के लोगों को कंसेशनल रेट पर जमीन देनी चाहिये। राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि ऐसे लोगों को जमीन दी जायगी लेकिन मुझे अफसोस होता है; जयपुर शहर के ७५,००० लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनको आज तक बसाने की योजना नहीं बनाई गई। घाट दरवाजे में रहने वाले रेगर और छोटे लोग जो हजारों की तादाद में हैं वे कहते हैं कि हमसे बरसात के समय पिछली बार सरकार ने कहा था कि तुम दर्ख्वास्त दे दो; दर्ख्वास्त भी दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। बरसात के दिनों में नारी के नाके के लोगों को कहा था कि उनको प्लॉट दिये जायेंगे, लेकिन नारी के नाके के लोगों को प्लॉट नहीं दिये और उन प्लॉटों को नीलाम कर रहे हैं, १५ रु० गज का भाव ले रहे हैं। गरीब लोग इस भाव से दाम नहीं दे सकते। कहा गया था कि छोटे लोगों को दो दो सौ गज के प्लॉट काट कर दिये जायं उन लोगों को जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनको सस्ती दर में ये प्लॉट दिये जायं, लोन दिया जाय और उनके मकान बनवाये जायं लेकिन यह सरकार उनको रहने के लिये मकान नहीं दे सकती, जमीन नहीं दे सकती। स्वायत्त शासन और लोकल बॉडीज़ का ध्यान इस ओर नहीं जाता।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया बेसिस पर एक सवाल खड़ा हुआ, जगह जगह खूब विरोध हुआ, सदन के माननीय सदस्यों ने काफी मांग की, हमें उनके साथ हमदर्दी है, राजस्थान के हरिजन सिर पर मैला उठाते हैं; आपकी नजरों में रिक्शा चलाना तो मानवता के विरुद्ध है लेकिन एक इन्सान का मैला दूसरे इन्सान द्वारा अपने सर पर उठाना इनकी दृष्टि में खराब बात नहीं है। इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती, सरकार की दृष्टि में नहीं होगी। इन्सान का मैला इन्सान सिर पर ले जावे इसके लिये मुख्य मंत्रीजी मानवता के खिलाफ इसको नहीं बतायेंगे। लेकिन एक इन्सान गाड़ी पर दूसरे आदमी को बैठा कर ले जाता है उसको मानवता के खिलाफ बतायेंगे, हम साइकल पर भी दो आदमियों को बैठा कर ले जाते हैं। यह आपका गलत दृष्टिकोण है। लेकिन इन्सान का मैला, नाइट सोइल दूसरा इन्सान सिर पर उठाकर ले जावे इससे ज्यादा घोर इन्सानियत और मानवता के विरुद्ध कोई काम हो नहीं सकता। केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि कंपोस्ट की गाड़ियों के लिये सहायता देंगे आप इसको रोक दीजिये सेन्ट पर्सेन्ट सहायता देंगे, नुकसान की पूर्ति करेंगे, मेरे पास कागज मौजूद हैं। मंत्रीजी चाहें तो देख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकते हैं लेकिन आज तक आपने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। अनेक स्थानों पर हरिजन मैला सिर पर उठाते हैं टट्टी उठाकर ले जाते हैं, यह घोर शर्म की बात है। सरकार को इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन अबे तक इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है नगरपालिकाओं के वैधकरण का सवाल खड़ा हुआ वैधकरण के सिलसिले में। पिछली बार मैंने सवाल खड़ा किया था और वह यह कि जयपुर शहर में आदर्श नगर की सड़कें हैं, खास तौर से मैं सरकार से जानना चाहता था कि आदर्शनगर की सड़कों का मालिक कौन है ? पी० डब्ल्यु० डी० वाले कहते हैं कि हम इनके मालिक नहीं हैं, यू० आई० टी० वाले कहते हैं हम इसके मालिक नहीं हैं रिहेबिलिटेशन वाले होंगे और वे कहते हैं म्युनिसिपैलिटी होगी और म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं हमें पता नहीं। तो कोई इसका मालिक है या भगवान मालिक है ? लेकिन सरकार आज तक यह नहीं कह सकी कि आदर्शनगर की सड़कों का मालिक कौन है, कौन सड़कें बनायेगा और कौन उनकी मरम्मत करेगा। पी० डब्ल्यु० डी० वालों को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम मरम्मत करने को तैयार हैं हमको ट्रान्सफर करा दीजिये। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कहता है कि रिहेबिलिटेशन वाले इसके मालिक हैं और रिहेबिलिटेशन वाले कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हम तो, वाइन्ड-अप हो गये। म्युनिसिपैलिटी कहती है कि चार दिवारी के बाहर है इसलिये हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है। याद रखिये पिछली बार मैंने कहा था कि सरकार को उत्तर देना चाहिये, नीति साफ घोषित करनी चाहिये। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप इसको हंसी मजाक में न लें, हल्के तरीके से न लें। रिक्शा वालों की भूख हड़ताल से आपका दिल पिघला नहीं है तो मैं आपके घर में आकर धरणा दूंगा, तब आप फैसला देंगे। आपमें मानवता नहीं है, इन्सानियत नहीं है। आप कह नहीं सकते कि आदर्श नगर की सड़कों का मालिक कौन है। आज उन सड़कों की हालत यह है कि उन पर लोग चल नहीं सकते, रिक्शा तांगा और मोटरें चल नहीं सकतीं, साइकलें चल नहीं सकतीं, लेकिन इसकी आपको चिन्ता नहीं है। शहर सामुदायिक विकास के बारे में अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल अपने भाषण में कहते हैं, यह राज्य सरकार कहती है कि अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेन्ट सेन्टर्स, शहर सामुदायिक विकास योजना लागू करना चाहते हैं। क्या हुआ उस योजना का ? क्यों नहीं उस स्कीम को चालू किया। इस बात की आपको चिन्ता नहीं है कि शहर सामुदायिक विकास योजना लागू हो न हो, मैला ढोने के लिये गाड़ियों की व्यवस्था की जाय या न की जाय, कच्ची बस्तियों को बिजली पानी की सुविधा मिले या न मिले, नगरपालिकाओं की सेवाएं मिलें न मिलें, नगरपालिकाओं की हालत सुधरे न सुधरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे न सुधरे, इसकी आपको चिन्ता नहीं। नगरपालिकों के कर्मचारियों का भत्ता बढ़े न बढ़े इसकी आपको चिन्ता नहीं लेकिन आपको चिन्ता इस बात की है कि बीकानेर नगरपालिका के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसको जायज़ करार दिया जाय, इस बात के लिये अध्यादेश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जारी हुआ, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सोचना चाहिये...

श्री हरिराम घारू : ओन एपोइन्ट ऑफ ऑडर। आपने तीन-चार दफा इस बात को दोहराया, आप हमारे धंधे की बात कहते हैं। टट्टी मैला या मिष्टा सिर पर उठा कर ले जाते हैं। यह काम नीचा या ऊंचा नहीं कहा जा सकता। यह तो परमार्थ का काम है। मैला उठाने का काम करने वाले नीचे या ऊंचे नहीं हो सकते। ये आपके विचार हैं। मुझे इससे ताल्लुक नहीं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं इसके कई गुण हैं, जैसे कि एक गऊ का चमड़ा भी काम में आता है, जैसे और पशुओं का चमड़ा काम में आता है उसी तरह यह मैला भी काम में आता है। इससे खाद बनती है और धान और गेहूं पैदा करने में काम में आती है। हम दोनों दृष्टि से इस काम को करते हैं और हम अपने आपमें इस काम को बुरा नहीं समझते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह भी कहें कि आपको बताने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिराम घारू : (सिवाना—सु०) वह तो मैंने कह दिया कि हम परमार्थ का काम करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि हरिराम घारू, जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैला सिर पर ढोने को बुरा नहीं समझते; बुरा नहीं समझते तो ढोयें और अगर कुछ कमी हो जायें तो मेरे घर पर आ जायें। आप खूब ढोयें।

श्री हरिराम घारू : यह तो आपकी जबरदस्ती है कि मुझसे यह कहलाना चाहते हैं, आप राज्य के बंगले में रहते हैं तो मैं राज्य के कमरे में रहता हूं। मुझे आप टट्टी उठाने को कहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपको तीन सौ रुपये दूंगा, आप मेरे यहां टट्टी उठा दीजिये। यह बुरा नहीं है कि आप मुझे टट्टी उठाने को बुलायें। मैं उससे नीचा नहीं हो जाऊंगा। वैसे मैंने आपको कह दिया, इसके लिए आप क्षमा करना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिये, हरिराम घारूजी।

श्री चंदनमल वैद (उप-मंत्री उद्योग): वही आप भी कीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने खडे होकर कह दिया इस व्यवस्था को आप अच्छा समझते हैं तो राज्य में यह व्यवस्था चालू रहनी चाहिए कि इन्सान इन्सान के मैले को सिर के ऊपर ढोये ? आप इसका समर्थन करते हैं कि जो हरिजन भाई हैं वह दूसरे इन्सानों का मैला सिर पर ढोकर ले जायें ? आप इसका समर्थन करते हैं तो मंत्री महोदय से कह दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा कि आपके घर की टट्टी साफ करें—वह नहीं कहना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): आपके यहां करनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके घर आना चाहिए, मेरे घर नहीं आना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, हमदर्दी सबके साथ है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मेरे यहां आने में इनको आपत्ति हो सकती है और आपके यहां आने में आपत्ति नहीं हो सकती । ठीक है, भाई भाई का मैला सिर पर ढोता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे तो आपकी भावना को देखते हैं ।

श्री चंदनमल वैद : हम तो भाई भाई हैं । आप तो नहीं हैं ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह अर्ज कर रहा हूं......

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बाप भी एक ही है क्या ?

श्री चंदनमल वैद : बिल्कुल, वह भी एक है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : २० साल से बेचारे से झोली उठवा ली । अब क्या और २५ साल उठवाओगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : "बेचारा" कहते हैं आपको ! अध्यक्षजी से कह दो; 'बेचारा' कहना अनुचित है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): है । अधिकार है तो मंत्रिमण्डल में स्थान क्यों नहीं देते ? सबसे नीची जाति का है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हांडा नहीं है, यह बुद्धिमान है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जो नगरपालिकायें हैं, उन नगरपालिकाओं में आज भी लगभग ७० नगरपालिकायें ऐसी हैं जिन नगरपालिकाओं के चुनाव हो जाने चाहिए थे और जिनके चुनाव नहीं हुए । इनमें से तीस नगरपालिकायें ऐसी हैं जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक कार्य कर रहे हैं और ३६ नगरपालिकायें ऐसी हैं......

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ४६ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३६ नगरपालिकायें ऐसी हैं कि जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस विधान सभा ने एक कानून पास किया है कि इस अवधि में नगरपालिकाओं के चुनाव हो जाने चाहिए । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितनी आपको अध्यादेश और ऑर्डिनेन्स जारी करने की चिन्ता रहती है उतनी आपने चिन्ता इस सम्बन्ध में क्यों नहीं की कि राजस्थान की आधी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं । वह जिस समय के अन्दर हो जाने चाहिए उस समय के अन्दर वह क्यों नहीं कराये । मैं समझता हूं लोकतंत्रीय शासन पद्धति में स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि में नहीं होना—इससे ज्यादा कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती । आज अगर विधान सभा के चुनाव नहीं करायें, पार्लियामेन्ट के चुनाव नहीं करायें तो क्या कोई कहेगा कि इस देश में संविधान है, कोई कानूनी राज्य है । इसी तरह से आप नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराते हैं, राजस्थान की आधी नगर-

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पालिकायें बिना चुनाव के चल रही हैं, उनकी अवधि बढ़ाई जा रही है, उनका समय बढ़ाया जा रहा है और वह अवधि भी किनकी बढ़ाई जा रही है, अध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस की नगरपालिकायें हैं, जो मंत्री महोदय की कृपा–पात्र नगरपालिकायें हैं उनका समय बढ़ा दिया गया है। और जो कांग्रेस की नगरपालिकायें नहीं हैं उनके अन्दर प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं। यह कौनसी नीति है, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यह कौनसा न्याय है। अगर आपको नगरपालिकाओं की अवधि बढ़ानी थी तो आपको सब नगरपालिकाओं की अवधि बढ़ानी चाहिए। अगर निश्चित अवधि में चनाव नहीं हो सकते थे तो सबकी अवधि बढ़ानी थी और अगर नहीं बढ़ानी थी तो सब नगरपालिकाओं के अन्दर प्रशासक नियुक्त कर देने चाहिए थे। सरकार ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि सरकार प्रशासक नियुक्त करेगी तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। लेकिन कुछ नगरपालिकाओं में कुछ व्यक्तिगत व्यक्ति भी प्रशासक नियुक्त किए गए। वे भले ही आज नहीं हों, आज हटा दिये गये हों, लेकिन यह कौनसा आधार है?

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बूंदी की नगरपालिका और पाटन की नगरपालिका का कार्यकाल तो बड़ा दिया लेकिन कोटा नगरपालिका और लाखेरी की नगरपालिका, जो जनसंघ की नगरपालिका हैं, इनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए— यह कौनसा आधार है। आपकी यह नगरपालिकायें एक ही जिले की हैं, फिर दो नगरपालिकाओं का कार्यकाल तो आप बढ़ा देते हैं और चुनी हुई नगरपालिकायें काम करती हैं और दूसरी ओर उसी जिले के अन्दर दूसरी नगरपालिकाओं के अन्दर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं। यह सरकार का न्याय नहीं है और सरकार संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रही है, आप बोनाफाइडी से काम नहीं कर रहे हैं, कानूनी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो शासन इस प्रकार की संस्थाओं के साथ भेदभाव की नीति अपनाता है वह शासन आज नहीं तो कल खत्म हो जायगा और वह शासन लोकतंत्र की नींव को मजबूत नहीं कर सकता है। नगरपालिकाओं के जीवन के साथ जो इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है उससे हिन्दुस्तान में यह विचार बनता जा रहा है, यह विचार चल रहा है कि यह हमने जो संघीय व्यवस्था लागू की है, फेडरल कॉन्स्टीट्यूशन लागू किया है, जिसके अनुसार अलग अलग विधान सभायें बनाई हैं, अलग अलग राज्य बनाये हैं-लेकिन क्योंकि इनमें झगड़े चल रहे हैं, लैंगवेज के सवाल को लेकर, भाषा के सवाल को लेकर ये झगड़े कर रहे हैं, सीम के सवाल पर झगड़े कर रहे हैं— इसलिए इस संघात्मक शासन, या फेडरल गवर्नमेंट के बजाय एकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए। और विधान सभा और अलग अलग राज्य के स्थान पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन्स्टीट्यूशन्स को मजबूत किया जाय, इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को ही मजबूत किया जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वस्थ लोकतंत्रीय परम्पराओं को कायम करने की दृष्टि से नगरपालिकाओं को मजबूत नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया, इन नगरपालिकाओं के आधार को मजबूत नहीं किया और इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को आजाद नहीं किया, इनकी आर्थिक हालत को नहीं सुधारा, इनको जमीन वेचने का अधिकार नहीं दिया और दुहरी शासन व्यवस्था—अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को समाप्त नहीं किया, तमाम कच्ची और गन्दी बस्तियों का उद्धार नहीं किया—तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन अध्यादेशों से कुछ नहीं होने वाला है। और बीकानेर म्यूनीसिपैलिटी रहे या नहीं रहे, उसके दुबारा चुनाव हो जायं या चुनाव नहीं हो जायं—इन सबसे कोई सरोकार नहीं है।

अब मैं इस सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, यह अपना प्रस्ताव पेश करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज के विषय में जो-जो बातें उठाई हैं-स्लम-क्लियरेन्स के बारे में और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अबोलिश करने के बारे में–इन सारी बातों की व्यवस्था के लिए कोई कानून लायें तो सदन उस पर विचार करके पास करेगा। लेकिन इसके विपरीत नगरपालिकाओं के बारे में वेलिडेटिंग बिल लाया जाय और वह इस प्रकार की परिस्थितियों में लाया जाय कि यह सब अधिकारियों की गलती से हुआ, एक आर्डर निकाला गया, एक नोटिफिकेशन निकला गया और उसको वापिस लेने का ख्याल न रहा और उसके बाद में लोग हाई कोर्ट में जायं और हाई कोर्ट का टाइम जाया हो जाय–इसकी आपको चिन्ता नहीं है और न ही जिनकी गलती थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है। आप आर्डिनेन्स जारी कर देना चाहते है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अध्यादेश जारी किया गया है, इस सदन के सदस्यों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उसे पास करें। वह इस अध्यादेश को अस्वीकार करें और उसके बाद बीकानेर में दुबारा चुनाव हो जायं तो हो जायं। दुबारा चुनाव भी होते ही हैं, केरल में अभी मध्यावधि में चुनाव हुए हैं। इससे पहले केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर गई थी तो दुबारा चुनाव हुए ही थे। फिर यहां क्यों नहीं करते हैं ? इसलिए मैंने संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है वह सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का समर्थन करता है इसलिए इस संकल्प को वे पास करेंगे और इस अध्यादेश को अस्वीकार करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व बोलने वाले भाई ने हमारी राजस्थान सरकार की स्वायत्त शासन संस्थाओं के लिए किये जो कारनामे हैं वे आपको बतलायें। मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश जारी किया गया है वह खास तौर से हमारे मंत्री महोदय के पक्षपातपूर्ण तरीके के कारण और दो म्युनिसिपैलटियों को मद्दे नजर रखते हुए किया गया है। बीकानेर म्यूनीसिपैलिटी को, मैं जानता हूं, राजस्थान की सारी म्यूनीसिपैलिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वायत्त शासन की संस्था बना रहे हैं और उस संस्था का कर्तव्य यह है कि वह म्युनिसिपेलिटियों के जितने अधिकार हों उनको लेकर संघर्ष करे और उसके अध्यक्ष हैं वे माननीय मंत्रीजी के काफी नजदीकी हैं, उसके बारे में कल भी काफी वादविवाद हुआ है और हमेशा सदन इस बात को मानता आया है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जावे। कहां तक कहें, स्वायत्त शासन में बहुत अनियमितताएं होती आई हैं और वह आपके सामने हैं। मैं यह कहूंगा कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी का दिल और दिमाग स्वायत्त शासन की ओर काम करने का और म्युनिसिपैलिटीज की ओर करने का कम है बल्कि मैं यह कहूंगा कि आप ऐशो आराम में जिन्दगी बिताना चाहते हैं। ऐशो आराम में जब आपका दिल और दिमाग मिल जाता है तो आपको समय म्यूनिसिपैलिटीज के कार्य में देने को नहीं मिलता। और इसलिये इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर कोई नगरपालिका के लिये डाइरेक्टर से बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि अगर आपको किसी भी काम को कराना है तो आप मंत्री महोदय से जाकर मिलिये अन्यथा आपका काम हो नहीं सकता, मंत्री महोदय से मिलेंगे तो आपका काम हो सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जनता की सरकार है या आपकी पार्टी की सरकार है। मैं यह कहूंगा कि जहां कहीं आपकी कांग्रेस की बड़ी का बोर्ड बन जावे तो आप मदद करते हैं और यदि जहां पर विरोधियों की म्युनिसिपैलिटीज बन जाती हैं तो उसके बारे में काफी पक्षपात होता है और उनको कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। हमारे यहां लाखेरी, नेनवा, पाटन की म्युनिसिपैलिटीज हैं, वहां पर आपने दोनों जगह तो मयाद बढ़ा दी लेकिन लाखेरी में आपने प्रशासन अधिकारी को भेज दिया। वे प्रशासन अधिकारी मंत्री महोदय के रिलेटेड हैं और जोधपुर के रहने वाले हैं और उनके निजी आदमी हैं और उनके रिश्तेदार हैं...

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं।

श्री हरिप्रसाद : वे जोधपुर के रहने वाले तो हैं। रिटायर्ड हैं। उनको प्रशासन अधिकारी बना कर भेजने से क्या मतलब है? वे देवराजजी भंडारीजी हैं। जब से वे लाखेरी में आये हैं तब से...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : देवराजजी भंडारी हैं, फिर इनके रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनकी बीबी कौनसी मुसलमान है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रश्न भंडारीजी का है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो म्युनिसिपैलिटीज कांग्रेस की हैं और वहां से योजनाएं आती हैं उनको कार्यरूप में परिणत किया जाता है। मगर अध्यक्ष महोदय, लाखेरी की म्युनिसिपैलिटी एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी है जिसका कोई कर्जा नहीं है। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने नल योजना का चीफ मिनिस्टर से उद्घाटन कराया था। उसके लिये ८० हजार रुपये की योजना बनाई, लेकिन पानी निकलता है उसके लिये नाली बनवाने के लिये कर्जा लेने की स्कीम भेजी मगर आपने उसके लिये कोई पैसा नहीं दिया। जब भी आपके पास गये तो यही कहा कि कांग्रेस की नगरपालिका रहती तो

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हम शायद इस पर विचार करते। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्रि मंडल से हमारी डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। वे यही चाहते हैं कि कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटीज़ हों और वे चलती रहें और दूसरी पार्टी की म्युनिसिपैलिटी हों वहां पर प्रशासक बिठा दिया जाता है। इससे जनता को मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, पहले जो मनोरंजन कर म्युनिसिपैलिटीज़ को मिलता था वह मनोरंजन कर म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि लाखेरी की नगरपालिका के बीच वहां की सीमेंट कम्पनी का बहुत बड़ा अड़ंगा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां की म्युनिसिपैलिटी से मिला हुआ एक आनन्दपुर शहर है। इसको शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी भी सीमेंट कम्पनी ने हजारों बीघा जमीन रिजर्व कर रखी है और शहर में सिनेमा हॉल, दूकानें आदि की हदबन्दी कर दी है। प्रशासक महोदय ने सीमेंट कंपनी से मिल कर सारे केसेज़ कम्पनी के खिलाफ से, कम्पनी के कहने में आकर करीब २०० चालान लाखेरी की अदालत में चल रहे थे, उनको खतम कर दिये। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जहां पर म्युनिसिपैलिटीज़ कांग्रेस की होती है वहां तो आप मियाद बढ़ा देते हैं और दूसरी जगह नहीं। इसके अलावा जहां विरोधियों की म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं वहां पर कोई काम भी नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि आप विरोधी पार्टीज़ को खतम करने के लिये ऐसा करते हैं। इसलिये ऑर्डिनेन्स के बारे में मैंने एक प्रस्ताव रखा है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक का भला और नगरपालिका का भला किसमें है इसको देखा जावे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश हमारे सामने आया है, उसके सम्बन्ध में हमारे सचेतक और दूसरे माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। इस अध्यादेश को लाने का एक मात्र कारण यह है कि जो सन् १९६२ में एक नोटिफिकेशन जो जारी किया किया गया उसको रद्द नहीं करने के कारण चुनाव समाप्त होने पर हाई कोर्ट में रिट की गई और हाई कोर्ट ने बीकानेर नगरपालिका के चुनाव को रद्द कर दिया। उसको रद्द करने के बाद भी वे चुनाव वैसे के वैसे बने रहें, उसके लिये सरकार यह ऑर्डिनेन्स लाई है। मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आवश्यक नहीं है। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं सोचा और इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द इस ऑर्डिनेन्स द्वारा करने से, हाई कोर्ट के निर्णय को इस प्रकार बेअसर करने से, साधारण व्यक्ति पर इसका क्या असर होगा, क्या इसका भी आपने कभी अन्दाजा लगाया है। एक बीकानेर में रहने वाला साधारण व्यक्ति जो जनतन्त्र में विश्वास रखता है, वह जुडिशियरी में पूरा विश्वास रख कर चलता है और वह यह समझता है कि उसका हित अगर है तो वह जुडिशियरी की वजह से ही है। वह जुडिशियरी को सबसे ऊपर मानता है और यही मानकर वह चलता है। वह आपकी क्या मंशा है इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। यदि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आप हाई कोर्ट के निर्णय को बेअसर कर देते हैं तो उसके दिमाग में यह बात आएगी कि सरकार बड़ी है और हाई कोर्ट छोटी है। सरकार के हाथ बड़े हैं और हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। जब उसको मालूम पड़ता है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसको सरकार ने बेअसर कर दिया। यह ठीक है कि कांग्रेस का बहुमत होकर दुबारा चुनाव हो, कुछ भी धारणा हो सकती है। मगर यह उसके लिये मानना जरूरी होगा कि हाई कोर्ट से बढ़ कर सरकार के हाथ हैं

श्री गिरधारीलाल व्यास : लेजिस्लेचर के हाथ बड़े हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेजिस्लेचर में तो अब आप आये हैं।

मैं यह कहूंगा कि यह कोई डेमोक्रेसी का ढंग नहीं है। आपको लोगों में आस्था पैदा करनी होगी कि जुडिशियरी को सबसे ऊपर बना कर रखें। मैं यह कहूंगा कि इससे जुडिशियरी की किसी प्रकार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आवे, इसके लिये आपको ध्यान देना होगा। एक गलती सरकार ने की और बीकानेर को आपने बचा लिया। ठीक है आपने यह काम पूरा कर दिया, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे पूर्व कई नगरपालिकाओं में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई जहां पर सिर्फ टैक्निकल पॉइन्ट पर रद्द कर दी या १५ दिन या दो महीने की कोई गलती रह गई, इस कारण हाई कोर्ट ने रद्द किया तो क्या उस समय सरकार ऑर्डिनेन्स लेकर आई ? नहीं आई। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव थोड़ी सी टैक्निकल पॉइन्ट की कमी के कारण खारिज कर दिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोटा में नगरपालिका का चुनाव १९५९ में हुआ। चुनाव हो जाते हैं। बहुमत कोटा नगरपरिषद में कांग्रेस का नहीं होता है। जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी बनती है। उसके आप एक छोटे से पोइन्ट को लेकर रिट में गये और स्टे लाये। वहां एडमिनिस्ट्रेटर दो साल तक बिठाया गया और वह डिलीशन के आधार पर। क्या सरकार उस समय कोई ऑर्डिनेन्स लाई थी? आज आप इस तरह की बातें करते हैं, मैं यह कहूंगा कि यह बिल्कुल साफ है कि आप बीकानेर की नगरपालिका को बचाने के लिये ऐसा ऑर्डिनेन्स लेकर आये हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल एक चाल है; विशेष राजनैतिक दल को, कांग्रेस दल को सत्तारूढ़ दल बनाये रखने के लिए यह तरीका अपनाया है।

अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि १४१ नगरपालिकाओं में से ६२ नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये, बाकी बची ७९ में से ३० में प्रशासन चालू कर रखा है, बाकी ४९ में एक्स्टेन्शन दे रखा है ओर यह सब मनमानी करने में किसी को न्याय के तराजू पर नहीं तोला गया, आपने केवल अपने दल के हित को देखा है। जहां कांग्रेस दल का बहुमत था वहां एक्स्टेन्शन दे दिया और जहां दूसरे दल बहुमत में थे वहां आपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोटा नगर परिषद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में आप अगर एक पैसे का भी घोटाला इलेक्टेड मैम्बर की ओर से साबित कर दें तो मैं विधान सभा से ही इस्तीफा नहीं दे दूंगा बल्कि राजनीति से सन्यास ले लूंगा। हो सकता है, कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ हों इन इर्रेगुलेरिटीज़ के आधार पर आप इस प्रकार की कार्यवाही करके जनतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं। आपने तो बड़े बड़े गबन दबाये हैं।

जब से कोटा में प्रशासक आये हैं, मैं कांग्रेस सरकार को, ट्रेजरी बैंचेज को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप सावधान होकर चलिये। कोटा में प्रशासन लागू किया है, आपने बार बार कहा है नगरपालिकाएं अपने क्षेत्रों में हाउस टैक्स नहीं लगा रही हैं। हमने हाउस को मेन्डेटरी बना दिया है, फिर भी नगरपालिकाएं हाउस टैक्स वसूल नहीं कर रही हैं। यह बात सरकार तब तक करती रही जब तक कि चुने हुए व्यक्ति थे। जहां जहां पहले चुने हुए व्यक्ति थे वहां सरकार ने बार बार प्रेशर डाला कि हाउस टैक्स लगाओ। फिर भी उन्होंने नहीं लगाया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां एड-मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये हैं क्या वहां उन्होंने हाउस टैक्स लगाया है? आपने हाउस टैक्स लगाने के आदेश दिये लेकिन फिर मौखिक कह दिया कि बोलो मत चुप्पी लगा जाओ हाउस टैक्स मत लगाओ। कोटा में जब एड्मिनिस्ट्रेटर गया तो एक महीने के अन्दर उसने हाउस टैक्स लगाने को कहा, हाउस टैक्स का दफ्तर चालू कर दिया, नियुक्तियां हो गईं पर सरकार ने ऊपर से आदेश दे दिये कि हाउस टैक्स नहीं लगाया जाय।

आप सावधान होकर चलिये, प्रशासन-काल में यदि आप हाउस टैक्स उन नगर-पालिकाओं में नहीं लगा पाये जहां कि आपने प्रशासक नियुक्त किये हैं तो उन क्षेत्रों में हाउस टैक्स कभी नहीं लगायेंगे। जैसे ही नगरपालिका या नगर परिषद चुन कर कार्य क्षेत्र में आती है, उनमें अगर विरोधी दल का बहुमत आ जाता है तो सरकार की ओर से टांग अड़ाई जाती है, चढ़े हुए पानी के पैसों की वसूली करने के लिये, चढ़े हुए बिजली के पैसों को वसूल करने के लिये सरकार की ओर से टांग अड़ाई जाती है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि एड्-मिनिस्ट्रेटर के काल में ही कोटा में इन बकाया रकमों को वसूल कर लीजिये नहीं तो चुनाव हो जाने के बाद मैं उसके विरोध में यहां विरोध करूंगा।

आज सरकार की ओर से ढोल पीटे जाते हैं कि हमने परिगणित जातियों के सुधार के कार्य किये हैं। मैं भाई धारूजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में एड्मिनिस्ट्रेटर के काल में हरिजन भाइयों का मंदिर जो बोलों और चमारों के द्वारा बनाया हुआ था, अपनी शराब की आदत को छोड़ कर एक एक रुपया काट काट कर उन्होंने ४०–५० हजार रुपया इकट्ठा किया और उससे वे मन्दिर का निर्माण कर रहे हैं। मन्दिर ही नहीं, वहां आपस में बैठ कर बात-चीत कर सकते हैं, इतना अच्छा स्थान बनाया, उस मन्दिर को आपके प्रशासक महोदय ने अभी अभी तुड़वा दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : धारूजी वहां हड़ताल करेंगे ?

श्री हरिराम धारू (सिवाना सु०) : उन्होंने मंजूरी नहीं मांगी होगी कानून के अनुसार ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, उस क्षेत्र से जो माननीय सदस्या चुन कर आई हैं, उन्होंने खुद ने वहां जाकर देखा है । एड्मिनिस्ट्रेटर कमिश्नर पर डाल देता है, कमिश्नर एड्-मिनिस्ट्रेटर पर डाल देता है । उस मंदिर को बनाने की स्वीकृति ले ली गई थी । जब पूछा गया कि मन्दिर क्यों तोड़ा गया जब कि मंजूरी ले ली गई थी तो कहा कि मंदिर की मंजूरी देने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी को नहीं है तो हमने कहा कि फिर आपने तुड़वाया कैसे ? कोई जवाब नहीं ।

एक क्षेत्र है नयापुरा बाड़ा, वहां कालपुरा बस्ती की झोंपड़ियां हैं, उनमें लगभग चार सौ, पांच सौ परिवार आपकी जाति के हैं और वे व्यक्ति उस क्षेत्र में आज से नहीं ६०–६५ वर्ष से रहते आ रहे हैं । ये व्यक्ति उस समय आकर बसे थे जब कि राजस्थान में लाल बुखार आया था । कोटा राज्य के समय में इन व्यक्तियों को वहां बसा दिया था, इन्होंने इस क्षेत्र को आबाद किया और कच्चे मकान झोंपड़ियां बना कर रहने लगे । धीरे धीरे म्युनिसिपैलिटी ने दो दो आना तीन तीन आना नोमिनल किराया वसूल करना शुरू कर दिया । जब नोमिनल किराया वसूल करना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारी बहुत दुहाई देते हैं, हमें इन जमीनों के पट्टे दे दीजिये, नगरपालिका ने सरकार को रिकमन्ड करके भेजा पर उन परिवारों को कोटा के प्रशासक के प्रशासन-काल में मकानों से बेदखल करने, मकानों को खाली करने के नोटिस दे दिये गये हैं । मुझे तो मालूम हुआ है कि वहां की नगरपरिषद द्वारा भेजे गये कागजों पर सरकार द्वारा तीन रुपया प्रति गज़ वह जमीनें उन लोगों को दे देने का निर्णय हो चुका है, पर पता नहीं वह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग में पड़े हुए हैं या कोटा भेज दिये गये हैं ।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल उत्थान की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा, पिछड़ी जाति के लोग, परिगणित जातियों के आदमी जो शहरों में पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको उठाना होगा, उनको राहत देनी होगी ।

मंदिर तुड़वाने के बारे में कालपुरा में रहने वाले व्यक्तियों की जमीनों के बारे में सरकार को केवल मामले रेगुलराइज़ करने हैं । जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहां किनारों की जमीन कट रही है । कोटा का बांध बना है, उसके बाद पानी के कटाव के कारण गढ़ की बड़ी बड़ी दीवारें टूट गई हैं, उधर हरिजनों की बस्तियां हैं, वहां १५० मकान हरिजनों के बसे हुए हैं, धीरे धीरे नदी से वह स्थान कट रहा है, पर आज तक उन बस्तियों को दूसरे स्थान पर बसाने का सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया । वहां स्लम एरियाज़ बने हुए हैं पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा एड देकर सरकार की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ओर से उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

आप केवल नारे लगाते हैं। कोटा नगर परिषद के बारे में आपने घोषणा की है कि बकाया म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव मई में करा देंगे।

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से इस सदन में स्पेसिफिक कमिटमेंट चाहूंगा कि कौन सी तिथि को चुनाव कराने का निर्णय किया है। कई साल हो गए आपको घोषणा करते करते। कोटा नगर परिषद के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं प्रशासक काल के अंदर उनका विभाजन किसी आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर नहीं, प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं, केवल इसी आधार पर किया गया है कि अमुक क्षेत्र से हम किस प्रकार से बहुमत के अंदर बनकर आएं। एक वार्ड लगभग ६–६, ७–७ मील पर पहुंच चुका। एक तो है किशोरपुरा। इस वार्ड की सीमा लगभग ६ मील है। विधान सभा के चुनाव के अंदर भी प्रचार करने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता जितना किशोरपुरा वार्ड के चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। इसी प्रकार कुलाई वार्ड भी ६ मील है और सबसे बड़ी हंसी की बात है और दुख भी होता है कि जिस समय वार्ड की डीलिमिटेशन करने आपने आपत्तियों के लिए गजट के अंदर प्रकाशित किया उसके अंदर कुछ और रूपरेखा थी। उदाहरण के लिए कुलाई और नानता वार्ड अलग अलग बताए गए हैं जब प्रारूप प्रकाशित किया था और वार्डों की जो फाइनल लिस्ट प्रकाशित हुई उसके अंदर दूसरी चीज बताई गई। कुलाई और नानता को एक वार्ड कर दिया और डबल मेम्बर वार्ड बना दिया; एक रिज़र्व्ड सीट और एक जनरल सीट, जब कि नयापुरा जिसको आरंभ के अंदर डबल मैम्बर बनाकर प्रकाशित किया गया था। जब वह प्रारूप असली रूप के अंदर प्रकाशित हुआ नयापुरा उसके दो वार्ड बना दिए गए तो वार्ड का विभाजन भी राजनैतिक आधार पर हुआ। वोटर्स की लिस्ट बनाई गई। आपको समय समय पर रिप्रेज़ेन्टेशन्स आए, उनमें बताया गया कि लगभग प्रत्येक वार्ड के अन्दर स्थिति इस प्रकार है कि २५ प्रतिशत व्यक्ति एक वार्ड से हटकर दूसरे वार्ड में चला गया है और दूसरे २५ प्रतिशत व्यक्ति नए वार्डों में आ गए। लगभग ३०–३५ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के अंदर एक प्रावधान है जिसमें व्यवस्था की गई है कि नगर परिषदों के अंदर जो वोटर्स लिस्ट हो उसका एन्युअल रिवीजन होना चाहिए, लेकिन कोई रिवीज़न नहीं हुआ। १६६२ की वोटर्स लिस्ट के आधार पर नई लिस्टें तैयार की गई हैं। उनका कहना है कि कानून के अनुसार हर व्यक्ति को जो अपना नाम जुड़वाना चाहे, उसको कार्यालय के अंदर उपस्थित होना पड़ेगा। आज की स्थिति में चाहे कोई पढ़ा लिखा भी हो वह इतना जागरूक नहीं है कि स्वयं जाकर अपना नाम जुड़वाए। हो सकता है कि चुनाव में खड़े होने वाला व्यक्ति गाड़ी किराए पर लेकर उसको वहां ले जाय और जुड़वा दे तो आज स्थिति यह है कि लगभग ३० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो वोट देने से महरूम हैं, उनके नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं हैं। तो चुनाव विभाग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और स्वायत्त शासन विभाग को कम से कम जब इलेक्शन कराया जाता है और इतनी अव्यवस्था बताई गई है, तो उनको चाहिए कि दुबारा उन लिस्टों को बनाएं और उनसे कहें कि सैनीटरी इन्सपेक्टर्स और सिपाहियों की मदद लेकर उनको कम्पलीट करे और ७–८ दिन के अंदर वापिस निर्वाचन अधिकारी के पास भेजें तब जितने भी व्यक्ति वोट देने वाले हैं वे उनमें आ सकते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रशासन काल के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करिए। कोटा नगर के अंदर, खास तौर से मंडी कमेटी की समस्या है वह सबसे भयंकर है, वहां नगर परिषद और मंडी कमेटी में तालमेल नहीं, दोनों में झगड़ा है। कोटा नगर में मंडी कमेटी का रहना हर प्रकार से नगर परिषद के अधिकारों पर कुठाराघात है। आप मंडी कमेटी के सारे अधिकार नगर परिषद को दें और जो मास्टर प्लान बन रहा है उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार नगर परिषद को दें। अगर किसी की जमीन के पास में एक फुट भी जमीन आ जाती है तो मंडी कमेटी उसके लिए पैसा ले लेती है लेकिन डेवलपमेंट का भार नगर परिषद पर है। इन खामियों को पूरा करके आप एडमिनिस्ट्रेटर काल को समाप्त करें ताकि कल जो भी पार्टी चुनकर आएगी कोटा शहर के अंदर उसके लिए परेशानी न हो। यह आवश्यक है कि जितनी भी कम्प्लीकेशन्स मंडी कमेटी के कारण उपस्थित हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करें।

आज प्रशासक काल के अंदर स्थिति यह है कि कोटा जैसे बड़े शहर में जहां डेढ़ या पौने दो लाख की आबादी है वहां आपने एडीशनल कलेक्टर को प्रशासक बनाकर रखा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रशासक मुश्किल से एक घंटा डिवोट कर पाता हो वह कोटा के इन्टरेस्ट के लिए क्या कर सकता है। वहां दलबंदियां हो गई हैं। सारे का सारा स्टाफ दो भागों में बंट गया है, एक कमिश्नर का दल और एक एडमिनिस्ट्रेटर का दल। एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर के दल के व्यक्तियों को सस्पेंड कर रहा है, ट्रांस्फर कर रहा है। इस प्रकार की दलबंदी वहां पर चल रही है, उसे समाप्त करना जरूरी है। अगर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ही बैठाना चाहते हैं तो फुल-टाइम प्रशासक रखिए, लेकिन वहां तो एक घंटे के अन्दर प्रशासन हो रहा है।

बारां के अंदर जो नगरपालिका है वहां के घोटाले को सुनेंगे तो ताज्जुब हो जायगा। वहां एक बिजली कमेटी है उसके कन्वीनर के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने बिजली का सामान नगरपालिका से लेकर अपने घर के काम में लगाया। वहां के कमिश्नर ने कन्वीनर के नाम व्यक्तिगत रूप से चैक्स जारी किए। ऑडिट ने ऐतराज किया है कि यह इल्लीगल है, लेकिन सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही कन्वीनर के खिलाफ नहीं करने वाली है। आज जनता द्वारा मांग की जा रही है कि बिजलीघर को अपने कन्ट्रोल में ले, लेकिन सरकार उस पर अधिकार करने को तैयार नहीं। न तो कन्वीनर के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लेने को तैयार है क्योंकि वह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आदमी है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : कौन सी कमेटी है वह ?

Page No 61

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : बारां नगरपालिका में सब कमेटी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): बिजली का नाम आ जाय तो उठ कर खड़े हो जाते हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बिजली कमेटी का तार नंगा है, शाक लग गया ।

श्री अध्यक्ष : तारीफ की बात है कि कितने सतर्क हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, बारां नगरपालिका के अन्दर जो सब कमेटियां हैं उनमें से एक बिजली कमेटी भी है । उसके कन्वीनर श्री अब्दुलअजीज रहमान हैं । उन महोदय ने उनसे सम्बन्धित विभाग के स्टोर का सारा सामान, जो हजारों रुपयों का है, उनकी जो मोटरें चलती है उनमें काम में ले लिया । कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने एक फण्ड से चैक काट कर दिया जिसका नगरपालिका के काम से कोई सम्बन्ध नहीं है और अपने काम में ले लिया । ऑडिटर ने इस पर रिमार्क लगाया है, लेकिन सरकार उन सब पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि वे उनके दल के आदमी हैं ।

बारां में जो काण्ड हुआ है, ऐसा लगता है कि वहां मुहम्मद तुग़लक का शासन चल रहा हो । दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली । वार्ड नम्बर दो के अन्दर एक गोल कमरा है, एक बिल्डिग है जिसको गोल कमरा कहते हैं, वह म्युनिसिपल बिल्डिग के भी काम आती है, वहां पर बरसाती पानी काफी इकट्ठा हो जाता है, उसको निकालने के लिए और उसकी सफाई रखने के लिए एक योजना एडमिनिस्ट्रेटर के काल में, सन् ६३ में बनायी गयी थी और उस योजना पर सात हजार रुपया खर्च किया गया । उसके अलावा जो तीस–चालीस व्यक्तियों की दूकानें थीं उनके एक खण्ड को तो बिलकुल ही तोड़ दिया गया और सात हजार रुपया खर्च करके नालियां बनायी गईं । अध्यक्ष महोदय, जब ६४ में दुबारा चुनाव हुए तो जिस स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर ने तामीर करायी थी उसको दुबारा तुड़वाया गया और ६ हजार रुपया और खर्च किया गया और नयी तामीर की । उसके बाद अभी अभी फरवरी ६५ में उसी गोल कमरे में दुबारा ८ हजार रुपये का एस्टीमेट बना कर काम आरम्भ कराया । जो काम वहां पर दुबारा हो चुका था उसको फिर से तुड़वा कर तीसरी बार वहां पर काम आरम्भ कराया गया । इस प्रकार २१ से २५ हजार रुपयों के बीच में एक ही काम के लिए खर्च किये गये । दो बार बने हुए काम को तीसरी बार तुड़वा कर खर्च किया जा रहा है । तीस–चालीस आदमियों की तो दुकानों के एक एक खण्ड तो बिलकुल ही तुड़वा दिये गये । इससे उन दूकानदारों को भी हजारों रुपया का नुकसान हुआ । बारां नगरपालिका में बिना टेन्डर की जांच कराये ठेके मंजूर कर लिये जाते हैं, मनमाने तरीके से जिनको चाहा उनको ठेके दे दिये जाते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं है । अकाउन्ट्स के माने में कानून का किसी प्रकार भी पालन नहीं हो रहा है ।

मैं एक निवेदन करना भूल गया । आपके प्रशासन काल में बीस हजार रुपये

(श्री (कृष्णकुमार गोयल)

का कोटा में गबन हुआ। आप कहते हैं कि हमने प्रिआॅडिट इन्ट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद २० हजार रुपयों का गबन एक व्यक्ति के द्वारा किया गया यह पाया गया। लेकिन गबन और घोटाले रुक नहीं सकते चाहे जैसे आप सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर दीजिये। जो ईमानदारी और सच्चाई से काम करने वाली नगरपालिकायें हैं उनके हाथ में आपको नगरपालिकाओं की सत्ता देनी पड़ेगी। आपको उनको अधिकार देने पड़ेंगे।

एक निवेदन और करूंगा। बारां में सन् १९६१ में २।। हजार का गबन खजान्ची श्री किशन स्वरूप के द्वारा किया गया। आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही पुलिस और नगरपालिका के अन्दर नहीं की गई। वह व्यक्ति २।। हजार रुपया लेकर फरार हो गया और उसके साथ बेचारे ड्राइवर मोतीलाल है उसकी पत्नी को भी फरार करके भाग गया। आज तक सरकार की ओर से कोई जांच नहीं। आंख मींच कर सरकार अन्धा-धुन्धी काम कर रही है। सरकार स्वायत्त शासन के नाम पर एक प्रचार करती है, "काम करो, नाम लो और प्रचार करो और पैसा लो;" किसी तरह से कांग्रेस सरकार को बहुमत में लाकर काम करने दें, चाहे घोटाले करो चाहे कुछ करो।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अध्यादेश लाने से काम नहीं चलेगा। आप अपना ईमान साफ रखिये। आपका काम साफ रखिये। आप नगरपालिका को अपने पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य दीजिये और उनको सत्ता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : मैं यह चाहूँगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको आप अब कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब बहस का उत्तर भी दे दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ! इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। आॅर्डिनेन्स और बिल की डिबेट में मैटीरियली बहस तो एक ही होने वाली है। इसलिए सारे वाद-विवाद पहले हो जांय और फिर मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उनको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिलेक्ट कमेटी और जनमत जानने के जिनके प्रस्ताव हैं उनको तो मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : इस बहस के उत्तर में मंत्री महोदय अभी जवाब दे दें और बाकी बहस ! का बाद में उत्तर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओवर ऑल वही डिस्कशन होगा इसलिए पहले सब बहस हो जाय और फिर मंत्री महोदय जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है। सारी एक साथ बहस हो जावेगी।

[विधेयक पर निम्न अन्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

(१) श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)
श्री केदारनाथ (गंगानगर)
श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)
श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)
श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

"राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को एक माह। छः माह। तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

(२) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)
श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा)
श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

"राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन में। एक सप्ताह में तीन माह के पूर्व। एक सप्ताह में। तीन दिवस में। एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी।)

(३) श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

"राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तरन अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चक विधेयक कतिपय नगरपालिकाओं के लिए हमारी सरकार लायी है उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पर सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि यह अध्यादेश लाने की जरूरत इस सरकार को इसलिए हुई कि बीकानेर नगरपालिका और भीनासर और गंगाशहर नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं जिनके बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय में जो रिट पिटीशन हुई और उन चुनावों को अवैध घोषित किया गया। उन निर्णयों के खिलाफ हमारी सरकार ने यह एक अध्यादेश जारी किया है जिसके आधार पर तीनों नगरपालिकाओं के अलग अलग चुनाव हुए हैं उनको वैध घोषित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने एक नीति बनायी और २५ तारीख को एक घोषणाकी और एक नोटिस निकाला किये

Page No 64

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तीनों नगरपालिकायें एक नगरपालिका के अन्दर ही रहेंगी और इन तीनों नगरपालिकाओं का क्षेत्र है वह बीकानेर नगरपालिका क्षेत्र कहलायेगा, उसके विपरीत जब चुनाव कराने का समय आया तो भीनासर, गंगाशहर और बीकानेर इन तीनों नगरपालिकाओं को अलग अलग मान कर चुनाव कराये। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब २५ तारीख को इस प्रकार का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया, एक ही नगरपालिका रहेगी, उसका क्षेत्रफल एक रहेगा; फिर समझ में नहीं आता कि ऐसे कौनसे आधार पैदा हो गये जो इस प्रकार का नोटिस उनको निकालना पड़ा, जो पहले नोटिस निकाला उसको रद्द करते हुए यह नया नोटिस निकाला और तीनों के अलग अलग चुनाव कराये ? इसके पीछे कोई भी मान्यता हो सकती है और कोई बात हो सकती है वह हो सकती है राजनैतिक आधार और, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी तरह की मान्यता हो एक उच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया है उस फैसले को एक ऑर्डिनेन्स लाकर खारिज कराया जाय, उसको न माना जाय, उसके विपरीत राज्य सरकार पालन करे; मैं समझता हूँ कि यह नीति अंग्रेजों और सामन्ती राजाओं की नीति से किसी हालत में कम नहीं है जो ऑर्डिनेन्स के द्वारा ही इस देश पर राज्य किया करते थे। किसी न्याय पंचायत में जाने के बाद जो न्यायालय का निर्णय हो जाता है वह जनता के लिये सही और अच्छा निर्णय होता है। अगर उसको भी ऑर्डिनेन्स से हटा दिया जावे तो यह प्रजातन्त्र की सरकार का कार्य नहीं हो सकता।

(२. ०० म. प.)

फिर यह एक ही जगह नहीं हुआ है। भीलवाड़ा में भी इसी तरह से वहां के प्रशासक थे जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उन्होंने वहां पर भी वार्ड्स का एक तरह से गठन किया है। उन्होंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी तरह से मेरी जानकारी में है ऐसे वार्ड बनाये हैं कि एक में जो जनसंख्या है वह ७०० की रखी गई और दूसरा वार्ड बनाया उसमें अधिकतर जनसंख्या ३२०० और ३३०० के दर्मियान की रखी गई। एक ७०० का और वह वार्ड ऐसा कि जिसके अन्दर प्रशासक महोदय स्वयं खड़े होने वाले हैं। उसी वार्ड के वे रहने वाले हैं। उनका चुनाव सिर्फ ७०० आदमियों के अन्दर होगा और दूसरे वार्ड जो बनाये उनमें २३०० से ३३०० तक की संख्या में मतदाता रहे और इस आधार पर भी म्यूनिसिपैलिटी के चूनाव हुए हैं। उसकी भी रिट पिटीशन हुई, हाईकोर्ट में और वहां पर भी ऐसा मामला चल रहा है।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से अपने लोगों के द्वारा जो गलत काम किया करते हैं उनको सही तरह से कराने के लिये हाईकोर्ट विपरीत फैसला दे देता है फिर भी इस तरह से ऑर्डिनेन्स के द्वारा उस न्याय को जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते तो मैं समझता हूं यह लोगों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। जो कोर्टों से न्याय प्राप्त करते हैं उसको भी यह सरकार इस तरह से

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ऑर्डिनेन्स के द्वारा बर्खास्त या खत्म करना चाहती है।

मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। कहां क्या होता है, यह भी नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार जो दावा करती है कि देश में समाजवादी तरीके से शासन करना चाहती है। उनके लिये ऑर्डिनेन्स का सहारा इस तरह से लेना और न्यायालयों तक के निर्णयों की मखौल उड़ाना, यह किसी भी समाजवादी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती। हां, अगर राजाओं की या कि अंग्रेजों की सरकार होती और वे इस तरह से प्राप्त न्याय से भी लोगों को वंचित करते तो समझ में आ सकता था पर गांधी के भक्तों और जवाहरलाल नेहरू के नाम की दुहाई देने वाली, यह सरकार इस तरह के काम करे, यह उनको शोभा नहीं देता।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है; बीकानेर, मीनासर, गंगाशहर के जो चुनाव हुए हैं और जिनके लिये न्यायालय से आदेश प्राप्त किये गये हैं तो अगर यह सरकार न्यायालयों की कद्र करती है और उनके प्रति कुछ आदर है तो जो फैसला किया है उसको मानते हुए उन्होंने अगर नगरपालिका को बर्खास्त किया है तो उसे खत्म समझा जाना चाहिये और फिर से उन तीनों नगरपालिकाओं के अन्दर सरकार अलग-अलग से चुनाव कराना चाहती है तो करावे या एक नगरपालिका बनाकर इसका चुनाव कराना चाहे तो नये वोटरों के आधार पर नये तौर से उनका चुनाव कराये। बल्कि जो निर्णय हुआ है उसको आदर दे। पर इसके विपरीत जो सरकार ने उस न्याय को इस तरह का ऑर्डिनेन्स लाकर खत्म करने का तरीका जो अपनाया है ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।

मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी किसी नगरपालिका की अवधि समाप्त हो जाती है तो किसी भी ऐसे आदमी को उसका प्रशासक नहीं बनाया जाना चाहिये जो वहां बैठ कर अनियमितता करता हो या पक्षपात करता हो। छोटे मोटे वार्ड अपने अनुकूल बनाता हो। जिसके कारण कि लोगों के आगे न्यायालयों में जाने पर परास्त खानी पड़े। तो ऐसे लोगों को कभी भी प्रशासक नहीं बनाया जाना चाहिये।

सरकार के उच्च अधिकारी जो हों उनको ही बनाया जावे। तो उनके खिलाफ कुछ कह और कर तो सकते हैं। वे जिम्मेदार लोग हैं। पर उन गैर जिम्मेदार लोगों को क्या कह सकते हैं? इसलिये मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि ज्योंही किसी नगरपालिका का समय समाप्त होता है तो नया चुनाव कराने की व्यवस्था वहां करानी चाहिये, समय नहीं बढ़ाना चाहिये, और अगर चुनाव कराने में सहूलियत न हो तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जावे, न कि इस तरह से जैसे भीलवाड़ा में हो गया।

इसके अलावा और एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं। नगरपालिका का जो आर्थिक ढांचा है उसे मजबूत बनाने के लिये जैसे मनोरंजन कर है, उस प्रकार के उनको सौंपे जाने चाहिये

Page No 66

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पहले यह कर नगरपालिका ही वसूल करती थी। आज सरकार ने अपने हाथ में लिया है और आज भी उसमें से सरकार देती है, पर उतना नहीं देती जितना दिया जाना चाहिये। बल्कि उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा हमारी सरकार अपने खजाने में रखती है और जो थोड़ा बहुत भी देती है वह भी वहां तो मिल जाता है, वहां बहुत बोलने वाले लोग होते है। बाकी को आज भी सरकार नहीं देती।

तो इसके सिवाय नगरपालिका के पास और ऐसा कौनसा अच्छा साधन है तो इस पर विचार करना चाहिये सरकार को। मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि कुछ ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनको सरकार ने १७ लाख, बीस लाख रुपया या इससे भी ज्यादा रुपया कर्ज दिया है अपने विकास करने के लिये, परन्तु ऐसी भी नगरपालिकाएं हैं जिनको एक नहीं पचासों दर्ख्वास्तें देने पर भी एक पैसा उधार इसलिये नहीं दिया कि वे विरोधियों की नगरपालिकाएं थीं। जहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं उनको काफी रुपया दिया यहां तक कि सिर्फ मकान बनाने के लिये रुपया दिया जिसके बिना भी काम चल सकता था पर जहां ज्यादा जरूरत सड़कों की हैं, नल बिजली की है, हरिजनों के मकानों की है उनके लिये अच्छे साधन मुहैया करने की है उनको एक पैसा नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करने के लिये अनाप शनाप पैसा दिया गया। पर ऐसे काम जो वास्तव में जनता के हित के थे उसके लिये नहीं दिया।

मैं आज इस जयपुर नगरपालिका के लिये कहूं कि यहां पर, जैसा कि सरकार मानती है उसके आंकड़े हैं, हजारों आदमी बाहर के यहां देखने आते हैं, उसकी सुन्दरता और बनावट को देखने आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद इस नगर में काफी समय से रहते हैं, आपको मालूम है इसकी गलियों की क्या हालत है। आप वहां जाइये और आप बिना नाक पर रुमाल लगाये या नाक बन्द किये निकल नहीं सकते, इतनी बदबू मारती है। इतनी अधिक गन्दगी और बदबू उन नलियों में भरी है।

आप यह कहेंगे कि यहां नगर परिषद् पहले जनसंघ की रही, और अब स्वतन्त्र पार्टी की है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की यहां राजधानी है तो इसलिये भी इसको साफ स्वच्छ रखना आपका भी कर्त्तव्य हो जाता है। आपकी भी जिम्मेदारी है।

आज देखिये कि यह जो राजकीय प्रवास भवन है उसके पास चौराहा है जहां चारों तरफ से काफी ट्राफिक रहता है, आता जाता है वहां पर रात को लाइट का भी प्रबन्ध नहीं है। आप रात को नौ बजे के बाद वहां से निकल जाइये; आपको ऐसा मालूम होगा, अन्धेरा ही अन्धेरा छाया है।

इसके विपरीत आप सिविल लाइन पर चले जाइये, हर खम्भे पर दो-दो ट्यूब लाइटें रात भर जलती रहती हैं; तो यह अन्तर है, यह स्थिति है।

इसके लिये नगरपालिका को कहते है तो वे कहती हैं, हमारे पास आर्थिक अभाव

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है, धन नहीं है । तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि ऐसे अवसर पर वह धनराशि उनको उपलब्ध करा सके ।

यह हवामहल लीजिये । लोग लाखों की तादाद में, बाहर से टूरिस्ट लोग फोरिन से देखने आते हैं । मैंने खुद ने देखा है कि कितने विदेशी यहां आते हैं और इसकी फोटो लेते हैं और चले जाते हैं । अब आपने भी वहां देखा होगा, आप हम सब उसके पास से रोज गुजरते हैं कि वहां जो फुटपाथ है वहां लोग पेशाब करते हैं और उसकी बड़ी बुरी बदबू आती है । सारा का सारा फुटपाथ पेशाब से भरा रहता है । उसकी व्यवस्था भी नगर परिषद् नहीं कर सकती ।

(व्यवधान)

उसके फोटो खिचते हैं और उसका जो चबूतरा है उस पर सैकड़ों बेकार लोग, बाबा लोग बैठे रहते हैं और जो भीख मांगते हैं और फोरिनरों के सामने भी हाथ पसार कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक पैसा दे दो, दो पैसा दे दो । तो यह हमारी नगरपालिका की व्यवस्था है, और यह हमारी सरकार की हालत है और इस तरह की हालत यहां की राजधानी की है ! तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में राजनैतिक विद्वेष से काम नहीं करना चाहिये ।

नगरपालिकाएं हैं, जिला परिषदें हैं, पंचायत समितियां हैं, पंचायतें हैं इन सब में सरकार को एक ही दृष्टिकोण रखना चाहिये कि ये जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं वे गांवों की अच्छी तरह से सेवा कर सकें, फिर वे किसी भी पार्टी के लोगों के हाथ में हों । और यह सरकार का कर्तव्य है कि उन सब को समान दृष्टि से आर्थिक सहायता उपलब्ध करावें ताकि वे सुचारू रूप से सफाई वगैरह का काम कर सकें और जनता का भला कर सकें ।

अन्त में यही निवेदन करता हूं कि न्याय को इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा न बदला जावे । जनता के अधिकारों को कायम रखा जावे और इसको ध्यान में रखते हुए जहां जरूरत हो वहां नये सिरे से चुनाव कराये जावें और मन्त्री महोदय हिम्मत करके इस ऑर्डिनेन्स को वापिस ले लें तो अच्छा होगा, नहीं तो एक महीने के लिये जनता के मत को जानने के लिये इसे प्रसारित किया जावे, जिनके लिये इसे आप लागू करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में म्युनिसिपैलिटी के डिलिमिटेशन के नोटिस इश्यू नहीं हुए और भीनासर इत्यादि जगहों को इसमें इन्क्लूड नहीं किया जा सका । इस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट में रिट हुई उसके कारण सारा बोर्ड अवैध करार दिया गया । अक्सर सरकार एक ऑर्डिनेन्स के जरिये उसको वैध करने जा रही है । यानी हाई कोर्ट के न्याय को उलटने जा रही है और उस अवैधता पर मोहर लगाना चाहती है ।

सारे राजस्थान में नगरपालिकाओं की जो स्थिति है उसको देखते हुए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यदि इसे देखा जावे तो यह कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं थी। अगर इसे समाप्त भी होने दिया होता तो दुबारा चुनाव हो सकता था, प्रोपर वार्ड बन सकते थे। अव्वल तो बीकानेर के सारे वार्डों को देखा जावे तो अब भी ऐसी गलतियां मौजूद हैं। इनमें मेम्बर के स्थान प्रोपोर्शन के मुताबिक नहीं हैं। किसी में बहुत अधिक हैं और किसी में बहुत कम हैं। कम वोटर्स हैं किसी में किसी से बहुत अधिक हैं। इस स्थिति को सुधारा जा सकता है और अगर इलेक्शन अवैध हो गया तो दुबारा प्रोपर वार्ड कान्स्टीट्यूट करके इलेक्शन कराया जाता तो वह अधिक उचित भी होता।

बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर इस विभाग का ध्यान नहीं जाता।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

सारे राजस्थान में बड़ी-बड़ी नगरपालिकाओं की ओर दृष्टिपात किया जावे तो डिलिमिटेशन के बड़े गम्भीर प्रश्न सामने खड़े हो सकते हैं। वार्डों की लिमिट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। पर इसके सम्बन्ध में सरकार की नीतियां बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण हैं।

मैं मुख्य रूप से गंगानगर शहर का नाम लेता हूं। अगर इसको देखा जावे तो इस तरह लगेगा कि इसके चारों ओर किला बन गया है और शहर उसमें घुट कर रह गया है।

बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि गंगानगर शहर की लिमिट्स को बढ़ाया जाता और इसके साथ-साथ स्लम्स जो रात दिन गंगानगर में क्रिएट होते जा रहे हैं उनकी रोकथाम जरूरी थी।

अध्यक्ष महोदय, इसको करना कठिन काम था सरकार के लिये इसलिये कि जिन लोगों ने गंगानगर के चारों ओर कारखाने बना लिये हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पर बना लिये हैं, भट्टे बना लिये हैं, बंगले बना लिये हैं, फैक्टरियां एस्टेब्लिश कर ली हैं, पैट्रोल पम्प खोल लिये हैं और चारों तरफ से गंगानगर की लिमिट को बांध कर उसे घुटन सा करके रख दिया है। इसमें शुगर मिल भी है, जिसका सारा का सारा पानी गन्दी बस्ती के रूप में एकत्रित हो जाता है। इससे एक नारकीय दृश्य उपस्थित है वहां पर। चारों ओर इस तरह से स्लम्स बढ़ता जा रहा है। लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और स्लम्स क्रीएट होते जा रहे हैं, पर सरकार इनको रोक नहीं सकती। सरकार के लिये इसको रोकना कठिन भी है। चारों ओर प्रभावशाली लोग जमा हैं। वे लोग जिन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तौर से एग्रीकल्चरल लैंड पर अपनी-अपनी फैक्टरियां और अपने अपने भट्टे इन्स्टाल कर लिये हैं। सरकार के अन्दर यह हिम्मत नहीं कि लिमिट्स को बढ़ाए और लिमिट्स को बढ़ाने के साथ-साथ इस लैंड को एक्वीज़ीशन करे और जो इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स हो गये हैं उनको डिमोलिश करवा दे या तोड़ दे। एक नहीं आपको अनेकों प्रभावशाली व्यक्ति वहां मिलेंगे। सेठ सुखलालजी हैं। उनके कारखाने चलते हैं, पेट्रोल पम्प हैं। चितलंगियाजी हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पेट्रोल पम्प उनके लगे हैं। लच्छीरामजी हैं, जिन्होंने भट्टे बना रक्खे हैं। श्रीलीला हैं, उनकी लीला ही न्यारी है। एक बहुत बड़े रकबे पर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कर रखा है। पेड़ीवालजी हैं जिन्होंने भी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कर रखे हैं। सेठ सुगनचन्दजी हैं। वे सेठ लोग हैं। उनको छेड़ना बड़ा कठिन काम है इस सरकार के लिये।

पर बीकानेर के सम्बन्ध में अगर लिमिटेशन के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन हो गया और सरकार का फैसला हो गया तो विचार करना नहीं चाहते। वह उन लिमिट्स को बढावे और नये वार्ड्स बनाए जिनमें वोटिंग प्रोपोर्शन हो, यह कोई बुरी बात नहीं थी। पर इसके लिये सरकार स्पेशल ऑर्डिनेन्स लाती है।

जयपुर की गन्दी बस्तियों को देखिये। आज आदर्शनगर के क्षेत्र को लिमिट्स में इन्क्लूड करने की बात है। अगर लिमिट्स के अन्दर शहर की लिमिट्स के अन्दर इन्क्लूड कर दिया गया तो जयपुर शहर बी क्लास सिटी में हो जावेगा और सेन्ट्रल कर्मचारियों को जैसे फैसीलिटीज़ देनी पड़ती हैं वे यहां के कर्मचारियों को देनी पड़ेंगी इसलिये उनकी लिमिट्स को सरकार एक्सटेन्शन नहीं करने देती।

हसनपुरा की कच्ची बस्ती पर कुदृष्टि उसकी पड़ सकती है। पांच हजार मजदूरों के लिये यू. आई. बी. प्लॉट बनाने जावें। प्लॉट्स कट जावें यू. आई. बी. का प्लान बाकायदा शुरू हो। बिजली के खम्भे गाढ़ दिये जावें कि अचानक सेठ बिड़ला के अपनी बाल बियरिंग फैक्टरी को एक्सटेन्ड करने का दिमाग में ख्याल आता है तो सरकार कहने लगती है हम इसको इन्डस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। उससे पहले वह सोई रही। जब यू. आई. बी. ने अपना प्लान एप्रूवल के लिये भेजा, मन्जूरी दी गई तब सरकार के दिमाग में कल्पना नहीं थी इन्डस्ट्री लगाने की। पर जब बिड़लाजी डिमान्ड करने लगे तो अचानक सरकार के दिमाग ने करवट ली हालांकि बिड़लाजी की फैक्टरी बॉल बियरिंग के पास पहले से ही काफी जमीन मौजूद थी। तो इस तरह से सरकार ने वह जमीन लेनी शुरू कर दी। बिड़लाजी को और ज्यादा जमीन दे दी और उन बेचारे मजदूरों को बेघरबार करने की योजना बना दी।

जयपुर शहर के चारों और स्लम्स में चक्कर लगा कर देखें। आज जरूरत है कि जयपुर की नगरपालिका की सीमाएं बढ़ाई जावें और उन लोगों को उचित स्थान और सहूलियत दी जावे जो आज नारकीय जीवन बिता रहे हैं।

इससे भी अधिक गन्दगी अगर आपको देखनी है तो शहर के परकोटे का चक्कर लगाइये। भयंकर दुर्गन्ध का तांता बन्धा मिलेगा। आप देखेंगे कि वहां के लोग किस तरह का नारकीय जीवन बिता रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर सरकार विचार करे। हां, अगर किसी को मोत्तिल करने का प्रश्न हो, किसी को डिस्मिस करने का सवाल हो, किसी को चालान करने का प्रश्न हो, किसी का नुकसान करने की बात हो तो सरकार इस सम्बन्ध में बहुत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

शीघ्र कदम उठा लेगी। चार्जशीट देने की जरूरत नहीं ह, फौरन सस्पेन्ड कर देगी और चार्जशीट बाद में भी दी जाये, सफाई का मौका नहीं दिया जाये, प्राइमाफेसी कोई केस नहीं बनाया जाये। ये सभी बातें होती हैं। पी० सी० सी० के प्रेसीडेन्ट और कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप श्री हरिदेवजी जोशी जमीन अलॉट करा लें और इस सदन में बैठे रहें, और भोपालसागर कॉलेज की १३ बीघा जमीन हमारे मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी ले लें उसके लिए कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं और लोग जमीन ले लें और अपने बेटे–पोतों के नाम अलॉट करा लें, उसके लिए कोई गिला नहीं, शिकायत नहीं, यह सब चलता है। लेकिन नक्की लेक पर हमारे भीखाभाई प्लॉट ले लें तो कोई ऐतराज की बात नहीं है, माणिक लालजी वर्मा प्लॉट ले लें तो कोई ऐतराज की बात नहीं है और मंत्रीगण नक्की लेक का रमणीक दृश्य देखने के लिए प्लॉट ले लें तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन रायसिहनगर म्युनिसिपल बोर्ड का श्री चिमनीराम २५ साल से एक प्लॉट में बैठा है और इत्फाक से वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड के कमिश्नर बन जायें और उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड की सब कमेटी उसके नाम और उसके बेटे के नाम जो कि दूसरे घर में गोद गया हुआ है उसके नाम प्लॉट अलॉट करा दें, उसको प्लॉट दे दें तो चिमनीराम को सस्पेन्ड करना बहुत जरूरी है। उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अगर फत्तू का बेटा गुनाह करे तो लम्बा खड़ा कर दो और उसके बराबर रोटी के बूर चुन दो, फिर फकीरों को दे दो। चिमनाराम का गुनाह यही है कि उसने प्लॉट ले लिया और इस पर उसको सस्पेन्ड कर दिया जाये।

हमारे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के मंत्री रायसिहनगर म्युनिसिपल बोर्ड में पधारें, जनता श्री बरकत भाई का स्वागत करे और उनको सारी जगह पैदल घुमाया जाये, नील-गर की दुकानें दिखाई जाये मोची की दूकान दिखाई जाये और उनसे पूछा जाये कि इस दूकान में कितना माल है और वह कह दें कि यह तो फटीचर दूकान है और इसमें ५ रुपये का भी माल नहीं है। उन दुकानों के बारे में सदन यह स्वीकार करे कि ३० रुपये फुट के हिसाब से पैसा लेना बिल-कुल गलत है और मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करके आये उसके बावजूद भी उन दुकानों का ३० रुपये फुट के हिसाब से १० बाई १० की दूकान का ५००० रुपया बना। उस दूकानदार का घर और दुकान नीलाम हो जाये, दूकानदार अपने आपको नीलाम कर दे तो भी ५००० रुपये की पूंजी नहीं बने उससे तो ३० रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज किया जाये और बड़ी बड़ी दुकानों के चबूतरे साढे ७ रुपये के हिसाब से म्युनिसिपल बोर्ड पैसा ले ले जहां कि बैंकर्स की दूकानें चलती हों, बड़े बड़े सेठों की दुकानें [हों उसका ७ रुपये फुट के हिसाब से चार्ज करना कोई नाजायज बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस बिल का वैधकरण करना चाहती है, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक ऑर्डिनेन्स के जरिये सरकार को यह इमर्जेन्सी तो महसूस हो गयी कि

Page No 71

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बीकानेर में अब चुनाव नहीं कराये जायें लेकिन कभी सरकार ने यह भी सोचा है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के पास आमदनी का क्या जरिया है। एन्टरटेनमेंट टैक्स जो कि एक म्युनिसिपल बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशनल राइट है और जो कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को मिलना चाहिए और जिसे पैसे के जरिये म्युनिसिपल बोर्ड्स विकास कर सकते हैं सरकार ने एक आधार बनाया कि कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ ने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली नहीं की और इस आधार पर सरकार ने इस टैक्स का अधिकार छीन लिया। अगर कहीं सही तरीके से इस टैक्स की वसूली नहीं हुई तो ठीक है उसकी वसूली सरकार कर सकती है लेकिन सरकार उसमें से वसूली का खर्चा काटकर म्युनिसिपैलिटी को उस रकम को दे सकती है। गंगानगर का म्युनिसिपल बोर्ड एक प्रोजेक्ट ड्रेनेज की स्कीम बनाकर भेजे और अभोर म्युनिसिपैलिटी की एग्ज़ाम्पल दे और स्लम क्लियरेन्स का मार्ग भी बताये और शुगर फैक्टरी का मोलेसस एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाये, लेकिन उसके लिए कोई एड नहीं दी जा सकती। इसके लिए यह भी बताया कि यदि यह पानी सारा ड्रेन बना कर खेतों में पहुंच जाये तो उससे वहां ३ लाख से ज्यादा की इन्कम हो सकती है।

(२.२५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब कि अभोर में लाख, डेढ़ लाख रुपये की इन्कम होती है। जब कि इसी तरह की स्कीम से लुधियाना और जालंधर को लाखों रुपये की इन्कम होती है। इतने बड़े सिटी के लिए ड्रेनेज वाटर का यूटीलाइज़ेशन हो तो सरकार को फण्ड्स मन्जूर करने के लिए फुरसत नहीं है। रायसिंहनगर में एक वाटर वर्क्स लगाकर ४।। लाख रुपये खर्च कर दिये और बोर्ड से २५ हजार रुपये ब्याज के वसूल कर लिए। करनपुर में २५ हजार की राशि, गले में अंगूठा देकर, वसूल कर ली। लेकिन उन प्लॉन्स को जो कि म्युनिसिपल बोर्ड पास करें जिनका कि निश्चित रूप से फायदा हो, जिससे रेवेन्यू बढ़ने वाली हो उनकी स्वीकृति देना सरकार को मन्जूर नहीं है।

यह उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग जानते हैं कि माउन्ट आबू एक टूरिस्ट्स स्पोट है, अगर उसका निश्चित रूप से विकास किया जाये तो माउन्ट आबू के अन्दर एक आमदनी का स्रोत हो सकता है और माउन्ट आबू के विकास से हमारी स्टेट के एक्सचेकर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, माउन्ट आबू के अन्दर हनीड्यू रेस्टोरेन्ट है और उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति किराये पर ले तो उसकी शर्तें और हैं और यदि मिस्टर खन्ना के मित्र किराये पर लें तो हनीड्यू में सारे कानून और कायदे टूट जायें। दूसरे किरायेदारों को शीशे के प्लेंक्स लगाने की स्वीकृति नहीं है। लेकिन हमारे मिस्टर खन्ना के मित्र बन्धु को शीशे लगाने की भी पर्मीशन हो जाये। माउन्ट आबू में नक्की लेक का रमणीक दृश्य है और चारों तरफ प्लॉट्स दिये जायें। जरा गौर फरमाइये कि कितने सस्ते प्लॉट्स दे दिये जायें और किन किन को दे दिये जायें और उसके ऊपर सैर करते हुए जाइये तो

Page No 72

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नक्की लेक के अन्दर से मिट्टी खोद कर उन प्लॉट्स के ऊपर गेरी जाये और यह कहा जाये कि नक्की लेक को गहरा किया जाय ताकि उसमें ज्यादा पानी आये। लेकिन जिन प्लॉट्स के आगे वह मिट्टी गेरी जाये उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, होलीडे होम में चले जाइये तो वहां आपको दफ्तर मिलेगा कलेक्टर का, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर मिलेगा, वहां पर आपको एस० पी० का दफ्तर मिलेगा और कोई वहां पर एस्टीमेट्स कमेटी की मीटिंग चल रही है तो दफ्तर के अन्दर रेडियो बज रहा है और खिलखिलाहट की आवाजें आ रही हैं। शाम को आप वहां पर चले जाइये तो आपको एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब मदिरा की बोतल लिए बैठे मिलेंगे और दफ्तर के कागजात को तय करते हुए पाये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर चेयरमैन साहब नासजद हों, ड्यू इलेक्शन्स न हों और अपने बेटे-पोते, भाई बंध और मंत्री महोदयों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्लॉट्स देते जायें और उनको प्रसन्न करते जायें और अधिकारीगण को देते जायें, डी० एल० बी० के अधिकारियों को भी प्लॉट देते चले जायें। कभी सरकार ने सोचा है कि क्यों हम नामजद प्रेसीडेन्ट रखें। अगर विकास करना है टूरिस्ट्स स्पॉट का तो उस जगह पर कोई डेवलपमेन्ट कमेटी बनाई जा सकती है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह तो आप जनरल मामला ले गए। कौन कौन से रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं उनकी लिस्ट दो ताकि सदन समझ सके कि कौन कौन हैं। आप नाम तो दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आपके आने से पहले १–२ नाम दे दिये थे। आप कहें तो उनको दोहरा दूं। ये भीखाभाई उनके मित्र हैं उन्होंने बाकायदा नक्की लेक पर प्लॉट लिया है।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : कहां लिया है बताइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : म्युनिसिपैलिटी के रेकॉर्ड्स में बाकायदा मौजूद है। माणिकलाल वर्मा के एक रिश्तदार का बाकायदा मौजूद है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नाम बतलाइये कि कौन रिश्तेदार हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपने पहले तो कहा था कि मानिकलालजी ने खुद ने लिया है। अब उनके रिश्तेदार पर आ गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्लॉटों के नामों की सूची मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी कह दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : भीखाभाई का कहा, वे इन्कार कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे इन्कार करेंगे १०० दफा तो मैं साबित कर दूंगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उन्होंने लिया है । मेरे पास गवर्नमेंट का रेकॉर्ड नहीं रखा है। आप चैलेन्ज कीजिये, मैं उसको साबित करूंगा वर्ना आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्री भीखाभाई कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिया है। आप सबूत दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं लिया है तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइये। किस्सा खत्म हो गया।

श्री भीखाभाई : कोई प्लॉट लेना गुनाह नहीं है, पहली बात तो यह है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आ गये ना पैंतरे पे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : चीखते क्या हैं ?

श्री भीखाभाई : प्लॉट के लिए एप्लाई करना गुनाह नहीं है, पहली बात।

दूसरी बात यह है कि मैंने तीन साल पहले एप्लाई किया था लेकिन मुझे अलॉट नहीं हुआ है अब तक न मालूम उनको इत्तला कहां से आई, वह आप जानें और आपका काम जानें। १६५६ में मैंने यहां एप्लाई किया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यदि आपको एप्लीकेशन पर प्लॉट मिल जाय तो आपको लेने से इन्कार होगी क्या ?

श्री भीखाभाई : क्यों होगी ? दूसरे आदमियों के मुकाबले में दाम देकर लूंगा। उसमें आपको क्या ऐतराज होना चाहिए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि लीजिये प्लॉट...

श्री भीखाभाई : पैसा देकर प्लॉट खरीदते हैं तो क्या बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्लॉट आपको मंजूर हो चुके हैं। भीखाभाई ख्वाहमोख्वाह क्यों ड्रामा करते हैं यार ? अब तो आप सोचिये कि प्लॉट में से कितनी रकम बचाई जा सकती है। आप कह देंगे कि तारीख बताइये तो मुझे तारीख मालूम नहीं है कि कब मंजूर हुआ है।

तो, मैं उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज कर रहा था कि जिस प्रकार और प्लॉटों का ऑक्शन हुआ तो नक्की लेक के प्लॉटों का भी ऑक्शन होना चाहिए था, लेकिन वहां पर सरकार के खुद के अपने महरबान बाकायदा नोमीनेटेड चेयरमैन हैं। और जगह चेयरमैन जाय तो चीख—पुकार सुनाई दे, शोरगुल सुनाई दे। एडमिनिस्ट्रेटर प्रतापसिंह जी पहुंच गये गंगानगर के अन्दर। जिधर से चले उधर से वापस नहीं आना चाहते हैं। रास्ते में जो आड़ है उनको हटाया जाय। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा काम नहीं किया। शहर को सुन्दर भी बनाया है लेकिन कई बस्तियों को साफ कर दिया, हरिजन बस्तियों पर उनका निहायत करम हो गया.........

श्री गिरधारीलाल व्यास : कहां ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दक्खिन से उत्तर की तरफ जा रहा हूं ।

एक बस्ती का वहां पर हरिजन नेता बारूपाल ने बाकायदा उद्घाटन करवाया। संपतरामजी मेघवालों की बस्ती का उद्घाटन करने आये। उन्होंने सब को कह दिया कि बस्ती उनको अलॉट हो गई है। बाद में हुक्म हुआ कि बस्ती को बिल्कुल साफ कर दिया जाय। कलेक्टर के पास चीखे चिल्लाये। उन्होंने कहा कि पन्नालालजी ने कहा था कि इतने इतने पैसे प्लॉटों के दिये जायं तो हमने दिये हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि यह हमको पता नहीं। वह तो पन्नालालजी खा गये। गरीबों की बस्ती का उद्घाटन राज्य के पूरे मंत्री ने किया तो वह कैसे विश्वास नहीं कर लेते कि गरीब हरिजनों की यह बस्ती उनको अलॉट नहीं हुई है। हुक्म हो गया कि बस्ती साफ कर दो। यह बात ठीक है कि राज्य सरकार ने उस बस्ती को साफ करने से रोक दिया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसी बात हो जाय। सारे राजस्थान के अन्दर आप डिलिमिटेशन के प्रश्न को ही ले लें। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। राजनैतिक कारणों से डिलिमिटेशन को रोका जाता है। आज जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं राजस्थान के–जोधपुर हो, उदयपुर हो, अलवर हो, जयपुर हो, कोटा हो—आज सारे शहरों के अन्दर स्लम्स की समस्या बड़ी गम्भीर होती चली जा रही है। भारत सरकार स्लम्स के बारे में बहुत सीरियसली सोच रही है। स्लम्स के क्लियरेन्स के बारे में एक के बाद एक दूसरी एक्सपर्ट कमेटीज़ बन रही हैं, टाउन प्लानिंग पर रिसर्चेज हो रही हैं और डिलिमिटेशन के बारे के अन्दर बहुत जल्दी से कदम उठाये जायें और शहरों का डिलिमिटेशन किया जाय इस चीज को स्वीकार कर लिया। जयसिंहजी ने जयपुर बसाया, जोधसिंहजी ने जोधपुर बसाया, बीकाजी ने बीकानेर बसाया, कोटा के किसी महापुरुष ने कोटा के शहर को बसाया था, उस समय से लेकर आज तक उस शहर के चारों तरफ स्लम्स क्रियेट होते चले गये और स्थिति हो गई कि लोगों का जीवन अधिक से अधिक दुर्लक्ष्यपूर्ण होता चला गया। देश की सेन्सस में १६५१ के मुकाबले में २३.५ पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई और दुनिया भर में विदेशों के मुकाबले में हमने आबादी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन डीलिमिटेशन के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि बीकानेर के अन्दर डीलिमिटेशन सही ढंग पर नहीं किया जाय......

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक घन्टा हो गया उनको बोलते हुए। या तो टाइम लिमिट फिक्स कर दें, वर्ना हम लोगों को २–२, ४–४ मिनिट देंगे आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा मालूम होता है कि कुर्सी पर आप नहीं बैठे हैं, माननीय गिरधारीलालजी बैठे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो आपकी अक्ल की बात है। मैंने तो उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप बीच में चिल्ला क्यों रहे हैं जब कि मैं बोल रहा हूं ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं उपाध्यक्ष महोदय के हुक्म से बंधा हुआ हूं। उनकी घन्टी से बंधा हुआ हूं। आप बारबार मेरी स्पीच के क्रम को तोड़ने का उपक्रम न करें। मुझे माफ करें। इनका मुआयना कराया जाय डाक्टर से, इनको तकलीफ है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, डिलिमिटेशन का जहां तक प्रश्न है कितनी लज्जाजनक बात है कि नोटिफिकेशन ठीक समय पर नहीं निकला, डिलिमिटेड एरियाज़ को इन्कलूड नही किया और बीकानेर की म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर चेयरमैन साहब उधर की पार्टी के है। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया स्पष्ट इस सम्बन्ध में कि नोटिफिकेशन की गड़बड़ी है। तो सरकार उस चीज को गम्भीरता से ले और सारी अवैधता को ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन आज जो जन जीवन नारकीय होता चला जा रहा है उसके सम्बन्ध में सरकार को कोई कष्ट नहीं है। म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों को लेलें, भंगी को लेलें, म्युनिसिपैलिटी के क्लार्क को लेलें, सारे राज्य के अन्दर जो दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की है वह स्थिति किसी की नहीं। पंचायत समिति के कर्मचारी भी लोकल बॉडीज के सर्वेन्ट्स हैं लेकिन उनका महंगाई भत्ता उनके बराबर नहीं है। उनके बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। जो कि आम कर्मचारियों को है फैसिलिटीज़ मेडीकल एड के बारे में वह फैसिलिटी उन कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है। सरकार पांच रुपये की अन्तरिम वढ़ोतरी कर दे तो उन पर लागू नहीं होती है। एक आदमी इतना निकृष्ट काम करे कि एक इन्सान की गन्दगी को अपने सिर पर उठाये, भारत सरकार की तरफ से साढ़े तीन लाख रुपये उसके लिए स्वीकृत हैं लेकिन फिर भी एक इन्सान मर कर, भूखे रहकर रिक्शा वाला एक अमानवीय काम करता है, गिरा हुआ काम करता है। इन्सान इन्सान को घसीटता है, यह सरकार के लिए चिन्ता की बात है। सरकार के सामने आदर्श का प्रश्न आता है। सरकार के सामने नीति का प्रश्न आता है, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की गन्दगी उठाता है तो यह सरकार के सामने नीति का प्रश्न नहीं है क्या? कहां गया वह साढ़े तीन लाख रुपया जो रेडियों खरीदने के वास्ते आया था। रेडियों बनाने की चक्करबाजी के अन्दर वह साढ़े तीन लाख रुपया गोल कर दिया जाय!

अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीरता से सोचने का प्रश्न है। म्युनिसिपल कर्मचारियों को अपना अधिकार क्यों नहीं देते जो दूसरों को दिया है। सदन में प्रश्न पूछा जाय, तीन साल पहले प्रश्न पूछा जाय तो जबाब दिया जाता है कि विचार हो रहा है तो क्या यह विचार अनंतकाल तक होता ही जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन अंत में कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ऑर्डिनेन्स लाकर डीलिमिटेशन की प्रोब्लम को हल करना न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार हल करने में न आप जनता का विश्वास प्राप्त कर सकोगे और न जनता को आपमें विश्वास होगा। आपकी नीतियें स्पष्ट लागू होनी चाहिये। कांग्रेस पार्टी सिद्धान्त से बंधी है उसको सिद्धान्त लागू करना चाहिये। लेकिन यदि वह इस प्रकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चालबाजी, जोड़-तोड़ से राज्य करना चाहती है तो नहीं कर सकेगी। इस प्रकार से प्रजा-तंत्र को बहलाना चाहेंगे तो बहलेगा नहीं, जनमानस बहलेगा नहीं। यदि कोटा का प्रश्न है तो ३०० रिक्शा चालकों को लाइ-सेन्स दे दिया जाय, यदि अलवर का सवाल आता है तो २५० रिक्शा चालकों को लाइ-सेन्स दे दीजिये लेकिन जयपुर में ८५० रिक्शा हैं २४०० चलाने वाले हैं, एक रिक्शे पर एक मालिक तीन तीन आदमियों का शोषण करे, तीनों के परिवारों को भूखा मारे, आधा नंगा रखे और आपको २५० लोग एक एक रुपया, आठ आठ आना जोड़कर २५० रिक्शा खरीदें तो उनकी बात सुनने का आपके पास समय नहीं है, आपके लिये नीति का प्रश्न पैदा हो जाय। २५० मालिकों को अलवर में रिक्शों का लाइसेन्स दे दें तो सन् ५५ की लेबर कान्फ्रेन्स याद न आवे लेकिन जयपुर में २५० रिक्शा वालों को लाइसेन्स देते समय सन् ५५ की लेबर कॉन्फ्रेन्स याद आवे। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा और वह यह कि माननीय गिरधारीलालजी का डॉक्टरी मुआयना जरूर कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सिलसिले से नाम बोल रहा हूं। श्री केदारनाथ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि विरोधी पक्ष के काफी सदस्य बोल चुके हैं इसलिये श्री ज्वालाप्रसादजी का नाम भी लिस्ट में है; वे पहले बोल लें तो ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को ऐतराज न हो तो वे बोल लें पहले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे पूर्व वक्ता इस बात को महसूस कर चुके हैं, उन्होंने सेवा की है व्यासजी की, वे समझते हैं कि बीच में तार नहीं तोड़ना चाहिये। यह महसूस कर लिया है, इसकी सारे सदन को खुशी है।

इसके बाद जिस अध्यादेश पर चर्चा चल रही है, मैं हमेशा से अध्यादेश के खिलाफ बोलता हूं लेकिन जब नहीं चलती है तो मैं आपको इसका भी तर्क देता हूं। आज कई तरह के अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन में मिले हैं, उसका उपयोग हम करते हैं। तो सरकार को भी विशेष अधिकार मिले हैं उनका उपयोग वह क्यों नहीं करे। आपने कभी यह भी सोचा कि सरकार को विशेषाधिकार मिले हैं उससे उसको क्यों वंचित करने की कोशिश करते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आया। सरकार अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करे और आपकी मर्जी में आवे पूछ-ताछ करें, इतनी आपको इज्जत देते हैं, उसका भी आप शुक्रिया अदा नहीं करते, कमाल है आपको। आप खड़े हुए और विरोध करने लगे। मैं कहता हूं इस सरकार को अध्यादेश निकालने का अधिकार है जिस तरह आप बोलते हैं जिद् करते हैं उसी तरह सरकार को भी अधिकार मिला है उसका उपयोग करने से उसको कोई रोक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं सकता। इस विशेषाधिकार में और भी बढ़िया बात है। इसलिये सपोर्ट किया यह कोई सदन की गलती नहीं है। एक्ट में सदन ने गलती नहीं की है। हमने विशेषाधिकार का विशेष परिस्थिति में उपयोग किया है इसमें सदन की गलती नहीं है। दूसरे एक्ट पास करते हैं। कई बार विचार-विमर्श के बाद भी ऐसी चीज रह जाती है जिसके कारण हाईकोर्ट में हार जाते हैं। इस तरह से इसमें कोई कमी रह गई तो अध्यादेश या ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है। लेकिन इसमें एक और विशेष परिस्थिति है जिससे ऑर्डिनेन्स निकला। आपने एक्ट सही पास किया, लेकिन हमारा जो डाइरेक्टोरेट है, सेक्रेटेरियट है, उन लोगों ने, आपने जो एक्ट बनाया था, उसके अंतर्गत नोटिफिकेशन जो निकलना चाहिये था वह आपके एक्ट के खिलाफ निकला और जिस तरह से डीलिमिटेशन होना चाहिये था उस तरह से नहीं किया इसलिये इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी मर्जी थी लेजिस्लेशन पास करने में उससे ऑर्डिनेन्स निकलता तो आपकी गलती होती लेकिन इसमें गलती है सेक्रेटेरियट और डाइरेक्टोरेट की जो कानून को मनवाने वाले हैं उनकी गलती है इसलिये इसमें "कतिपय" लिखा है। कतिपय म्युनिसिपैलिटीज़ यानि जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ आगे आयेंगी उनका भी इन्तजाम कर लिया है। सवाल यह है कि इस नाम को रखा वह बड़ी विशेष परिस्थिति में रखा है। नाम रखा है सरटेन म्युनिसिपल कमेटीज़, सर्टेन में अब तो यह है कि आयन्दा आप लाना चाहें तो आप देख लेना कि यह राज्य चलेगा, विशेषाधिकारों को काम में लावेंगे रोज रोज जनता के हक के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जावें, इस वृत्ति को डिस्करेज करना चाहिये। इसके बजाय आप इस वृत्ति को प्रोटेक्शन नहीं दें तो अच्छा हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : हम वहां नहीं जावें क्या न्याय पाने को ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके सामने मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक साहब गये एक दोस्त के वहां और उन्होंने वहां जाकर उसको आवाज दी। उस दोस्त ने अपने नौकर को कहा कि कह दे घर में नहीं है। उस दोस्त ने नौकर को कहते समय उसकी आवाज सुन ली। दूसरे दिन वह दोस्त जिसने नौकर को कहा था। पहले दोस्त के वहां आया और उसको आवाज दी तो उसने उससे कहा कि नहीं है। तो उसने उससे कहा, क्या मजाक है मेरे सामने खड़ा है और कहता है कि नहीं है। तो उसने कहा मैंने तेरे नौकर की बात मान ली, तेरे घर में होते हुए भी उसने कह दिया कि नहीं है और मैंने उसे मान लिया और मैं तेरे सामने खड़ा हुआ कहता हूं कि नहीं है तब तू भी मेरी बात नहीं मानता। तो इसी तरह से यह हमारी गलती नहीं है नौकर की गलती है; हम यह कह रहे हैं तब भी तुम नहीं मानते।

इस सिलसिले में यह विशेषता है कि यह ऑर्डिनेन्स अन कॉल्ड फोर है और यह सरकार इस ऑर्डिनेन्स को लाती है, लेकिन जब कानून का राज्य है तो सरकार को यह जानना चाहिये था कि गलती कैसे की और

Page No 78

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसके पीछे कोई मोटिव है क्या ? यदि कोई मोटिव है तो उन अधिकारों को सरकार ने सजा दी है क्या जिन्होंने गलती की। हमने जो कानून पास किया उसको सरकारी मशीनरी सही ढंग से लागू करने में कामयाब हुई या नहीं, यह देखना चाहिये था। सरकारी मशीनरी इसमें फेल हुई है। इस ऑर्डिनेन्स में यह विशेषता है कि आप कई म्युनिसिपैलिटीज़ की बात उठावें तो वे भी इसमें आ जाती हैं। इसमें बात इतनी ही थी कि डीलिमिटेशन का कानून है उसमें तीन म्युनिसिपैलिटीज़ को भंग करके एक बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी बना दी गई, तो भीनासर के लोग आये और कहा कि हमें कहां इसमें जोड़ दिया हम तो अलग रहना चाहते हैं। शायद पहले ऑब्जेक्शन्स मांगे नहीं गये और अचानक जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नजदीक आया तब कुछ लोग आये और कहा कि हमको आपने कहां झंझट में डाल दिया हमको तो अलग कर दो। तब आपने कह दिया कि इनको अलग कर दो। इस बात को हरेक जानता है कि इसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिये था और उसके बाद भीनासर म्युनिसिपैलिटी को अलग करना चाहिये था। एक वक्त सरकार तीनों को एक में मिलाना डिक्लेयर करदे, वहां से अलग करने की आवाज आवे तो अलग टुकड़े करदे, उसका यह ऑर्डिनेन्स है। इस तरह की गल्ती यदि आपकी मर्जी से हुई है तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते। वहां से दबाव आया है अलग करने का और समय नहीं हो तो बेचारी सरकार और सरकारी अफसर क्या करें भीनासर को अलग तो करना ही है यदि पूरा सोच-समझ कर फैसला नहीं किया तो हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। आप यह नहीं करिये एक चुनाव हुआ वैधकरण करने में पार्टीबाजी की बात नहीं है लेकिन तोड़ मोड़ करने के आदी हैं विरोधी लोग। जितने लोग म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ते हैं वे समझते हैं कि सरकार ने फलां गलती कर दी है इसलिये उनका चुनाव में हिस्सा लेना गलत होगा इसलिये बहुत से इन्टेलिजेन्ट लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं जिनको विश्वास होता है कि हाई कोर्ट में यह चैलेन्ज होने वाली है। और यह जरूर फैल होने वाली है। इसलिए ये लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जो चुनाव में चले जाते हैं और जो ऐसा नहीं समझते हैं वे चुनाव में हिस्सा लेते हैं और जीत जाते हैं। इस स्थिति में उन व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ है जो यह देख रहे थे कि यह कोर्ट में टिकने वाली चीज नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। आज जो यह वैधकरण विधेयक इस ऑर्डीनेन्स के बारे में आप लाये है उससे उन लोगो के हित की रक्षा हो जाती है जो यह समझते थे कि सरकार की आंखों में अंगुली डाल कर दिखाना पड़ेगा कि यह गलती की है। लेकिन जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया चुनाव में उन लोगों के लिए आप क्या कर रहें हैं। इस वैधकरण विधेयक के जरिये उन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

इसके बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेन्ट सवाल, देश की इम्पोर्टेन्स के सवाल सदन के सामने रखना चाहूँगा। आप देखिए, फ्रांस के अन्दर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

क्या हुआ, इसके बारे में आपने दूसरे महायुद्ध की हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि हिटलर की फौज ने जब फ्रांस पर चढ़ाई की तो उसकी बुरी तरह हार हुई थी। उसका कारण यह था कि वहां के लोग बुरी तरह घबरा गये थे और वह लोग आम सड़कों पर घरों से निकल आये थे और सड़कों पर भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और जब फ्रांस का डिफेन्स करने वाली फौजें उधर से निकलीं तो वह भीड़ के कारण आगे निकल नहीं सकीं। नेशनल हाई वे के ऊपर फ्रांस की जनता घबराहट के कारण घरों से निकल कर भीड़ के रूप में इकट्ठी हो गई थी और हाई वे पर रास्ता नहीं रहा था कि जो डिफेन्स करने वाली फौजें थीं वे निकल सकीं। वह समय पर नहीं पहुंच सकीं और इसका मतलब यह हुआ कि फ्रांस जैसा मुल्क पामाल हो गया, वह कुछ ही समय के अन्दर हार गया। इसी तरह की स्थिति हमारे मुल्क के अन्दर भी चल रही है। हमारे यहां पर एमर्जेन्सी की स्थिति है और देश की सीमाओं के ऊपर दुश्मन की फौजें इकट्ठी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारी म्यूनिसिपल कमेटी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कैसे काम कर रही हैं। अजमेर के अन्दर जो नेशनल हाईवे है जहां से फौजें निकल कर जा सकती हैं, वहां पर स्वार्थ के वशीभूत होकर, पार्टीबाजी के वशीभूत होकर नेशनल हाई वे के ऊपर म्यूनीसिपल कमेटी दुकानें बनवा रही है और नेशनल हाईवे को सकड़ा किया जा रहा है। एमर्जेन्सी के वक्त, जब कि अजमेर के पास नसीराबाद है और वहां से मिलिट्री जाती है और दूसरे मिनिस्टर वगैरह भी उधर से निकलते हैं लेकिन होता क्या है कि जब मिनिस्टर उधर से निकलते हैं और किसी ने उनके हाथ जोड़ दिये तो वह कह देते हैं कि इसे दुकान की बख्शीश दे दो। सरकार के अधिकारी नहीं देखते हैं, सरकार बोर्ड से कुछ नहीं कह सकी है और किसी बोर्ड ने दो दो, तीन तीन हजार में दूकान दे दी और किसी ने नीलाम कर दी हैं। मैं आपको कहता हूं कि भगवान के वास्ते आप ऐसा मत करो, देश की रक्षा करने की पुकार को आपको सुनना चाहिए। मैं इसके लिए पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने हर मर्त्तबा लिखा है कि नेशनल हाईवे के ऊपर दूकानें नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कई दफा लैटर लिखे हैं लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर और लोगों को ओब्लाइज करने के लिए वह बोर्ड पैसा पाने के लिए नेशनल हाईवे के ऊपर खुला सेल कर रहे हैं और मुल्क की स्थिति को खराब कर रहे हैं—इससे बड़ी खराब बात कोई हो नहीं सकती।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : कौनसे स्थान की बात कह रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अजमेर की बात कह रहा हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर हाईवे की बात कह रहे हैं वह तो अजमेर से अहमदाबाद तक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मदार गेट के आस-पास नेशनल हाईवे नं० ८ के बोर्ड

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपने लगा रखे हैं, वहां से वह हाईवे निकलता है, वहां पर और उससे आगे जाकर सड़क के दोनों तरफ दूकानें बनाई जा रही हैं। स्टेशन के सामने दूकानें बनाई जा रही हैं। उसके अन्दर दूकानें पाने वालों के नाम आप यदि बतायें कि इन--इन को मिली है तो मैं कह दूंगा कि इसका इससे ताल्लुक है, फलां आदमी का फलां से ताल्लुक है। और इस तरह लोगों को दूकानें देकर और सड़क को सकड़ा करके नेशनल हाईवे को खराब किया जा रहा है...

श्री परसराम मदेरणा: आप बोलिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं-इसमें क्या बात है। मैं आपके सामने जिस इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट को रख रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, उसको अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए ही वह मुझे नहीं रोक रहे हैं। आप इन्कार करें तब कुछ बातें आयेंगी मेरे सामने। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने एक बात रखी आपके सामने, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर लिख देते हैं कि दुकानें नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि म्युनिसिपल कमेटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का ड्यूअल शासन चल रहा है। जिस तरह से क्लाइव के जमाने में ड्यूअल गवर्नमेंट कायम हुई थी उसी तरह से यह ड्यूअल गवर्नमेंट कायम रह कर शहर की हालत को खराब कर रहे हैं। आज किसी भी शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है. मोडर्न ढंग से शहर को बनाने के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कानून आप ले आये और वह पास हो गया लेकिन इस सरकार ने आज तक कहीं पर भी किसी शहर के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया है लेकिन फिर भी बोर्ड ने लोगों को जमीन दे दी है। आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इन्जीनियर रख लें। बस उनको सरकार ने छूट दे दी है कि लूटो और खाओ। जमीन को बेचो और डिपार्टमेंट को चलाओ। अब इन्कार करे तो कौन इन्कार करे। अब मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने यू. आई. टी. हैं वह कोई मास्टर प्लान बनायें तो उसमें आब्जैक्शन्स हो सकते हैं ओर उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। लेकिन यू. आई. टी. ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और कह दिया कि यह बड़ी बड़ी रोड्स ली हैं और इनके सौ गज इधर उधर की यू. आई. टी. की जमीन हो गई है। वह जमीन तब उनकी हो गई है जब कि उनके मास्टर प्लान नहीं बने हैं और नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उनको आपने कह दिया है कि जमीन बेचो और डिपार्टमेंट को चलाओ। यह एक कांजी हाउस की तरह खोल दिया है, जिसमें इन्जीनियर वगैरह भर दिये हैं और कह दिया है कि तनख्वाहें लेते रहो। आप बतलाइये कि यू. आई. टी. का कौनसा दफ्तर खोलने पर कौन सा पैसा दिया गया है। बस एक परोपकारी औषधालय की तरह खोल दिया है कि चन्दा करो और काम चलाओ। जमीन बेचो और डिपार्टमेंट को चलाओ। यह एक ड्यूअल गवर्नमेंट आपने क्रियेट करदी हैं। मैं आपको अदब के साथ रहूंगा कि जो यू. आई. बी. की सिलेक्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी मेम्बर था। उस समय बड़े विश्वास के साथ एक अन्डरटेकिंग दी थी कि इसकी मन्शा यह है कि पहले मास्टर प्लान बनेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन होगा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी टुकड़ा म्युनिसिपल कमेटी से लिया जायगा, उसके इम्प्रूवमेंट पर जो खर्चा होगा उसका बिल म्यूनिसिपल कमेटी चुकायेगी। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि इनको हम कायदे से चलायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये बोर्ड कायदे में नहीं चलाये जा रहे हैं और क्लर्क वगैरह की तनख्वाह जमीन बेच कर दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसे अच्छी तरह से चलायें, जो कुछ करें हम करें और इसके साथ ही बगैर मास्टर प्लान पास किये आपके सरकारी लेवल पर जो जमीन है उस जमीन को बेचने नहीं देना चाहिए। और जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो तब तक यू. आई. टी. को काम बन्द कर देना चाहिए। इनमें आज हजारों झगड़े होते हैं। रोज सिलेक्ट कमेटी बनती हैं लेकिन कुछ होता नहीं।

मैं आपको कहता हूँ कि अजमेर का मास्टर प्लान बना है उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेडीकल कॉलिज बनेगा। शहरों की हेपहेजर्ड ग्रोथ को रोकने के लिए और प्रोपर डेवलपमेंट के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कानून पास किया था। और बोर्ड बन गये तो हमारी नोमीनेटेड कमेटी और म्युनिसिपल कमेटीज़ का कोई वजूद नहीं रहा है। इन बोर्डों में इस इन्टीग्रिटी के लोगों को रखते हैं कि जिनकी वजह से कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है। आज समझदार लोग शहरों में रहते हैं वह वहां की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और जो म्युनीसिपल कमेटी चलती हैं उनके कारनामों को देखते हैं और हमारे हर काम को देखा जाता है कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप घंटी बजाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नोट कर लीजिये मैं एक और आश्चर्यजनक बात बतलाता हूँ। यहां इस सदन का कोई भी सदस्य सरकार से कोई व्यापार करले तो उसको ऑफिस ऑफ प्राफिट में रख देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है वह डिपार्टमेंट सारी म्यूनिसिपल कमेटी के लिए एक सक्यूलर निकालता है वह यह है कि आप फिक्स करिये कि सारे म्यूनिसिपल के सदस्य कितने हजार रुपये तक का म्यूनिसिपल कमेटी से व्यापार कर सकते हैं। यह मैं बड़े आश्चर्य की बात आपको बता रहा हूँ। आपके डाईरेक्टोरेट की सेंक्शन को बिना लिये जहां एक पैसा भी म्यूनिसिपल कमेटी का कोई लेता है या उसमें बाकी है तो एक्ट में यह प्रावीजन है कि उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वही डाइरेक्टोरेट एक सक्यूलर सब म्यूनिसिपैलिटीज़ को भेज देता है जिसमें वह कहता है कि आप फिक्स कर लीजिये कि म्यूनिसिपल कमेटी में चुने हुए मेम्बर को कितने हजार तक के व्यापार को करने की छूट दे दी जाय यानी कितने हजार तक का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

व्यापार मेम्बर म्यूनिसिपल कमेटी से कर सकता है। मैं कहता हूँ, इससे करप्शन होने की कमेटी बन रही है और यह हो रहा है कि एक हजार की चीज को दो हजार में ले लिया जाता है। इस तरह करप्ट करना है म्यूनिसिपल कमेटी को। यह बिल्कुल अन्याय की बात है

(३.०० म. प.)

आप बतलावें कि आज डेमोक्रेसी में जहां पर इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये होती हैं। आपके डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर इस प्रकार के सरक्यूलर निकालते हैं। मैं यह कहूँगा कि उन सदस्यों को एक प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, उनको एक प्रकार का लालच दिया जाता है। हर नगरपालिका का सदस्य दो हजार तक व्यापार म्यूनिसिपैलिटी के साथ कर सकता है। इससे हर सदस्य दो दो हजार के टुकड़े करके अपना उल्लू साध सकते हैं और ऊंची रेट देकर दो हजार तक का व्यापार कर सकते हैं और इस तरह से म्यूनिसिपल फन्ड को आप करप्ट करते हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि डेमोक्रेसी जब खतम हो जाती है जब एम. एल. ए. और म्यूनिसिपैलिटी के चुने हुए सदस्यों को करप्ट करने की छूट दी जाती है। आप इस तरह से उनको व्यापार करने की आज्ञा देकर उन सदस्यों को करप्ट करने जा रहे हैं। फिर आप डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं पनप सकती है। आपका डाइरेक्टर लोकल बाडीज इस प्रकार का सरक्यूलर निकालते हैं और कहते हैं कि सदस्य म्यूनिसिपल कौंसिल से दो हजार तक व्यापार कर सकते हैं। आपने उनको दो हजार तक की छूट दी है कि ऊंची रेट पर टेन्डर दे दो और उसको आपके नाम पर पास करवा लो। यह सर्क्यूलर तो आपने भेजा तभी हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसा आपका तरीका है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह एक म्युनिसिपल कौंसिल में नहीं सारे राजस्थान में इस तरह से आप चलावें, यह आपका कहां का डेमोक्रेसी का तरीका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज मैं इस बात के लिये मुबारिक बाद देता हूँ कि आज काम जल्दी होता है। जो सही बात है उसके लिये कहना पड़ता है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि अजमेर नसीराबाद को पानी देने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसके लिये ६० लाख रुपये डिफेन्स की ओर से दिये गये हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज ४ साल का अर्सा हो गया आप उस काम को नहीं कर पाये हैं। कोई ८६ रोज में काम कोई डिपार्टमेंट कर सकता है तो अजमेर और नसीराबाद वाले लोग त्राहि-त्राहि पानी के बिना कर रहे हैं, मगर उनकी समस्या को आप हल नहीं कर रहे हैं। वहां पर रोज झगड़े होते है और पानी के लिये लड़ाई होती है, रोयट होते है। पानी के लिये लोग त्राहि त्राहि करते हैं। वहां पर मुख्य मन्त्रीजी ओपन पब्लिक मीटिंग में आये थे और उसमें कहा था कि पानी बहुत जल्दी आ जायेगा। हम कहते हैं कि पानी आ जाएगा। मगर लोग वहां पर परेशान बैठे है। नसीराबाद में वहां के लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। वह काम आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करें। वह काम आप पूरा नहीं कर सके। एक डिपार्टमेंट ८६ रोज में अच्छे ढंग से एक काम पूरा कर सकता है; क्या आप उस काम को ४ वर्षों में भी नहीं कर सकते? चार वर्षों में पानी वहां नहीं पहुंचा सके। कुएं खुदवाने की मांग थी जिससे कि वहां पर पानी आ सके उसके लिये भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। बिजली भी पूरी तरह नहीं पहुंचा सके। नसीराबाद में पानी के लिये डिफेन्स के आपके पास ९० लाख रुपये हैं, मगर फिर भी आपको वहां पानी की चिन्ता नहीं। आज वहां पर फौजी लोग रहते हैं, उसकी वजह से भी जल्दी नहीं करते हैं। वहां पर पानी की सख्त जरूरत है। सफाई की जरूरत है। आपकी सरकार सोती रहती है। आप उसे छोड़ नहीं सकते। मैं यह मान सकता हूं कि देश की सुरक्षा के नाम से पानी को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाना चाहिये और जो रुपये डिफेन्स की तरफ से दिये उन रुपयों को पड़ा रखना उन रुपयों का दुरुपयोग है जो रुपया दिया गया है उसको जल्दी से जल्दी काम में लेना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात और कहनी है—

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी शीघ्रता करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चुनावों के बारे में बहुत कहना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण थोड़ा ही कहूंगा। आप आज्ञाएं जारी करते हैं किसी के आप चुनाव करा देते हैं जिसके आप चाहते हैं जिसको नहीं चाहते उनके चुनाव नहीं कराते। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई छोटी--मोटी चीज नहीं है इसमें आपकी एक नीति होनी चाहिये। सबको मालूम होना चाहिये कि एक्ट की क्या मंशा है। कितने समय में चुनाव हो जायेंगे। क्या जरूरत है मियाद बढ़ाने की। किसी की छः महीनों की म्याद बढ़ा देते है व किसी की ज्यादा। समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्यों करते है। लोग अपनी किस्मत को जिस तरह से जेल खाने में कैदी बैठा २ रोता है उसी तरह से ये लोग भी रोते हैं। वे हमेशा इस बात की राह देखते हैं कि कब आपका पैगाम इश्यू हो। समझ में नहीं आता कि आप उन लोगों के अधिकारों को अपने हाथ में लेकर क्यों बैठ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सब के चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिये व एक साथ होने चाहिये। आप यह चाहते हैं कि आपकी ऐसी सरकार हो जाये जिसमें आप १५--१५ वर्ष तक बैठे रहें और आपके चुनाव न हों। यह तो नहीं हो सकता। आपके चुनाव भी ५ साल में होते हैं। आपके लिये अगर आप यह चाहें कि इस इलेक्शन को ६ महीने के लिये आगे हटा दिया जाय, तो ये आपकी ताकत नहीं है। आप इसे नहीं हटा सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि आप इन प्रस्तावों के साथ भी वही व्यवहार करें जैसा आप व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, सबको जाना पड़ता है और पड़ेगा। इसलिये जनता की म्युनिसपैलिटियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये क्योंकि आखिर सदस्यों को जनता के सामने मुंह लेकर जाना पड़ता है। आपको चाहिये कि एक निश्चित समय के बाद इलेक्शन करायें। आपके इस प्रकार के कानून में हेर-फेर करने से मैं समझता हूं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि यह सरकार चलने वाली नहीं है व हमारी नीतियों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है । इसलिये आप इसको इम्प्रूव करें ।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने सारी पंचायतों और रूरल पोपुलेशन में फर्क डाल दिया है । पंचायतों के आपने ज्यादा पावर दे दी हैं, स्कूलें उनके पास, म्युनिसिपेलिटी उनके पास न्याय भी वही करते हैं और शहरों वाले इतने बुध्दू हैं कि वे किसी तरह के अधिकार नहीं ले सके । आप कहते हैं कि प्रीऑडिट, मैं इसका घोर विरोध करता हूं । अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर प्रीऑडिट लगा दें तो आप नहीं चाहेंगे । मगर आप शहरों पर प्रीऑडिट लगा रहे हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि करप्शन को रोकने के लिये म्युनिसपेलिटी के किसी भी सदस्य को बाध्य किया जाये कि वो म्युनिसपेलिटी के साथ किसी भी तरह का व्यापार न कर सके । और यदि कोई करता है तो रोका जाय । चाहे इस संबंधों में डायरेक्टर–ऑफ-लोकल बोडीज से २००० तक व्यापार करने का रिज़ोल्यूशन पास किया जा चुका है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे उसको सुरक्षा की दृष्टि से भी बरबाद नहीं किया जाए । जब तक कोई मास्टर प्लान नहीं बने तब तक यू. आई. टी. (अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड) को कोई अधिकार नहीं है कि वह शहरों की खूबसूरती को बरबाद करे । मैं यह कहूंगा कि शहरों की सुन्दरता को बरबाद मत करो ! बढ़ती हुई आबादी के कारण उनको बदसूरत मत बनाओ । हर चीज जो है उसको सुरक्षित रूप रखो और जब तक मास्टर प्लान न बने यू. आई. टी. को काम मत करने दो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे पास ११० मिनट के करीब और हैं और १०, ११ संशोधन हैं और इसके बाद में सरकार की ओर से जवाब भी होगा । इसलिए इस ख्याल से दरख्वास्त है कि वे अपना भाषण इतना ही संक्षेप में रखें ।

श्री केदारनाथ ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अध्यादेश पर बहुत ही व्यंग पूर्वक भाषा में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए वक्तव्य दिया है । मैं इस अध्यादेश और जो विधेयक सरकार ने पेश किया है, मैं भी इसके पीछे जो सिद्धान्त है और नीतियें हैं, चूंकि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । यह अध्यादेश सिर्फ तीन नगरपालिकाओं के चुनावों को, जिसको

(श्री मानिकचंद सुराणा)

राजस्थान हाई कोर्ट में अवैध घोषित कर दिये हैं उनको वापिस वैध करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रख्यापित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि संविधान के तहत संविधान की धारा २१३ के तहत राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के अधिकार हैं कि वे किसी विशेष परिस्थिति में शीघ्र कार्य-वाही करने के लिये इमीजियेट एक्शन के लिये कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। पर प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस अध्यादेश को जारी करने की कौन सी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई थीं, कोनसी इमीजियेट एक्शन की मांग सरकार के सामने आई और किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के पीछे क्या इतिहास है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि हाई कोर्ट ने तीन म्युनिसिपैलिटियों के चुनावों को रद्द करने के आदेश दिये। सिंगल मेम्बर के जजमेन्ट के विरुद्ध अपील की, अपील डिविज़न बैंच में पैंडिग थी, डिविज़न बैंच द्वारा फैसला नहीं दिया गया था, उनके बीच में ही यह अध्यादेश जारी किया, राज्य सरकार ने पैंडिग मामले में अध्या–देश जारी किया। हाई कोर्ट की सिंगल बैंच के आदेश राज्य सरकार के विरुद्ध हुए और इन म्युनिसिपैलिटियों के चुनावों को रद्द किया। यह इस अध्यादेश के पीछे इतिहास है। भारत सरकार ने भी अध्या-देश जारी कये हैं पर जिस समय देश में एमर्जेंसी हुई उस समय अध्यादेश जारी कया, मूल्यों में वृद्धि हुई तो उसके लिये अध्यादेश जारी करना पड़ा था, पार्लिया–मेंट के मिलने से पहले एसेंशियल कोमोडि-टीज़ के कानून के नीचे ऑडिनेन्स जारी किया और अपराधियों को समेरी ट्रायल के द्वारा सजा दी जा सके इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया। इस प्रकार के अध्यादेशों का मूल्य हो सकता है। पर यहां किस प्रकार अध्यादेश जारी किये गये? अकाल के मजदूरों ने मांग की कि हमें मजदूरी का डेढ़ रुपया मिलना चाहिये तो सरकार अध्यादेश जारी करती है कि अकाल में काम करने वाले मजदूरों को डेढ़ रुपया नहीं दिया जा सकता। ग्राम दान के गांवों में यदि उनको कोई विशेष अधिकार देना है, ग्रामदान की कमेटी के चेअरमैन को पंचायत समिति का सदस्य बनाना है तो अध्यादेश जारी कर दिया। म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हुए, हाई कोर्ट ने उन चुनावों को अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी करार दे दिया तो इसके लिये राजस्थान सरकार अध्यादेश जारी करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि सरकार की इस प्रकार की आदत पड़ी हुई है कि इस प्रकार के मामूली नुक्तों पर अध्यादेश जारी कर दिये जायं, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। आज आपकी सरकार है, कल स्वतन्त्र पार्टी की सरकार बन जाय, या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी ओर वे भी इस प्रकार की धींगा धींगी करें, आपको यदि विरोधी दल में बैठने का मौका पड़े तो आपके सहयोगी सदस्य क्या दलील देंगे? वे मामूली अध्या-देश जारी करेंगे तो आप क्या कह कर विरोध करेंगे, आप विरोध करेंगे तो वे कहेंगे कि आपकी सरकार ने तो हमसे भी

(श्री मानिकचंद सुराणा)

बहुत ज्यादा मामूली मामूली मामलों में बहुत ज्यादा अध्यादेश जारी किये हैं, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे ? इसलिए इस जनतन्त्र का यह तकाजा है कि विधान सभा बनी है, जो कानून बनाती है, संविधान ने जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया है; पिछले अक्टोबर में विधान सभा मिली थी, उससे पहले अगस्त में विधान सभा मिली थी। हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था। यदि आप कानून लाना चाहते थे तो विधान सभा सत्र में थी, आप कानून ला सकते थे। इसलिए मैं इन सारी परिस्थितियों के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि इमिजियेट एक्शन के लिये, फौरी एक्शन के लिए विशेष परिस्थितियां पैदा होने पर संविधान की धारा २१३ के अन्दर प्रावधान दिया गया है, उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। पर इन मामलों में फौरी एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। संविधान में गवर्नर के लिए लिखा है :

"If at any time.........the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances............"

उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रावधानों के तहत कोई इमीजियेट एक्शन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि यदि यह अध्यादेश जारी नहीं करते तो क्या नतीजा होता ? गंगाशहर, भीनासर और बीकानेर की तीन म्युनिसिपैलिटियों के बारे में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जजमेंट को कायम रख देते तो तीनों म्युनिनिसिपैलिटियां एक हो जातीं। यदि सरकार यह चाहती थी कि गंगाशहर, भीनासर और बीकानेर की एक म्युनिसिपैलिटी नहीं हो, तीनों म्युनिसिपैलिटियां चलनी चाहिये, यह सरकार की मंशा थी तो जैसा कि कानून में प्रावधान हैं जनता से एतराज मांग कर एक म्युनिसिपल कमेटी को तीन म्युनिसिपल कमेटियों में बांट देती, इसमें तीन महीने का समय लग सकता था, उससे क्या असर पड़ने वाला था। पिछले ६–८ महीनों से बिना एडमिनिस्ट्रेटर के एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर ने चला लिया। तो जो म्युनिसिपल एक्ट के तहत आपको अधिकार दिया हुआ है उसके अनुसार आप कार्यवाही कर सकते थे, आपको ६ महीने इन्तजार करना पड़ता, पर उसमें आपका विगड़ने वाला क्या था ? आप कहें कि डेमोक्रेसी में हमारा इतना भरोसा है कि हम एक दिन के लिये भी उनको पॉवर से महरूम नहीं करना चाहते तो यह दलील आपकी गलत है, अनेकों म्युनिसिपैलिटियों में आपने एड्मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये हैं। तीन म्युनिसिपैलिटियां कानून के द्वारा दुबारा बन सकती थीं पर राजस्थान सरकार को धैर्य नहीं था। आपने यह एक्शन किया, किस सिद्धान्त के आधार पर किया। इस ऑर्डिनेन्स में कोई सिद्धान्त है तो यह हो सकता है, जनता के प्रतिनिधियों की गलती नहीं थी कि वे चुनावों में खड़े हुए और जीत गये, इसमें सरकार की गलती नहीं थी कि गलत नोटिफिकेशन किया, इसमें जनता के प्रतिनिधियों की गलती नहीं थी, फिर उनको क्यों परेशान किया जाय ?

(श्री मानिकचंद सुराणा)

पंचायतों के, विधान सभा के, म्युनिसिपेलिटियों के चुनाव होते हैं इनमें गलतियां रह सकती हैं। यदि राज्य सरकार इस सिद्धान्त को मानने लगे कि राज्य सरकार की प्रत्येक गलती को ठीक करने के लिये ऑर्डिनेन्स लाना जरूरी हो जाता है तो, इस सब प्रकार के चुनावों में जितने चुनाव पिटीशन के प्रावधान हैं वे नल एण्ड वोइड हो जायेंगे। जहां सरकार की प्रक्रिया में दोष रह गया है, जिनको मेन्डेटरी रूप से करने के लिये कानून ने सरकार को बाध्य किया है, उन मेन्डेटरी प्रोविजन्स का सरकार वायोलेंस करती है तो हाईकोर्ट जजमेंट देता है कि चुनाव अवैध है, और अगर सरकार अपनी इन सब प्रकार की गलतियों को दुरुस्त करने के लिये अध्यादेश जारी करती है तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी इस समय यहां इसलिये नहीं हैं कि उन्हें शर्म आ रही है, यह भी हो सकता है कि वे सदन को फेस नहीं करना चाहते, वे प्रत्येक ऐसे मौकों पर सदन से गैर हाजिर रहते हैं, अपना काम उपमंत्री जी को सुपुर्द कर देते हैं। उप–मंत्रीजी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और बड़ी होशियारी से बिल को पायलेट करते हैं, और यह देखा है कि मंत्रीजी से ज्यादा तैयारी करके आते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री त्री सदन को फेस करने में असमर्थ हैं तो वे यह पोर्टफोलियो छोड़ दें, उपमंत्रीजी को प्रोमोट कर दिया जाय। वे आज अनुपस्थित हैं तो मैं इसलिये विरोध प्रदर्शित करता हूँ कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने में उपमंत्रीजी का हाथ नहीं है, मंत्रीजी का हाथ है, इसीलिये वे गैरहाजिर हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते यह थे कि हम सुखाड़िया जी से मिल आये और यह ऑर्डिनेन्स जारी करा दिया। कई कहते थे कि हम माथुर साहब से मिल आये और यह आर्डिनेन्स जारी करा दिया, कई कहते थे कि हम बरक्कतुल्ला साहब से मिल आये और आर्डिनेन्स जारी करा दिया। पता नहीं, कितने नेता कितने मंत्रियों से मिले और यह श्रेय ले आये आर्डिनेन्स जारी करवाने का।

हाईकोर्ट के जजमेंट से जो म्युनिसिपैलिटियां खत्म होती हैं उनमें आज किसी का शासन नहीं है, कांग्रेस वाले यदि कहें कि हमारा शासन है तो गलत, कांग्रेस पार्टी का वहां शासन नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वहां कोई कांग्रेस की नगरपालिका नहीं हैं जिसको डिफेंड करने लिए कानून लाया जा रहा है। लेकिन जहां किसी पार्टी विशेष को डिफेंड करने के लिए न भी लाया गया हो तो भी सिद्धांततः यह गलत है कि इस तरह का कार्य किया जाय और यह जो कमेटी आपने दुवारा कायम की क्या आपके दिल में म्यूनिसिपल कमेटी के लिए दर्द है?

बीकानेर में स्माल पॉक्स फैला, राज्य सरकार ने दस हजार रुपए की मदद वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को दी। सारे शहर में स्माल पॉक्स फैल जाय, डेढ़ हजार बच्चे मर जायं, लेकिन राज्य सरकार एक लाख या पचास हजार की विशेष सहायता नहीं देती। नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है? मैं सारे राजस्थान में घूमता हूँ। सड़कें ऐसी हैं कि लोगों के जी में आता है कि कोई मन्त्री

Page No 88

(श्री मानिकचंद सुराणा)

आ जाय तो उनका सिर फोड़ दिया जाय। सारी सड़कें टूटी हुई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): आपकेदिमाग में यही रहता है, लेकिन यह सौदा इतना सस्ता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैंने सुना है कि उप गृह मन्त्री अच्छे साहित्यकार हैं, इनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, लेकिन मुझे रंज है कि जो व्यंग में मैंने बात कही, उसका अर्थ नहीं समझा। वहां की सड़कें टूटी फूटी स्थिति में हैं। बीकानेर नगरपालिका अपने खुद के रिसोर्सेज से ५ साल में भी उसको ठीक नहीं कर सकती और इसी स्थिति में ३–४ और बड़े बड़े शहर हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार म्यूनिसिपल कमेटियों को उनकी सड़कें ठीक करने के लिए कोई विशेष सहायता देने को तैयार है, कोई प्लान है उसके पास में आप कहते हैं कि हम राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, जयपुर में निश्चित रूप से सड़कें अच्छी हैं, लेकिन १७ साल हुए, क्या कांग्रेस सरकार जयपुर की गन्दी छोटी छोटी नालियों को खत्म कर सकी, क्या गंदी गलियों को खत्म हो सकीं? यदि दस लाख भी जयपुर शहर की गन्दी गलियों को साफ करने में राज्य सरकार खर्च करे तो क्या स्वायत्त शासन की जो नीति है उसमें कोई इन्फल्ट्रेशन नहीं होगा, आपका सिद्धांत खत्म नहीं हो जायगा? जब तक बीकानेर नगरपालिका को १० लाख नहीं दे देते तब तक सारे शहर की सड़कों और नालों और सफाई की स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज शहर की हालत यह है कि ७५ हजार रुपये राज्य सरकार ने जो विशेष सहायता के लिए एक बहुत बड़े नाले के निर्माण के लिए नगरपालिका को दिए और कहा कि तीन साल तक ७५ हजार रु० देंगे। कमेटी से कहा कि ७५ हजार रुपए प्रति वर्ष आप खर्च करो तो साल में डेढ़ लाख हुआ और तीन साल में साड़े चार लाख हुए। जो बहुत बड़ा नाला बनाना था उसका क्या हुआ? वह पैसा हरिजनों की तनख्वाहें बांटने में लगा दिया, वह नाला नहीं बना और नगरपालिका नहीं बना सकती। यदि आप चाहते हैं कि साड़े चार लाख खर्च करके बहुत बड़ा नाला जो बीकानेर के पचास हजार नागरिकों को परेशान करता है उसकी बदबू से सारा शहर परेशान है, तो यह रुपया पी. डब्लू. डी. को राज्य सरकार ट्रांस्फर करे और डाइरेक्टली पी. डब्लू. डी. के द्वारा बहुत बड़े नाले के काम की शुरूआत करे।

यह जो राजस्थान में नगरपालिकाओं के साथ साथ एक अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खड़ा कर दिया गया है, आपने एक हाथ से नगरपालिका को जो कुछ दिया है, इन ट्रस्ट्स का निर्माण करके नगरपालिकाओं का जो सबसे बड़ा धन था जमीन उसके बेचने का सारा अधिकार आपने इन ट्रस्ट्स को दे दिया है। आपने नगरपालिकाओं को दीवालिया बना दिया है। आपने मनमानी की है और उनमें सरकार ने मनमाने आदमियों को अध्यक्ष बना दिया है। बीकानेर, अलवर, जयपुर–प्रत्येक जगह

(श्री मानिकचंद सुराणा)

पंचायतों के, विधान सभा के, म्युनिपैलि-टियों के चुनाव होते हैं इनमें गलतियां रह सकती हैं। यदि राज्य सरकार इस सिद्धान्त को मानने लगे कि राज्य सरकार की प्रत्येक गलती को ठीक करने के लिये ऑर्डिनेन्स लाना जरूरी हो जाता है तो, इस सब प्रकार के चुनावों में जितने चुनाव पिटीशन के प्राव-धान हैं वे नल एण्ड वोइड हो जायेंगे। जहां सरकार की प्रक्रिया में दोष रह गया है, जिनको मेन्डेटरी रूप से करने के लिये कानून ने सरकार को बाध्य किया है, उन मेन्डेटरी प्रोविजन्स का सरकार वायोलेंस करती है तो हाईकोर्ट जजमेंट देता है कि चुनाव अवैध है, और अगर सरकार अपनी इन सब प्रकार की गलतियों को दुरुस्त करने के लिये अध्यादेश जारी करती है तो इसके बड़े भयंकर परि-णाम होंगे। मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी इस समय यहां इसलिये नहीं हैं कि उन्हें शर्म आ रही है, यह भी हो सकता है कि वे सदन को फेस नहीं करना चाहते, वे प्रत्येक ऐसे मौकों पर सदन से गैर हाजिर रहते हैं, अपना काम उपमंत्री जी को सुपुर्द कर देते हैं। उप–मंत्रीजी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और बड़ी होशियारी से बिल को पायलेट करते हैं, और यह देखा है कि मंत्रीजी से ज्यादा तैयारी करके आते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री त्री सदन को फेस करने में असमर्थ हैं तो वे यह पोर्ट-फोलियो छोड़ दें, उपमंत्रीजी को प्रोमोट कर दिया जाय। वे आज अनुपस्थित हैं तो मैं इसलिये विरोध प्रदर्शित करता हूँ कि इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने में उपमंत्रीजी का हाथ नहीं है, मंत्रीजी का हाथ है, इसीलिये वे गैरहाजिर हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते यह थे कि हम सुखाड़िया जी से मिल आये और यह ऑर्डिनेन्स जारी करा दिया। कई कहते थे कि हम माथुर साहब से मिल आये और यह आर्डिनेन्स जारी करा दिया, कई कहते थे कि हम बरक्कतुल्ला साहब से मिल आये और आर्डिनेन्स जारी करा दिया। पता नहीं, कितने नेता कितने मंत्रियों से मिले और यह श्रेय ले आये आर्डिनेन्स जारी करवाने का।

हाईकोर्ट के जजमेंट से जो म्युनिसि-पैलिटियां खत्म होती हैं उनमें आज किसी का शासन नहीं है, कांग्रेस वाले यदि कहें कि हमारा शासन है तो गलत, कांग्रेस पार्टी का वहां शासन नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वहां कोई कांग्रेस की नगरपालिका नहीं हैं जिसको डिफेंड करने लिए कानून लाया जा रहा है। लेकिन जहां किसी पार्टी विशेष को डिफेंड करने के लिए न भी लाया गया हो तो भी सिद्धांततः यह गलत है कि इस तरह का कार्य किया जाय और यह जो कमेटी आपने दुबारा कायम की क्या आपके दिल में म्यूनिसिपल कमेटी के लिए दर्द है ?

बीकानेर में स्माल पॉक्स फैला, राज्य सरकार ने दस हजार रुपए की मदद वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को दी। सारे शहर में स्माल पॉक्स फैल जाय, डेढ़ हजार बच्चे मर जायं, लेकिन राज्य सरकार एक लाख या पचास हजार की विशेष सहायता नहीं देती। नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है ? मैं सारे राजस्थान में घूमता हूँ। सड़कें ऐसी हैं कि लोगों के जी में आता है कि कोई मन्त्री

(श्री मानिकचंद सुराणा)

आ जाय तो उनका सिर फोड़ दिया जाय। सारी सड़कें टूटी हुई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): आपकेदिमाग में यही रहता है, लेकिन यह सौदा इतना सस्ता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैंने सुना है कि उप गृह मन्त्री अच्छे साहित्यकार हैं, इनकी पुस्तकें छपी हुई हैं, लेकिन मुझे रंज है कि जो व्यंग में मैंने बात कही, उसका अर्थ नहीं समझा। वहां की सड़कें टूटी फूटी स्थिति में हैं। बीकानेर नगरपालिका अपने खुद के रिसोर्सेज से ५ साल में भी उसको ठीक नहीं कर सकती और इसी स्थिति में ३–४ और बड़े बड़े शहर हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार म्यूनिसिपल कमेटियों को उनकी सड़कें ठीक करने के लिए कोई विशेष सहायता देने को तैयार है, कोई प्लान है उसके पास में आप कहते हैं कि हम राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, जयपुर में निश्चित रूप से सड़कें अच्छी हैं, लेकिन १७ साल हुए, क्या कांग्रेस सरकार जयपुर की गन्दी छोटी छोटी नालियों को खत्म कर सकी, क्या गंदी गलियों को खत्म हो सकीं? यदि दस लाख भी जयपुर शहर की गन्दी गलियों को साफ करने में राज्य सरकार खर्च करे तो क्या स्वायत्त शासन की जो नीति है उसमें कोई इन्फल्ट्रेशन नहीं होगा, आपका सिद्धांत खत्म नहीं हो जायगा? जब तक बीकानेर नगरपालिका को १० लाख नहीं दे देते तब तक सारे शहर की सड़कों और नालों और सफाई की स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज शहर की हालत यह है कि ७५ हजार रुपये राज्य सरकार ने जो विशेष सहायता के लिए एक बहुत बड़े नाले के निर्माण के लिए नगरपालिका को दिए और कहा कि तीन साल तक ७५ हजार रु० देंगे। कमेटी से कहा कि ७५ हजार रुपए प्रति वर्ष आप खर्च करो तो साल में डेढ़ लाख हुआ और तीन साल में साढ़े चार लाख हुए। जो बहुत बड़ा नाला बनाना था उसका क्या हुआ? वह पैसा हरिजनों की तनख्वाहें बांटने में लगा दिया, वह नाला नहीं बना और नगरपालिका नहीं बना सकती। यदि आप चाहते हैं कि साढ़े चार लाख खर्च करके बहुत बड़ा नाला जो बीकानेर के पचास हजार नागरिकों को परेशान करता है उसकी बदबू से सारा शहर परेशान है, तो यह रुपया पी. डब्लू. डी. को राज्य सरकार ट्रांस्फर करे और डाइरेक्टली पी. डब्लू. डी. के द्वारा बहुत बड़े नाले के काम की शुरूआत करे।

यह जो राजस्थान में नगरपालिकाओं के साथ साथ एक अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खड़ा कर दिया गया है, आपने एक हाथ से नगरपालिका को जो कुछ दिया है, इन ट्रस्ट्स का निर्माण करके नगरपालिकाओं का जो सबसे बड़ा धन था जमीन उसके बेचने का सारा अधिकार आपने इन ट्रस्ट्स को दे दिया है। आपने नगरपालिकाओं को दीवालिया बना दिया है। आपने मनमानी की है और उनमें सरकार ने मनमाने आदमियों को अध्यक्ष बना दिया है। बीकानेर, अलवर, जयपुर–प्रत्येक जगह

Page No 91

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आपने अपने सरकारी नुमाइंदे बिठा दिए हैं। जमीनों का पैसा ट्रस्ट्स के पास आ रहा है, उस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मास्टर प्लान नहीं बनाते, योजनाएं नहीं बनाते, नगरपालिकाएँ जमीनें नहीं बेच सकतीं, मकान के लिए लोग तरसते हैं कि जमीन मिल जाय। जमीन के प्राइसेज़ इतने बढ़ गए हैं कि साधारण तौर पर एक गज जमीन के दस रुपए हो गए हैं। जो जमीन नगरपालिका बेचे तो एक रुपऐ गज में बेचे उसके २०-२५ रु० हो गए हैं। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स के निर्माण के बाद जो अनुभव राजस्थान में हुए हैं वे यह हैं कि इन ट्रस्ट्स को सारे राजस्थान में खत्म किया जाय और सारे पॉवर्स वापिस नगरपालिकाओं को दिए जायं। यदि नगरपालिकाएं जमीन बेचने में धींगां-धींगी करती हैं तो उन पर बराबर चैक रखा जाय, एपेलेट बोर्ड बनाए जायं। बीकानेर शहर के लिए जो ऑर्डीनेन्स लाया गया है जिन परिस्थितियों में लाया गया है उससे खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ऑडिनेन्स को खुद वापस ले लें, इस बिल को वापिस ले लें और यदि बीकानेर शहर में तीन नगरपालिकाएँ बनानी हैं, चार मील की सीमा में बीकानेर, गंगानगर और भीनासर में, तो कोई हर्ज नहीं, म्यूनिसिपल एक्ट के अन्दर दुबारा, नोटीफिकेशन जारी करें, तीन म्यूनिसिपैलिटीज़ बनायें, मुझे एतराज नहीं लेकिन म्यूनिसिपल एक्ट के तहत। संविधान के प्रोवीज़न्स की हत्या करके और संविधान की धारा २१३ के विशेष अधिकारों का प्रयोग करके आपने जो ऑर्डिनेन्स बनाया है उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि सही जनतंत्र के विकास के लिए इस ऑर्डिनेन्स को वापिस लें।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : माननीय उपाध्यक्ष······

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से दर्ख्वास्त करूंगा कि १० मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में लाया गया है और सदन में जो कई बार बिल आते हैं उनसे साफ जाहिर है कि सरकार शायद समझती होगी कि पंचायत के चुनावों में जीत गए तो जनता का सरकार में विश्वास है। फिर ये लोग सोचते हैं कि पॉवर्स कैसे छीनें जायें तो फिर अध्यादेश जारी किया जाता है और नए नए कानून बनाते हैं और अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं। आज पंचायत चुनाव में जीतने से कुछ नहीं होता। अगर सारे राजस्थान में देखें तो बड़े बड़े नगरों में—उदयपुर, जयपुर—वहां विरोधी दलों की नगरपालिकाएं हैं, कांकरोली और नाथद्वारा में जनसंघ की हैं। सरकार को जनता के प्रतिनिधियों में विश्वास है तो फिर ये नए नए पॉवर्स लेना बेइमानी है। उदयपुर नगरपालिका में २५ सदस्य जनसंघ के हैं, ८ कांग्रेस के हैं, वहां पर भी सरकार ने नई नई रंगबाजी शुरू कर दी है। कभी वहां के मंत्रियों के ट्रान्सफर करते हैं। मैं नहीं समझता कि जनतन्त्रवाद में सारी नगरपालिका के अध्यक्ष और नगरपालिक

(श्री जोधसिंह चौहान)

के सदस्य मिलकर इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका में पास करते हैं कि मंत्री का ट्रान्सफर न किया जाय, पर जनता की आवाज को न सुन कर उनका ट्रान्सफर किया। मंत्री महोदय वहां के सेक्रेटरी का ट्रान्सफर करते हैं। मैं तो यह भी आपको कहूंगा कि उनके ट्रान्सफर के आदेश ही नहीं दिये, किन्तु सेक्रेटरी जो बीमार थे, पलंग पर थे, जिनको टाइफॉइड था, उनका उस हालत में ट्रान्सफर किया गया और यह आदेश दिया गया कि तीन दिन के अन्दर ट्रान्सफर होकर नहीं जाओगे.........

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि विषय पर ही बोलें।

श्री जोधसिंह चौहान : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट भी नहीं हुए हैं। मुझे बार बार इसके लिए कहा जाता है जब भी मैं बोलता हूं तो। आपकी आज्ञा होगी तो मैं एक मिनट भी अधिक नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट बोलें।

श्री जोधसिंह चौहान: दस से ग्यारहवें मिनट नहीं बोलूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से विरोधियों की नगरपालिकाओं को बाधायें पहुंचायी जाती हैं। उदाहरण के लिए निवेदन कर रहा था कि उदयपुर नगरपालिका के सेक्रेटरी बीमार पड़े थे, टाइफॉइड था, पलंग पर थे, लेकिन उनको ट्रान्सफर के आदेश होते हैं। साथ साथ यह भी आदेश होते हैं कि तीन दिन के अन्दर अपने ट्रांसफर पर नहीं गये तो अपने को खारिज समझो। नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष सबने मिल कर मंत्री महोदय से कहा कि उनका इस हालत में ट्रांसफर न किया जाय, लेकिन उनका ट्रांसफर किया जाता है और वे जब टाइफॉइड में थे और न जा सके तो उनको सस्पेन्ड कर दिया गया, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जनता की आवाज को किस प्रकार कुचला जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखता हूं। दूसरा उदाहरण है कांकरोली का। वहां पर भारतीय जनसंघ की नगरपालिका है। वहां के सेक्रेटरी का अध्यक्ष ट्रान्सफर करना चाहते हैं, लेकिन उसका ट्रान्सफर होता नहीं है क्योंकि आचार्य जी, डिप्टी मिनिस्टर के लिए वह प्रचार करता है और उनको मदद करता है, इसलिए उसका ट्रान्सफर नहीं होने देते। वह भी जोरों से और छाती ठोक कर कहता है कि आचार्यजी का हाथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : स्वतन्त्र पार्टी के दो और जन-संघ के सात हैं। थोड़ा सा बुदबुदा है, देखा जायगा।

श्री जोधसिंह चौहान : मोर पैरों की ओर देखता है तो रोता है।

यही नहीं कांकरोली में एक जमीन है जहां पर पशु बैठते हैं। आचार्यजी का हाथ है, मिनिस्टर का हाथ है इसलिए वह सारी की सारी जमीन जहां पर पशु बैठा करते थे एक व्यक्ति को अलॉट कर दी।

(श्री जोधसिंह चौहान)

सब सदस्यों ने मिलकर रिट दायर की ।—

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर, मेरा पोइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर यह है कि आपकी तो ग्रादत में है कहने की । रूल १७३ जिसमें एलीगेशन्स का विवेचन है उसके ग्रन्तर्गत ये मुझ पर एलीगेशन्स लगाना चाहते हैं क्योंकि ऊंटों की सवारी निकाली है उदयपुर में । रूल १७३ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या किसी मिनिस्टर के सम्बन्ध में ऐसे एलीगेशन्स जो उनसे डाइरेक्ट सम्बन्धित हैं यदि लगाये जायं तो लगाने के पूर्व, जिस पर एलीगेशन्स लगाये जाते हैं, ग्रापको मुझको, ग्रौर ग्रध्यक्ष जी को प्रीवियस नोटिस देना चाहिये । आप तो न मालूम कहां से क्या ले ग्राये ? कौन सी जमीन ? कहां जानवर बैठते हैं ? कहां से उड़ गये ? मेरे नोटिस में यह नहीं है । मुझे प्रीवियस नोटिस देते जिससे मुझे एलीगेशन्स का एक्स्प्लेनेशन देने का मौका मिलता । ग्रापको यह हिदायत की जाय कि इस प्रकार एलीगेशन्स न लगायें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस समय जो वाद-विवाद चल रहा है वह राजस्थान कतिपय नगरपालिकाओं का; जिसमें भीनासर, गंगाशहर ग्रौर बीकानेर की नगरपालिकाग्रों के चुनाव के वैधकरण से सम्बन्धित है ग्रौर सब ही माननीय सदस्यों ने उस ग्राशय से ही संबंधित सारे विवाद किये हैं । मैं क्षमा चाहता हूं ग्रापकी सारी बहस ट्रान्सफर ग्रादि के विषय में जा रही है । जिस समय कट मोशन्स पर बहस चले उस समय ग्राप उन सारे तथ्यों को रखें । इस प्रकार के वैधकरण से क्या उचित ग्रौर क्या अनुचित कार्यवाही हो रही है उसी पर प्रकाश डालें तो ग्रच्छा होगा ।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण के रूप में रखा है कि विरोधी पार्टी की नगरपालिकाग्रों को किस प्रकार बाधायें पहुंचायी जाती हैं । मैं नहीं समझता कि जनतन्त्र में इस प्रकार की ग्राप हरकतें करें ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप सुनिये ।

केवल ग्रर्ज करने का मतलब यह है कि ग्रापने रूल १७३ की तरफ ध्यान आकर्षित किया ग्रौर मैं ग्रब ग्रापका ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करता हूं कि ग्राप ग्रपना विषय है उस पर ही सीमित रहें ग्रौर ग्रनेक प्रकार के ग्रभाव-ग्रभियोग बजट की बहस के समय रखने का मौका ग्रायेगा उस समय रख सकेंगे । इस समय जो वैधकरण का विधेयक है उससे क्या हानि और नुकसान हो सकता है उस पर प्रकाश डालें; जिस प्रकार ग्रन्य माननीय सदस्यों ने डाला है जिससे सीमित समय में कह सकेंगे । पांच मिनिट ग्रापने लिये हैं दो मिनिट मैंने बीच में ले लिये हैं, ग्राप पांच मिनिट ग्रब ग्रोर ले लें ।

श्री जोधसिंह चौहान : मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि विरोधी पार्टियों की जहां पर नगपालिकायें होती हैं तो इस प्रकार के विधेयक लाकर उनको खत्म करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं ग्रनेक प्रकार से उन पर दबाव डाल कर । किसी मिनिस्टर पर लांछन लगाने की बात

(श्री जोधसिंह चौहान)

नहीं हैं। आप जानते हैं, आपके हृदय से पूछिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो इतना सहृदय हूं कि आपको जेल में भी सम्हालने आया, आपका प्रबन्ध किया। आपने जमानत नहीं दी तो आपको कहा कि जमानत देकर छूट जाइये।

(घंटी)

श्री जोधसिंह चौहान : एक महीने बाद पधारे, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं।

इस प्रकार की अंधेर नीति हमारी यह सरकार चला रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी पार्टियों की जहां पर नगरपालिकायें हैं वहां पर उनकी बात माननी चाहिये और उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। उनके प्रस्ताव आते हैं उनको मानना चाहिये। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनोरंजन कर लगाया उसको भी सरकार नगरपालिकाओं को नहीं देना चाहती। उनका यह अधिकार था और उनको यह मिलना चाहिये था। यही नहीं जो सब्सिडी सरकार देती है मैं इस पक्ष में हूं कि सब्सिडी नहीं दी जाय। इस भिक्षा को वृत्ति को बन्द करके उनको उनके अधिकार हैं टैक्स लगाने के वे आप न छीनें और उनके पास ही रहने दें। इससे वे सबल होंगी, इससे नगरपालिकायें अपनी आमदनी खुद बढ़ा सकेंगी और खर्च करने का भी उनका अधिकार होगा, इससे वे सबल होंगी और जनतन्त्र की नींव मजबूत होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट और दीजिये। मेरा इतना समय तो पहले ही ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : यह और भी देखिये कि सरकार क्या अधिकार रखती है, और क्या आदेश देती है? सरकार यह आदेश देती है नगरपालिकाओं को कि जो नगरपालिका हाउस टैक्स नहीं लगायेगी उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उनमें सरकार इमदाद नहीं देती, इस प्रकार का हुक्म जारी करके विरोधी पार्टी की जहां भी नगरपालिकायें हैं उनके काम में बाधा पहुंचाती है। यह जनतन्त्रवाद के खिलाफ है। आये दिन उदयपुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर नल के कनेक्शन काट दिये जाते हैं, वे वापिस तीन–तीन महीने तक वाटर वर्क्स द्वारा नहीं जुड़ते। उनके लिये कहते हैं कि जयपुर से आज्ञा आयगी तब जोड़े जायेंगे।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का जहां तक ताल्लुक है एक ही शहर के अन्दर दो प्रकार का राज है; दोनों अपने अपने अलग-अलग घोड़े दौड़ाये जाते हैं। इस प्रकार जो यह परवरिश का महकमा खोला गया है इस प्रकार की परवरिश बन्द होनी चाहिये। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट के अध्यक्ष जिनको कहीं स्थान नहीं मिला, जिनको पार्लियामेन्ट के लिये टिकट नहीं मिला ऐसे व्यक्ति बलवन्तसिंहजी को थोप रखा है। उन्होंने अपने लड़कों के

(श्री जोधसिंह चौहान)

नाम पर जमीन खरीद ली है। आये दिन वहां घोटाले होते रहते हैं। उदयपुर में जनता की आबादी बढ़ चुकी है, आज वहां पर त्राहि-त्राहि हो रही है प्लॉट दिये जायं मकान बनाने के लिए आजतक वहां पर मास्टर प्लान नहीं बना है, जमीन अलॉट नहीं की गई है। दो–चार बार जयपुर में नक्शा बना कर भेजा लेकिन वह मन्जूर नहीं हो सकता ? उदयपुर में बस्ती नहीं बस सकती। आज उदयपुर नगर की आबादी महाराणा के समय थी उससे अधिक नहीं बढ़ सकी। इसका सारा कारण है कि उदयपुर नगर के लिए सहूलियतें नहीं मिल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्ती के लिये जो बड़ी मुश्किल से बसायी गई, छोटा सा प्लाट था उसको जबरदस्ती से नीलाम करवाया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी समय पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे भी अवसर आयेंगे ये बातें कहने की।

श्री जोधसिंह चौहान : अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। जहां पर विरोधी दल की नगरपालिकायें हैं वहां के लिये इस प्रकार अध्यादेश जारी करके कानून बनाकर, उनको हथियाना चाहते हैं। इस प्रकार वास्तव में आप जनतन्त्र में और समाजवाद में विश्वास करते हैं; इस प्रकार से आये दिन हथकन्डे अपना कर उनको हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, जनता की आवाज को सुनना चाहिये, उनके विश्वास को प्राप्त करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब श्री मुरलीधर व्यास प्रारम्भ करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बीकानेर, गंगाशहर, मीनासर ये तीनों इस प्रकार से बसे हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहां तक मीनासर और गंगाशहर का सवाल है ये दोनों शहर एक दूसरे से बिल्लुक सटे हुए हैं, मकान से मकान मिले हुए हैं, सड़क से सड़क जुड़ी हुई है, इसमें आप एक कदम का फासला भी नहीं निकाल सकते। यदि आप इनमें एक कदम का फासला भी निकाल देंगे तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा, अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): व्यासजी, आप इस प्रकार कुर्सी छोड़ने की बात मत करिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार को बड़ी से बड़ी चीज कह देता हूँ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : क्या माननीय सदस्य

(श्री परसराम मदेरणा)

के कहने का मतलब यह है कि बीकानेर म्युनिसिपल कौन्सिल गंगाशहर और भीनासर म्युनिसिपल क्षेत्र के बीच में एक भी कदम का फासला नहीं है। हाईकोर्ट का जजमेन्ट है; मैं उसके आधार पर बताऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आप मेरे से दस्तखत करा कर ले लीजिये और आप भी दस्तखत कर दीजिये। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों म्युनिसिपैलिटीज़ बिल्कुल लगी हुई हैं, इनमें एक कदम का भी फासला नहीं है। एक शहर है, लेकिन नाम दो हैं। इसमें दो सेठों का झगड़ा है; एक तो चौपड़ा और दूसरे गंगाशहर के श्री चम्पालाल जी बांठिया। आपको बताता हूं, यहां क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये आम जनता के हित में जो बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, वह बताना चाहता हूं। दोनों शहर बिल्कुल मिले हुए हैं। इस बात को लेकर सरकार ने एक नीति के तौर पर फैसला किया, इनको मिलाकर एक ही नगरपालिका कर दी जाय। यह फैसला हमने नहीं किया, सरकार ने किया। उसका नोटिफिकेशन हो गया। ये तीनों मिल गये हैं, इसलिये तीनों को मिलाकर चुनाव होगा। जब आपने फैसला कर लिया कि तीनों की नगरपालिका एक होनी चाहिये, अब उसके बाद में जब इस प्रकार का फैसला कर लिया तो सरकार को उसके अनुसार काम करना चाहिये था, लेकिन यह सरकार ने नहीं किया। चुनाव हो गये तो हाईकोर्ट में जब रिट की गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब तुमने नीति निर्धारित की थी, ये तीनों शहर एक होकर के चुनाव होंगे, उस नीति को आपने नहीं निभाया। मेरा कहना है, आप अपनी नीति की रक्षा करिये। हाईकोर्ट ने आपकी नीति के मामले में फैसला दिया। उस नीति के अनुसार आप तीनों को मिलाकर चुनाव कर सकते थे, उसके बाद में जब आपकी नीति के अनुसार फैसला हो गया; हाई कोर्ट कहता है वह दुरुस्त कर रहा है अब, तो कम से कम इसको ठीक कर लो। हाईकोर्ट आपको नीति के रास्ते पर ले गया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जो नीति का फैसला आपका था जिसको आपने रद्द किया था उसके बाद में ऐसा हो जाता है तो आपको उल्टा खुश होना चाहिये। लोग हमारी नीति लागू कर देंगे, तीनों को मिलाकर चुनाव करा देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी नीति के पक्ष में फैसला होने के बाद भी इसको गैर कानूनी कर देते हैं उसके लिये आर्डि-नेन्स निकालते हैं, गलत तरीके से चुने हुए लोगों को वहां पर रखते हैं, यह उचित नहीं हैं। मेरे साथी कह रहे थे उप-मंत्री महोदय वाकई बहुत समझदार हैं, बातें बड़ी ढंग से समझाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप इसको सच्चाई के दृष्टिकोण से जांचें तो आपको अपनी नीति की रक्षा करनी चाहिये। कम से कम इतनी बात कह दूं, आपने गलती की और गलती कर रहे हैं। इतनी तो मैं आशा करता हूं कि सच बात को आप दृढ़ता के साथ कहिये। अगर यह नहीं करते हैं तो परिवर्तन किस कारण हो रहा है, बताना चाहता हूं।

बीकानेर की कांग्रेस कमेटी को चम्पा-लालजी कुछ न कुछ सहायता देते रहते हैं। इस कारण उनकी मर्जी को खुश रखना

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। उन्होंने इन चुनावों में कुछ चन्दा दे दिया, इसलिये अब यह प्रयत्न किया जा रहा है। एक आदमी से चन्दा लिया और उसको खुश करने के लिये आप यह कह रहे हैं......

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे आदमी से आप मदद लेते हैं जिसने करोड़ों रूपये की इन्कम टैक्स की चोरी की है, जिनके मकान पर केन्द्रीय सरकार ने छापा मारकर बही खाते जब्त कर रखे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। आप इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हो उनके लिये आप उनके शहर की म्युनिसिपैलिटी को अलग रखना चाहते हो, ऐसे किस तरह से काम चलेगा। इस तरह से किसी एक व्यक्ति के लिये इस प्रकार से कानून लाते रहे तो यह हुकूमत अच्छी नहीं हो सकती।

इसके बाद मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ जहां कौन्सिल में बार बार परिवर्तन करते हैं उस कौन्सिल के अन्दर मैं कहना चाहता हूँ आपकी हुकूमत के विधि मंत्री महोदय ने बीकानेर के अन्दर जब सारे चुनाव हो गये, सब कौन्सिलर्स को बुलाकर कहा, देखो मैं चुनावों को वैध कर रहा हूँ, ऑर्डिनेन्स निकाल देता हूँ, बैठकर चर्चा करो। चर्चा क्या करते हैं, आपको कौन्सिल का प्रेसीडेन्ट बनाना है। इस बात का वादा करो कि कान्ता खतूरिया को ही प्रेसिडेन्ट बनाओगे। यदि यह करने के लिये तैयार हो तो मैं ऑर्डिनेन्स निकाल कर चुनावों को वैध करवा देता हूँ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ; कांता खतूरिया में विधि मंत्री जी ने दिलचस्पी क्यों ली ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह विषय मेरा नहीं है। यह प्राइवेट मामला है, इसमें दखल आप कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मामला बीकानेर का और विषय मेरा !

श्री मुरलीधर व्यास : आपके विधि मंत्री सदस्यों को बुलाकर कहते हैं, आप फलां व्यक्ति को प्रेसिडेन्ट बनाओ। यदि बनाते हो तो मैं हाई-कोर्ट के फैसले के विपरीत करने जा रहा हूं। आप यहां पर लाकर उसके विरुद्ध फैसला करवाना चाहते हैं, यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। इस प्रकार के आपके कार्यों से लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास हटता जायगा।

मेम्बर्स लोग आये, वे किस प्रकार यह कह सकते थे कि हम इनको नहीं बनायेंगे। उन लोगों ने कान्ता खतूरिया को प्रेसीडेन्ट बनाने का आश्वासन दे दिया, तब कहीं जाकर के यह सारा मामला हुआ। दुर्भाग्य यह है कि माथुर साहब की इच्छा पूरी नहीं हुई। कान्ता खतूरिया अध्यक्ष नहीं बन सकी, दूसरा बन गया। आप एक व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से फैसला करते हैं, नीति को ताक में रखते हैं, हाई कोर्ट को अलग रखते हैं और ऑर्डिनेन्स निकालते रहते हैं। यह हुकूमत के लिए कलंक है। इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लागू करने के लिये आप उसको

(श्री मुरलीधर व्यास)

वैध करवाने के लिये यहां आते हैं। मैं कहता हूं यह भी आपके इतिहास में काला कलंक होगा, काला कानून होगा, हमेशा के लिये हमारे पर लाद देंगे। इस पर आपको गंभीरता से सोचना है, इसमें दलगत राजनीति को अलग रखकर आपको सोचना चाहिये। मैं आपको बीकानेर के विकास के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं। बीकानेर का बराबर विकास होता रहता तो आज बीकानेर शहर बहुत बड़ा बन जाता। वहां विकास भी बहुत ज्यादा हो सकता था लेकिन वहां केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर बीकानेर म्युनिसिपैलिटी का जिस प्रकार का ढांचा रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, वहां के हिसाब का यह हाल है; रामरतन कोचर ३५ हजार ले गये, बीस हजार और कोई ले गये, ऑडिट का एतराज है। दस हजार कोई ले गया। इस तरह से ३५ हजार रुपया लोग लेकर बैठे हैं। उस पर ऑडिट का एतराज है। हजारों की रकम खाकर लोग बैठे हैं। इस तरह से व्यक्तियों के विकास के लिये बीकानेर म्युनिसिपैलिटी का पैसा लग रहा है। इस तरह से हजारों-लाखों रुपये म्युनिसिपैलिटी के लोगों की जेबों में पड़े हुए हैं, कोई कार्यवाही नही कर पाते।

बीकानेर में हरिजनों की बस्ती बनाने के लिये ४॥ लाख रुपया दिया जाता है। आज एक भी हरिजन का मकान नहीं बना है। आखिर वह रुपया सारा कौन खा गया? साढ़े चार लाख रुपये में एक भी मकान बना कर दिया हो तो बता दो। रुपया आया, लेकिन कहां गया, पता नहीं। इस तरह से लाखों रुपया दिया गया और उसको मनमानी तरीके से वितरण किया गया। आज आपकी धान्धली के कारण बीकानेर शहर बिल्कुल बरबाद हो गया। आज बीकानेर शहर की हालत क्या है? जैसा कि मानिकचन्द जी ने कहा बीकानेर होस्पीटल जाती हुई औरतों के, दस औरतों के, जो कि डिलीवरी के लिये जा रही थीं रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। आज वहां के रास्तों की हालत इतनी बुरी है कि जगह-जगह पर खड्डे हैं उसकी ओर कोई देखने वाला नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उस रोड का नाम डिलीवरी रोड रख लिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : रोड्स के सुधार के लिये १ लाख रुपया दिया था, उसका पता नहीं। आप बीकानेर को डाकुओं, तस्करियों का शहर बना कर बरबाद करना चाहते हैं। आप सुधार करना चाहते हैं तो सब शहर के लिये एक सी नीति होनी चाहिये। आज यहां बीकानेर शहर में ड्रेनेज नहीं, नालियों का इन्तजाम नहीं, पत्थर निकल गये हैं तो निकले पड़े हैं, सड़कें खराब हैं, पैसे मिलते हैं तो लगने वाले नहीं, वहां की हालत सब प्रकार से खराब होती जा रही है। दूसरी ओर उदयपुर और जोधपुर को देखिये। जोधपुर के लिये १० लाख रुपया दे सकते हैं उदयपुर के लिये लाखों रुपया दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जहां से विरोधी दल के लोग आये हैं, या जिन पालिकाओं में विरोधी दल का चेयरमैन है उसको लोन भी नहीं मिलता। इन दस सालों के अंदर आप से पूछना चाहता हूं क्या बीकानेर म्युनिसिपल कौन्सिल को दस-बीस लाख रुपया दिया है, क्या दूसरी तरफ उदयपुर को बीस-पच्चीस

(श्री मुरलीधर व्यास)

लाख दे सकते हैं, जोधपुर को दे सकते हैं क्योंकि सुखाड़ियाजी हैं, बरकतसाहब हैं। इनकी चलेगी। हमारी क्या चल सकती है ? बीकानेर शहर की इतनी बुरी हालत है कि आप वहां के लिये फैसला नहीं कर सकते कि बीकानेर को दस लाख रुपया कर्ज का दे दिया जाय, इसका प्रबन्ध आप नहीं कर सकते। उदयपुर के अन्दर रुपया लगता है, उसके अन्दर गड़बड़ होती है, इम्प्रूवमेंट का फैसला होता है, उसका पालन नहीं किया जाता। बीकानेर में भी अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसका अध्यक्ष बना दिया रावतमल कोचर को। किस तरह से काम करते हैं, यह अलग बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खाने का तो नहीं करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : खाने का नहीं करते हैं। जो ठीक है उसके लिये मैं ठीक ही कहूंगा। हमें इसके अन्दर विकास की दृष्टि से सोचना चाहिये लेकिन यहां पर भी व्यक्ति-वाद के दृष्टिकोण से सोचा जाता है। कुछ गाडोलिया लोहार उस्तों की बारी के पास पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, उनको जमीन देने का सवाल आता है, बेचारे पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, जमीन है तो थोड़ी कीमत पर दे दें, कुछ सुविधायें दे दें, वह नहीं सोच सकते।

वे यह सोचते हैं कि यह तो दृष्टिकोण हटना चाहिए, यह दृष्टिकोण हमारे लिए बुरा है। दूसरी ओर जितनी चुंगी आती है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। चुंगी जो आती है, थाने पर इस तरह के लोग बैठा दिये जाते हैं कि जो चुंगी का वहीं भोजन कर जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ऊन बाहर से आई, आप अन्दाजा लगा लो। दस हजार गाठें बाहर जाती हैं। कहीं से जितनी ऊन आई उतनी तो चुंगी जमा होनी चाहिए। ५ हजार गांठों की तो चुंगी आती है, और होती है १० हजार गाठें।

(४.०० म० प०)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके उदयपुर का एक केस बताऊं कि हम व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन देते हैं। उदयपुर में क्वालिटी रेस्टोरेन्ट है, होटल है। उसके मालिक श्री माणिक्यलाल जो वर्मा के लड़के हैं। उनको ५० हजार रुपये कार्पोरेशन के जरिये दिलाये। वह कहां लगाये, कहां नहीं; पता नहीं। इसी तरह से ४ लाख रुपये श्री गुलाम अब्बास को अजन्ता होटल के लिए दिलाये। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कहता है कि जमीन नहीं दी जाये। वहां पर अजन्ता होटल बनती है अब्बास साहब की-उसके पार्टनर्स होते हैं दीनू भाई और उसको ४ लाख रुपये दिये जाते हैं। कानून यह कहता है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की लेण्ड है उसके ऊपर होटल नहीं बनना चाहिए। पैसा होटल लेने के लिए दिया जाता है और होटल लोन लेने के पहले ही बन जाता है और अब ४ लाख में चेतक सिनेमा खरीदा जाता है। जैसे अभी वीरेन मित्रा का सवाल आया था। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को कुछ विशेष राहत और लाभ दे दिया। बात बहुत छोटी थी, उसके लिए उनको हटाया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि इस तरह से लाखों रुपया गलत तरीके से दिलाया जाना

(श्री मुरलीधर व्यास)

और फिर चुंगी की रकम और माणिक्य-लालजी वर्मा के लड़के होटल में चाहे रेफ्रीजरेटर लगा लें वे बम्बई से आये, उसकी खरीद हो, लेकिन उसकी चुंगी उदयपुर की नगरपालिका में न हो, क्योंकि राज्य है उनका। राज्य है इसलिए चाहे सुखाड़िया साहब हों या माणिक्यलाल जी वर्मा हों, चुंगी नहीं लगनी चाहिए। बिना चुंगी के माल आ जाये और इन्सपेक्टर चुंगी के लिए आये और उसको निकाल दिया जाये। उसको निकाल दिया इसलिए कि उसने कार्यवाही की। होटल में जो माल आया है यह उदयपुर में बिना चुंगी के आया है और उसके खिलाफ कम्प्लेन्ट की तो कम्प्लेट का नतीजा यह हुआ कि इन्सपेक्टर को हटा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुख्य मंत्रीजी आपके राज्य में ढिढोरा पीटते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि इस प्रकार का प्रचार माणिक्य-लाल जी वर्मा करते हैं और उनके लड़के ने इतना भारी भ्रष्टाचार किया और बिना चुंगी के इतना माल ले आये तो उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की। क्यों नहीं करते ?

मेरा सरकार से कहना है कि नगरपालिकाओं को आमदनी के और जमीन के पॉवर्स दिये जायें। जैसे आपने गांवों के विकास के लिए पंचायतों को रुपये दिये हैं आप शहरों की नगरपालिकाओं के लिए भी तो पैसा दीजिए। वहां भी लाखों लोग बसते हैं और पैसा समुचित नहीं मिलने की वजह से शहर की बहुत बुरी हालत है। जैसा कि माणिक्यलाल जी वर्मा कहते हैं कि चेचक से ३ हजार बच्चे मर गए, तो उदयपुर और बीकानेर के बच्चे का दृष्टिकोण एक होता है। बीकानेर में ड्रेनेज खराब होने से जो ३ हजार बच्चे मर गए और उनकी हालत ठीक करने के लिए आप एक पैसा नहीं लगाते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अर्ज करता हूं कि इस हालत को ठीक करने के लिए आप बीकानेर के विकास के दृष्टिकोण से सोचिये। यह ऑर्डिनेन्स जो कुछ लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए लाया गया है, उधर हाईकोर्ट जो कि एक फैसला आपके पक्ष का दिया है उसको खिलौना मत बनाइये; नहीं तो मैं कहूंगा कि हमारी विधान सभा हाई कोर्ट सरीखी है जिसमें सच्चाई के आधार पर फैसला देने का अधिकार है, तो हमारा लोकतंत्र से विश्वास हट जायेगा। इसलिए मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचिये और ऑर्डिनेन्स लाकर जो वैधानिक रूप देना चाहते हैं इसको मत लागू कीजिए। यह फैसला करो कि हम एक महीने में नहीं तो दो महीने में तो चुनाव करा ही देंगे। अगर आप मनमानी करते हैं तो करिये लेकिन आगे आने वाला भविष्य इसको काला कानून कहेगा और हम इसको रद्दी की टोकरी का कागज समझते हैं। आखिर आपकी मर्जी जैसे सोचिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाढ़दार।

मैं समझता हूं कि कल की तरह ही

Page No 101

(श्री उपाध्यक्ष)

समय निर्धारित कर दिया जाये और इस विवाद के लिए ४।। बजे तक वादविवाद प्रारम्भ रहे; उसके बाद वोट ले लिया जाये संशोधनों पर। उसके बाद सरकारी जवाब हो जायेगा। संशोधनों पर कल की तरह वोट ले लिये जायेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): आखिर हमको भी मौका तो मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इसका ध्यान रखूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यदि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि वैलीडेट करना है तो उसमें लम्बी-चौड़ी बहस की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय में मैं एक निवेदन कर दूं कि जनरल आस्पेक्ट्स पर तो सभी प्रकाश डालेंगे ही। लेकिन विशेषत: यह बीकानेर का मामला था और उससे सम्बन्ध रखता था, इसलिए अगर वहां के कोई माननीय सदस्य कुछ समय ले भी लें तो वह ठीक है। अब यह तो सारे मसलों पर ही प्रकाश डालना है इसलिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ४।। बजे तक वाद-विवाद रहे और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री बाढ़दार! सूत्रबद्ध वाक्य पेश करने का उदाहरण देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रतिबन्ध मेरे ऊपर आया है कि सूत्रबद्ध मुझे कार्यवाही करनी चाहिए, मैं इतनी ही विनती करता हूं कि सबसे पहला सूत्र हमारा संविधान है और उसमें यह प्रावधान है कि ऑर्डिनेन्सेज किन परिस्थितियों में राज्य सरकार को प्रसारित करने चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के सामने यह पहला ऑर्डिनेन्स नहीं है, यह पहला अध्यादेश नहीं है जिसके ऊपर चर्चा करने का विचार हमारे सामने चल रहा है। ऐसे उदाहरण पहले भी आ चुके हैं और हम राज्य सरकार के सामने कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं, देते आये हैं और यह बता देना चाहते हैं कि ऑर्डिनेन्स केवल स्टेट गवर्नमेन्ट या सेन्ट्रल उन्हीं परिस्थितियों में जारी कर सकती है कि जब राष्ट्र के सामने कोई एमर्जेन्सी का सवाल हो, देश के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हों जिनके लिए राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो जाये कि इसके अन्दर असेम्बली का इन्तजाम किये बिना कानून बनाना जरूरी हो जाता है, जिसके बिना सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं चल सकती है। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ और बड़े खेद के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून जो इस अध्यादेश के द्वारा बनाया गया इसके लिए ऐसी कोई इमर्जेन्सी की परिस्थिति नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से मैं तो यह कहता ही हूं; बल्कि यह कहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से यह स्वीकार कर लेना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि यह बिल्कुल राजनैतिक कारणों के आधार पर इस कानून को बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। हमारे नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है, माननीय उपाध्यक्षजी, कि ऐसा कोई विषय जो न्यायालय के सामने विचाराधीन हो, तो उस विषय पर हम

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विचार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी राज्य सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं, राज्य सरकार इस ओर नहीं देखती है कि जो मैटर सबजुडिस है, जिस पर अदालत चर्चा करने को तैयार है उसके सिलसिले में यह राज्य सरकार कानून बना देती है। कानून बना ही नहीं देती है, लेकिन उसको थोपने की चेष्टा करती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सही मायने में यह प्रजातन्त्र के मानने का तरीका नहीं हैं, बल्कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को हनन किया जा रहा है। प्रजातन्त्र के उन सिद्धान्तों का एक प्रकार से प्रतिपादन करने के बजाय उन सिद्धान्तों को मारने की चेष्टा की जा रही है।

मैं एक छोटी सी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रकार से राजनैतिक दल को अपना आधार बनाकर यह कानून बनाने की यदि यह परिपाटी, यदि यह प्रचलन, यदि यह तरीका राज्य सरकार अपनाती रहेगी तो सही मायने में यह नहीं होगा।

एक–दो बातें मैं और बताना चाहता हूं कि केवल सरकार जिनका निर्माण करना चाहती है उनको बनाये

उन बोर्डों को जिनको हम कायम रखना चाहते हैं उनको बनाये रखने के लिए कानून बनाने की फुरसत मिल जाती है। आपका ध्यान इस ओर नहीं गया कि दुनिया में भूखों मरते हुए लोगों के आराम के लिए इन्सान को अन्न देने वाले कानून की व्यवस्था कर दें। आपके सामने यह ख्याल नहीं आयेगा कि जो बेरोजगार लोग मर रहे हैं तो सही मायने में उनको रोजगार देने के लिए, उनको काम पर लगाने के लिए कोई कानून का आप निर्माण कर सकें। ऐसे कानून के निर्माण करने की चेष्टा आप नहीं करते हैं, बल्कि कानूनों का निर्माण आपका केवल इस प्रकार का होगा कि जिससे आपकी किसी गुटबन्दी पर किसी प्रकार का आक्षेप न आ जाय, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आ जाये। उसके सिलसिले में आप करते हैं।

आज प्रश्नोत्तर काल में, बड़े दुःख के साथ में मुझे कहना पड़ता है कि इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि जिन नगरपालिकाओं में यह संदेह पैदा होता है कि कहीं अविश्वास का प्रस्ताव आता है अध्यक्ष के प्रति, उपाध्यक्ष के प्रति और उनको आप मेन्टेन करना चाहते हैं और आपकी मेजोरिटी नहीं होती है तो जायज, नाजायज, सही तरीके, गलत तरीके से किसी प्रकार भी यह आज्ञा निकाल देते हैं। आप बर्खास्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो इस प्रकार की बातें करने के लिए राज्य सरकार के पास समय है। राज्य सरकार को इतना टाइम मिल जाता है, और वह उन बातों को नहीं देखती है कि जनता का हित और अहित किसमें है। इस पर विचार करना चाहिए।

मैं बहुत नम्रता से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है और करती है कानूनों के प्रावधानों पर विचार करने के लिए। न्याय विभाग राजस्थान के पास में है, लॉ डिपार्टमेंट का महकमा राजस्थान डिपार्टमेंट के सामने काम करता है जो कि कानून की

Page No 103

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

पेचीदगियों को अच्छी तरह से समझता है, मंत्री महोदय और उपमंत्री महोदय पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर उनका विश्वास है, क्योंकि जिस संस्था का रिप्रेज़ेन्टेशन लेकर वे चलते हैं वह संस्था कम से कम ढिंढोरा इस बात का जरूर पीटती है कि वह प्रजातन्त्रके सिद्धान्त में विश्वास करने वाली है। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो कार्यवाही आप करते हैं क्या उन कार्यवाहियों के आधार पर विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि सही मायने में आप प्रजातन्त्र के सिद्धान्त में विश्वास करना चाहते हैं ? मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून प्रजातन्त्रात्मक आधार पर चलने वाले कानून नहीं हैं परन्तु एक प्रकार से यह हुआ कि अपनी मेजोरिटी के जोर पर जैसा चाहें वैसा कानून आप लोग पास कराने की ताकत रखते हैं, ऑटोक्रेसी का एक विकृत रूप यदि इसको कहा जाय; उसको मानकर और उसका बलबूता लेकर कानून बनाते हैं तो सही कानून नहीं है।

मैं दो-तीन बातें आपको बताना चाहूंगा, वे ऐसे आवश्यक मुद्दे हैं कि जिनका सम्बन्ध इससे है। वे इसके रिलेवेन्ट फेक्टर्स हैं जिनके कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे मुद्दे कई बार आये हैं। जहां लोगों के आराम का सवाल आता है, सहूलियत देने का सवाल आता है तो आप कान बहरे कर लेते हैं। दो-तीन बार मैंने प्रश्न पूछा है। संभवतः सबसे पुरानी सड़क जयपुर में पुरानी बस्ती में नाहरगढ़ की सड़क है। इस सड़क का राज्य सरकार को पता नहीं है। इस सड़क का मालिक राज्य सरकार है या इसकी मालिक नगरपालिका है ? नगरपालिका से पूछा जाता है तो वह अपने उत्तरदायित्व से दूर हो जाती है और कहती है कि इसकी मालिक राज्य सरकार है। राज्य सरकार से पूछते हैं तो वह उत्तर देती है कि नगरपालिका से इसका सम्बन्ध है। इसकी मरम्मत कराने के लिए कहते हैं तो कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। मैं विनय रूप से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि साधारण तरीके से जनता को इस पर कब्जा कर लेना चाहिए, इस पर एन्क्रोचमेंट कर लेना चाहिए और मकान बना लेना चाहिए। अगर सरकार यह कहे तो उसको जवाब देना चाहिए कि जब मरम्मत का सवाल आता है तो आप मालिक नहीं बनते हो, तो हमें इस प्रकार से रोकने वाले तुम कौन होते हो ? यह लॉलेसनेस फैलती है, एन्क्रोचमेंट बढ़ता है, तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है ? वह राज्य सरकार पर है। आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि यह सारा मामला नगपालिका का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन नगरपालिका पर नियन्त्रण आपका है। जो कानून आपने बनाया है उस कानून पर विचार करके देखिये कि उसमें कितने अधिकार दिये हैं ? सबसे पहले नियन्त्रण राज्य सरकार नगरपालिका पर अपना रखती है। जब वह अपना नियन्त्रण रखती है तो जहां कोई भी सवाल आता है, योजना का सवाल आता है, खर्च करने का सवाल आता है, तो आपने इस तरह के प्रावधान बना दिये है जिसके कारण नगरपालिका बिल्कुल पंगु

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

होकर बैठ जाती है, कोई योजना क्रियान्वित कर नहीं सकती। राज्य सरकार हस्तक्षेप करने को तैयार रहती है राज्य सरकार योजना के मामले में। उन्नति के मामले में, तरक्की के मामले में, सफाई के मामले में, हर जगह हस्तक्षेप करती है; लेकिन इस बात का ध्यान नहीं देती है कि जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए जो काम किये जाने चाहिए वे काम होते हैं या नहीं होते है। सड़क पर बत्तियां बन्द रहती हैं, गली में अन्धेरा रहता है। रास्ते में आदमी ठोकर खाकर गिर जाय, मैन होल खुले रहते हैं, तो किसी का पांव टूट जाय, तो टूटे। मैन होल बन्द नहीं होते है।

जहां जहां बड़े बड़े नगर हैं वहां वहां पर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम करके दोनों के जुरिस्डिक्शन में झगड़ा करा दिया। आप देखते हैं कि गरीब इन्सान को जमीन नहीं मिलती है। एलॉटमेंट के बारे में कितनी शिकायतें है। गरीब लोगों को आसानी से प्लॉट नहीं मिलते है। उन सब सहूलियतों की बात नहीं करते, उनके पानी और बिजली की बात नहीं करते हैं, उनको गन्दगी से बाहर करने की व्यवस्था नहीं करते हैं, जो कि ऐपिडेमिक्स का मूल कारण होना चाहिए उस मूल कारण के होते हुए उसके निराकरण की व्यवस्था नहीं करेंगे। मेरे सबमिशन करने का मतलब यह है, ये मुद्दे सामने लाने का मतलब यह है कि कानून बनाने का सवाल आता है तो इतना समय आपको कहां से मिल जाता है? मैं यह कहूंगा कि सही मायने में यदि आप जनता की भावना को लेकर आगे चलें तो अधिकांश समय जनता की अच्छी बातों विचार करने के लिए कितना चाहिए, लेकिन वह समय इधर नहीं दिया जाकर आप अपना समय बिताते हैं दलबन्दी को मजबूत करने के लिए, उन लोगों को प्रश्रय देने के लिए जिनको कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। कानून बनाने में समय लगाते हैं तो इस प्रकार के कानून बनाने में समय लगाते हैं। विचार करने का समय मिलता है तो अपने ग्रुप को मजबूत बनाने में समय व्यतीत करते हैं। अपना समय और राष्ट्र की सम्पत्ति—दुनिया भर के टैक्सेज लगाने के बाद जो पैसा वसूल किया जाता है उस पैसे को यदि खर्च करने का सवाल आता है तो अपने दल और अपने ग्रुप के आदमियों का परिपालन करने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं।

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता को सही मायने में राहत पहुंचाने की दृष्टि से पैसा खर्च नहीं करते हैं। विवरण मैं समय आने पर निवेदन करूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको पास करायेंगे, मेजोरिटी से पास करायेंगे, अपनी ताकत के बल पर कहेंगे कि ऐसा कानून बना दिया, इसको पास करो, लेकिन पास करने से पहले आप अपनी गलती को मान लें कि वह गलत तरीके से करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक बार आप गलती स्वीकार कर लें तो हम आपको क्षमा कर देंगे, हम साथ देंगे इस गलत कानून को पास कराने के लिए, लेकिन कम से कम हमको विश्वास जरूर हो जायेगा कि आयन्दा आप इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। मुझे इससे सन्तोष हो

Page No 105

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

सकता है कि यदि आप लोग यह विश्वास दिला दें कि आयन्दा इस प्रकार के कानून बनाने का सवाल नहीं होगा तो सही मायने में संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाने की चेष्टा करेंगे। बल्कि अपने मनमाने कानून वे बनाते चले जायेंगे और जब सवाल आयेगा प्रजातन्त्री ढंग से आगे बढ़ते जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस अध्यादेश को लेकर आज इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि उससे प्रजातन्त्र का गला घोट रहे हैं और बार बार कई सदस्यों ने इसकी दुहाई दी और बार बार दोहराया है जब कि वहां पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, लोगों ने वोट देकर अपने प्रतिनिधि भेजे, ऐसे लोगों की म्युनिसिपैलिटी को इस अध्यादेश के द्वारा वेलिडेट किया जा रहा है तब भी इसमें प्रजातन्त्र का गला घोटने की दुहाई दी जाती है और यदि इसके विपरीत होता तो पता नहीं किस प्रकार की दुहाई दी जाती। जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं और राज्य सरकार इस प्रकार की बात करती है कि यह कानून के खिलाफ है। इसको रद्द कर दिया जाय तब तो प्रजातन्त्र का गला घोंटने की बात दुगुने शब्दों में कही जाती। मेरे ख्याल से जो अध्यादेश जारी किया गया है उससे प्रजातन्त्र का गला नहीं घोटा गया है बल्कि इज्जत की जाती है। वहां के लोगों ने वोट देकर लोगों को चुना है, कानूनी कमी इसमें इतनी है कि नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित नहीं हुआ इसलिये हाईकोर्ट ने इसे इनवेलिड घोषित कर दिया; इसलिये यह अध्यादेश जारी किया है।

माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि अध्यादेश जिन परिस्थितियों में जारी करना चाहिये वैसी असाधारण परिस्थिति इसमें नहीं थी, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि जब एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हों और वे खत्म किये जा रहे हों तब प्रजा-तंत्र का गला घुटता है और प्रजातंत्र खोखला होता है उस समय यदि अध्यादेश द्वारा इसको बचाया जाता है तो इससे बढ़ कर कोई दूसरी परिस्थिति हो नहीं सकती; इसलिये मेरा ख्याल है कि जो अध्यादेश निकला है वह वाजिब है इसलिये हमको गला घोटने की दुहाई नहीं देनी चाहिये।

म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। जो लोग शहर में रहते हैं वे इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारे यहां फलां सड़क नहीं बनी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, फलां सड़क में गड्ढे हैं उससे पैर टूट जायगा, राज्य सरकार ग्रान्ट नहीं देती। जितना ज्यादा लाभ शहर के लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा क्रिटिसिज़्म ये लोग करते हैं। दर असल में तो यह रोष हम गांव के लोगों को होना चाहिये जहां पर न पीने को को पानी है और न यातायात के साधन हैं, न पाठशालाएं हैं और यदि पाठशाला है तो बैठने को चटाई नहीं है। इस प्रकार का मतभेद गांव और शहरों में है तो मेरा ख्याल है कि जितनी ज्यादा सहूलियतें आप शहरों को देते जायेंगे उतना ही ज्यादा क्रिटिसिज़्म होगा...

Page No 106

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आपको ईर्षा है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये मैं कहता हूं कि वन फोर्थ हिस्से में रहने वाले लोग अपनी मांग जोरदार शब्दों में करते है और हम लोग जो राजस्थान के थ्री फोर्थ हिस्से में रहते है वहां जितनी व्यवस्था करनी चाहिये उतनी नहीं कर रहे है । तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास जितने साधन हैं उनके अनुसार जितना दे सकती है उतना देने का प्रयत्न किया जाता है । म्युनिसिपैलिटीज के आंकड़े निकालें तो सौ दो सौ गुणा इनको हमसे अधिक मिलता होगा । यह जरूर है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त था, उसको बढ़ाने में समय लगेगा, हर चीज मुहैया होनी चाहिये, इसमें काफी अर्सा लगेगा । इन साधनों को जुटाने में काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी । राज्य सरकार इन चीजों को मुहैया करती है । म्युनिसिपैलिटीज को और गांव वालों को जिस प्रकार से मदद कर सकती है करने का प्रयास करती है ।

यहां स्लम क्लियरेन्स की बात करते हैं, गरीब गंदी बस्तियों में रहते हैं उनको मकान बनाने के लिये प्लॉट्स मिलने चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये । लेकिन जो मालदार हैं, दो-चार घर रखते है वे फर्जी तौर से प्लोट्स भी ले लेते हैं उनके लिये भी सरकार सहूलियतें देती है । इसके साथ २ स्लम्स क्लियरेन्स, हाउसिंग लोन्स आदि के बारे में जितनी सुविधाएं म्युनिसिपैलिटीज को दी जाती हैं वे हम गांव वालों को दी जाए तो ज्यादा उपयोग होगा, सरकार के हम ज्यादा शुक्रगुजार होंगे ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डो का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ पर बहस चल रही है कि यह नाजायज तौर से लाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं लम्बी-चौड़ी बहस में न जाता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट सन् ५९ में बना है उसकी धारा ४,५ और ६ में यह बात है कि सरकार को सतर्क होकर काम करना चाहिये और सरकार को अध्यादेश नहीं निकालना चाहिये । सीमा निर्धारित को जानी है फलां फलां म्युनिसिपैलिटी की, उपाध्यक्ष महोदय, मसला खाली गंगाशहर, भीनासर म्युनिसिपैलिटीज का या बीकानेर म्युनिसिपैलिटी का ही नहीं है बल्कि सरकार की मंशा अच्छी म्युनिसि-पैलिटीज बनाकर डेवलपमेंट करने की है; लेकिन किन्हीं कारणों से हाई-कोर्ट से खिलाफ जजमेंट हो गया, मुझे केवल सीमा पर नहीं कहना है इतना और कहना चाहता हूँ कि मसला खाली बीकानेर का ही नहीं है, आप महरबानी करके नोट फरमा लें, चित्तौड़ में सेती इलाका है उसका मसला भी इसी तरह का है; उसमें नोटिफिकेशन हुआ; मैं बतलादूं, कौनसा हुआ । उसको भी आप देखलें कहीं वह भी प्रश्न खड़ा न हो जावे । The Government must be grateful to us.

इस प्रकार यह चित्तौड़ का मसला है ।

(श्री अब्दुलजब्बार)

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर, गंगासर और भीनासर में अब सवाल आता है ओक्ट्रॉय का । इसमें वहां के गरीब इन्सानों को कठिनाई पड़ती है । बीकानेर से माल खरीद कर गंगासर ले जाते हैं तो वहां पर ओक्ट्रॉय देंगे और गंगासर से बीकानेर माल जायगा तो उसका भी ओक्ट्रॉय लगेगा । इस प्रकार की कोम्पलीकेशन्स पैदा हो जाती हैं और जनता उनसे बुरी तरह से पीड़ित है। हमारी सरकार चाहे ध्यान दे या न दे लेकिन हम लोग सूचित करते हैं । सरकार को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिये : the Government should be grateful to us, हम कितना ध्यान दिलाते हैं, पर सरकार ध्यान नहीं देती है । जहां ओक्ट्रॉय और सीमाओं का सवाल आता है वह अहम सवाल है, साफ तौर से म्युनिसिपल एक्ट में है । "An Octroi duty is leviable on goods brought within Municipal limits for consumption or use within those limits. It cannot be believed on goods which are in transit through municipal limits. No fee of any kind can be enacted in respect of their transit through Municipal limits (Loon Karan Parakh V. State of M.P., AIR 1962 M.P. 196.)"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिये कोट किया है, शायद इन कोम्पलीकेशन्स के पैदा हो जाने पर सरकार मजाक के रूप में ले ले; इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस ओर ध्यान दे । इस सम्बन्ध में बड़े बड़े फैसले हुए हैं । हाई-कोर्ट को यहां तक फैसला देना पड़ता है कि म्युनिसिपैलिटीज कितनी गलतियां करती हैं, किस तरह कानून बनाकर गलत एप्लाई करके नुक्सान पहुंचाती हैं । मध्य प्रदेश का एक फैसला फिर मैं सुनाता हूँ । उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी ध्यान देंगे । यह है: ए. आई. आर. १९६२, पेज १९८, मध्य प्रदेश का सेक्शन कोट कर रहा हूँ: "Now Section 66 (1) (e) empowers a Municipal Committee to impose an octroi on animals or goods brought within the limits of the municipality for sale, consumption or use within those limits. An Octroi duty is thus leviable on goods brought within the Municipal limits for sale, consumption or use within those limits. It cannot be levied on goods which are in transit through the municipal limits."

मैंने एक हाई-कोर्ट की रूलिंग, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय को बतलाई, उसको बतलाने का कारण क्या है कि यह निम्बाहेड़ा की ओक्ट्रॉय लिमिट से सम्बन्ध रखने वाली बात है । निम्बाहेड़ा से भोपालसागर को गन्ना जाता है । मैं चाहता हूँ कि इसका स्पष्टीकरण करें क्योंकि यह जो हाई-कोर्ट की रूलिंग है इसका कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में अर्ज कर दूं कि स्टेशन के पास कांटा लगा हुआ है, वहां पर वह गन्ना तुलता है, वहां से वह गन्ना ट्रान्ज़िट होता है और उसके बाद उसे गोडाउन में ले जाया जाता है और उसके बाद में ले जाया जाकर वह भोपालसागर चला जाता है । वहां पर ऐजन्ट आकर गन्ना तुलवाता है और भोपालसागर शुगर मिल खरीददार बनती है । केवल मात्र उसका

(श्री अब्दुलजब्बार)

वहां पर वजन होता है। ऐसी हालत में वहां पर जो ऑक्ट्राय ली जाती है उसमें सिर्फ ऑक्ट्रोय लिमिट का सवाल है। मैं सरकार से निवेदन इस मामले में इसलिए करना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है या नहीं।

जिस तरह आपने १९६२ में एक नोटिफिकेशन निकाला था तीन म्युनिसिपल कमेटीज़ को एक करने के लिए और बाद में जो उसमें दिक्कतें हुईं उनसे जनता को भी असुविधा होती है। मैं निवेदन करता हूँ कि जब सरकार सतर्क है और उसके पास कानून के जानने वाले अधिकारी हैं और कानून को देखने वाली मशीनरी है तो फिर क्या कारण है कि यह गलती हुई है और क्यों लोगों को इस चुनाव के सिलसिले में हाई कोर्ट में जाना पड़ा है और हाई कोर्ट को इस तरह का जजमेंट करना पड़ा है? इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब भोपालसागर और लिमिट का सवाल आता है, इसमें मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि जो हाईकोर्ट की रूलिंग कोट की है उसकी लाइट में मंत्री महोदय बता दें कि जो ऑक्ट्रोय गन्ने पर वसूल करते हैं वह कहां तक जायज है। इसमें जो और इर्रेगुलेरीटीज़ होती हैं उनके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके बारे में कार्यवाही करने के दूसरे और तरीके हैं। लेकिन जहां तक नगरपालिका के सम्बन्ध के प्रश्न हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार सतर्क नहीं है। जो हाउस टैक्स के बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जनता की भावनाओं की कद्र फर्मायें और जो हम कहते हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि यह हमारे राजस्थान राज्य को सफल बनाने में कामयाब होगा। इस सरकार को सतर्क रहने के साथ साथ जनता की भावनाओं को भी पहिचानना चाहिए। मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ के सेक्शन १०७(४) की तरफ ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि उसमें लिखा है: "(4) The tax specified in clause (1) of section 104 shall not be leviable in respect of lands, and buildings used solely as places of public worship or for religious or charitable purposes." मंत्री महोदय, इस धारा को सुन लें और जवाब दें कि क्या आप जवाब रखते हैं इस बात के लिए: "Provided that such lands or buildings shall not be exempt from payment of the said tax if any trade or business is carried on therein or if in respect thereof rent or other income is derived, whether such rent or other income is or is not applied exclusively towards such places of public worship or towards such religious or charitable purposes."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिए कोट किया है कि हमारी सरकार इस बात को ध्यान में रख कि मन्दिर और मस्जिद आपके

(श्री अब्दुलजब्बार)

और हमारे लिए बहुत बड़ी भावनाओं के स्थान हैं, बहुत बड़ा महत्व रखती हैं क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान है। उन मंदिर और मस्जिद की बिल्डिंग्ज़ के ऊपर हाउस टैक्स रखते हैं, इसके बारे में एक ऑर्डिनेन्स निकाल कर अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहते हैं। इस तरह के स्थान के लिए एक गलती करके उसके लिए फिर यह कहते हैं, यह तो ऐसा हुआ कि पहले तो थूक देना और फिर उसको चाट लेना। मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार के स्थान के लिए कोई इन्सान गलती करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस टैक्स लगाने का जो सवाल है वह आप देखिये कि जो मंदिर और मस्जिद की दूकानें होती हैं वह इसलिए होती हैं कि उनका किराया आये और उससे जो आमदनी हो तो उससे मंदिर, मस्जिद जैसे देवस्थानों को उससे चलाया जाय, इनको मेन्टेन किया जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान नहीं देना चाहती है और धर्म प्रधान लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इनकी बिल्डिंग्ज़ का जो किराया आता है वह किस लिए आता है; इनकी पूजा करने के लिए, पुष्प, नैवेद्य आदि की व्यवस्था करने के लिए वह काम में लिया जाता है। मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार को चाहिए इन स्थानों के महत्व को देखते हुए और जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए मेरी बात मान लें और जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें मेरा अमेंडमेंट है उसको भी मैं साथ ही मूव कर देता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट का नोटिस दे देते तो अच्छा रहता।

श्री अब्दुलजब्बार : नोटिस है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : है तो वह उस वक्त मूव करें जब अमेंडमेंट्स पर विचार करें।

श्री अब्दुल जब्बार : अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक भूल की है और अब उसको सही करके अपने गलत स्टेप को दूसरी बार बताने जा रही है कि पहले गलती की थी, अब यह सही है जैसे एक झूठ को दबाने के लिए सौ बार झूठ बोला जाता है। लिहाजा एक गुनाह जो पहले कर लिया है वह सबसे बड़ा गुनाह है, उसके बाद तो गुनाहों का एक बोझ लादा जाना होता है। मैं अर्ज करता हूं कि जो १९६२ का नोटिफिकेशन निकाला था, उसको खारिज न करते हुए एक टैम्प्रेरी म्यूनिसिपेलिटी का रूप दे दिया जाय और सब कमेटी का रूप दे दिया जाय ताकि वह हाई कोर्ट के झगड़े आदि से बच जाय और चेयरमैन भी एक रहे और उससे सब म्यूनिसिपैलिटीज़ गवर्न हो जायं। लिहाजा मैं इसका विरोध करते हुए कहता हूं कि सरकार फिर जानने की कोशिश करे और देखे कि कहां तक उसकी गलती है और कहां तक वह सही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ प्रस्तुत हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े चार बज चुके हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

समय का संकोच है। फिर भी आप बोलना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कल भी मेरे लिए समय का संकोच था और इसलिए मैं नहीं बोला। अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल भले ही लें, उसमें हर्ज नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहले बोलने वाले समय ज़्यादा ले लेते हैं और बाद में बोलने वालों के लिए समय नहीं रहता है– यह हालत होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदैव हुआ है। मुझे भी भुगतना पड़ा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश हुआ है इस पर मेरी ओर से प्रस्ताव पेश हुआ है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सात दिन के लिए सुपुर्द कर दिया जाय और वह सात दिन के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नगर परिषद बीकानेर के चुनाव हुए उसमें भीनासर और गंगाशहर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित किये गये, लेकिन कोई नोटिफिकेशन के जरिये जो गंगाशहर और भीनासर नगरपालिका थी उनको समाप्त नहीं किया और कानून दृष्टि से उनको सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद तीनों नगरपालिकाएं थीं, उनके जो पहले क्षेत्र थे वे उसी तरह कन्टीन्यू रहे। इस चीज को लेकर हाईकोर्ट में मुद्दा उठाया गया और इस कमी की वजह से हाई कोर्ट ने इलेक्शन को रद्द कर दिया। उस कमी की पूर्ति करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया और उसके बाद विधान सभा में इस अध्यादेश को कानून में परिणत करने के लिए यह विधेयक राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नगर परिषद के चुनाव का मामला था और उसके इलेक्शन का मामला जब हाई–कोर्ट तक गया और वहां चैलेंज हुआ और हाई–कोर्ट के द्वारा गैर कानूनी करार कर दिया गया तो ऐसी हालत में अच्छा होता कि इन मुद्दों को लेकर विशेष तथा एमर्जेंसी न होने की स्थिति में आर्डीनेंन्स जारी न करके वहां पर फिर से इलेक्शन करा दिया होता। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने हाई–कोर्ट में जाने के डर से या किन्हीं और कारणों से इस अध्यादेश को जारी कर दिया है वह हो चुका है और उसके बाद में सदन को मजबूर होकर इसे पास करना ही पड़ेगा। ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार से अनुरोध है कि इसके जो विशेष कारण थे, किस तरह के कारण थे– इन सब पर प्रकाश नहीं पड़ता है। इस हालत को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में जाने के लिए समय मिल जाय इस दृष्टि से म्यूनिसिपेलिटी के

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कोडीफाइड बिल के लिए राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ चुकी है, वह पेश हो जाता है और उसमें इसको भी शामिल कर लिया जाता है तो अच्छा होता। परन्तु राज्य सरकार इसको पास कराना चाहती है तो मेरा आपके जरिये निवेदन है कि सलेक्ट कमेटी के जरिये इसके मुद्दों को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करा लिया जाय और फिर दूसरे जो भी मुद्दे हों उनको जोड़ कर एक कन्सोलिडेटेड बिल पेश हो जाय तो अच्छा रहेगा। क्योंकि समय के लिए आपने फर्मा दिया है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पहले से कुछ सदस्यों को कम कम समय मिले तो पीछे वाले सदस्यों को भी ठीक समय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब सदन की कार्यवाही जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दी जाय तो उसमें सदन को आपत्ति नहीं होगी।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिए बढ़ायी गई।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): मंत्री जी नीति के सवाल पर बोल लें। बाकी पर क्यों बोलें ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नीति का सवाल ही है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने ७–६–६४ को म्युनिसिपल चुनाव के सम्बन्ध में फैसला दिया और इस फैसले के बाद कुछ कानूनी अड़चनें राज्य सरकार के सामने आईं और वे इस प्रकार की अड़चनें खड़ी हो गईं कि अगर हम उनको वेलिडेट नहीं करते है तो इसमें चुनावों का मामला नहीं था, लेकिन जब से यह नोटिफिकेशन तीनों म्युनिसिपैलिटीज़ को एक ही क्षेत्र में मर्ज करने के लिये निकला था वह २५–७–६२ का था, उसके बाद में जितनी कार्यवाही हुई वह सब की सब अवैध थी। इसलिए राज्य सरकार ने इन कानूनी पेचीदगियें जो खड़ी हो गई थीं उनको मीट आउट करने के लिए एक अध्यादेश राजपत्र में ११–१–६३ को को प्रोमल्गेट किया और उसको रिप्लेस करने के लिए यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत है। अब यह बिल अध्यादेश का स्थान लेना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हम इसे प्रख्यापित नहीं करते हैं तो क्या स्थिति होती है ? दो स्थितियें खड़ी होती हैं। जब असेम्बली का अधिवेशन मीट होता है तो हम वेलिडेटिंग बिल लाते और नहीं लाते तो म्युनिसिपल एक्ट की तहत सभी कार्यवाही हमें करनी पड़ती। यह दो वडे मुद्दे हैं। अब इन दोनों मुद्दों को समझने के लिये हाई–कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसके बीच में जाना पड़ेगा। इस बात के लिये राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की दफा ४ और ६ को पहले अन्डरटेक करना पड़ेगा। म्युनिसिपल एक्ट की धारा ६ में इस बात का उल्लेख है कि जब कभी राज्य सरकार यह सोचे कि कहीं पर भी नई म्युनिसिपैलिटी को घटाना या उसके

Page No 112

(श्री परसराम मदेरणा)

क्षेत्र को बढ़ाना हो तो राज्य सरकार इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकालेगी और उसके बाद में कम से कम दो महीने का समय देगी वहां के प्रेसिडेन्ट को कि वह इसके लिए कोई एतराज पेश करे और जब वह एतराज पेश करेगा तो राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी कि वहां सफीशियेन्ट एन्ड वेलिड रीज़न्स है या नहीं और अगर इसको इनवेलिड और इनसफिशियेन्ट रीज़न्स मानते हैं तो राज्य सरकार दूसरा नोटिफिकेशन निकालेगी दफा ४ के नीचे, उसको फाइनल कॉन्स्टीट्यूट करने का निकालेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर्टीक्यूलर केस में कलेक्टर बीकानेर ने इस प्रकार की रिकमन्डेशन की और यह बताया कि वे इस हालत में नहीं हैं कि वे फाइनेन्शियली साउन्ड पोज़िशन पर खड़े हो सकते हैं। इसलिये यह उचित होगा कि इन तीनों म्युनिसिपैलिटीज़ को एक बनाया जावे। राज्य सरकार ने भी उसको उचित समझा और राज्य सरकार ने पहले दफा ६ के नीचे प्रिलिमिनरी नोटिस इश्यू किया वह २०-१०-६१ को पब्लिश किया गया उस पर लोगों के एतराज आये। राज्य सरकार ने उन एतराजों को इनसफिशियेन्ट एन्ड इनवेलिड मानकर यह निर्णय लिया कि यह सम्मिलित म्युनिसिपैलिटी रखनी चाहिए और वह सम्मिलित म्युनिसिपैलिटी का नोटिफिकेशन २५-७-६२ का है। उस नोटिफिकेशन को हाई–कोर्ट ने गैर कानूनी करार नहीं दिया है मगर इसके बाद स्थिति दूसरी है। वह यह है कि राज्य सरकार के पास लगातार टेलीग्राम्स और रिप्रेज़ेन्टेशन लोगों के आये और चीफ मिनिस्टर के पास भी इसके लिए रिप्रेज़ेन्टेशन्स आते रहे और डेप्युटेशन भी मिले। जब इस प्रकार से टेलीग्राम्स और रीप्रेज़ेन्टेशन्स आये तो दुबारा इस मामले को री–एक्ज़ामिन किया गया और राज्य सरकार ने यह तय किया कि इन तीनों म्युनिसिपैलिटियों को एक में दर्ज नहीं करके अलग २ रखी जाए। क्यों कि भीनासर तथा गंगाशहर नगरपालिकाएं दोनों छोटी हैं उनको एक इकाई कर दी जावे और दोनों को दर्ज करने के लिए हमने एक नोटिफिकेशन दफा ६ के नीचे दुबारा निकाला कि भीनासर और गंगाशहर की म्युनिसिपैलिटीज को सम्मिलित करना चाहते हैं जिस किसी को भी एतराज हो तो वह दो महीनों में अपने एतराजात प्रस्तुत करें।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी तारीख का था।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने २१-१२-६२ को जो निर्णय लिया था वह राज्य पत्र में २-१-६३ को प्रकाशित किया। जो २-१-६३ को दफा ६ म्युनिसिपल एक्ट के नीचे शाया होता है वह इस अमर का था कि दोनों म्युनिसिपैलिटीज को सम्मिलित करना राज्य सरकार चाहती है। इसके पेरा नं० २ में पहले वाले नोटिफिकेशन को सुपरसीड किया था और पहले वाला पब्लिकेशन दफा ४ के नीचे था उसको को भी सुपरसीड किया था। उसमें लिखा था :

(श्री परसराम मदेरणा)

"This superceeds the Department No. F. 1 (13) LSG/62 dated 25. 7. 62 merging Gangashahar and Bhinashahr Municipal boards with Bikaner Municipal Board."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप कैसे जवाब दे रहे हैं ? म्युनिसिपैलिटी के मिनिस्टर मौजूद हैं। उनको जवाब देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : यह जोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी हैं। कई दफा ऐसा होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब मिनिस्टर सदन में मौजूद नहीं हों तो होता है। यहां पर तो मिनिस्टर मौजूद हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब आपने फाइनल यह कर दिया था कि तीनों म्युनिसिपैलिटीज़ मिलाकर एक कर दी जावें फिर आपने यह कौन से कानून से फिर किया ? आपने यह फिर से क्यों सुना ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो कानूनी बात बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब तो माननीय मन्त्री बहुत बाद में देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिह नगर) : क्या मन्त्री हुजूर को कोई जुखाम है ?

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, I resent this remark. जब मुझे 'मन्त्री हुजूर' कहा जाता है और यह कहा जावे कि मुझे जुखाम है, मैं सभी माननीय सदस्यों की इज्जत करता हूं, किन्तु फिर भी वे इस तरह से कह कर मजाक करें, यह उचित नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे तो हमदर्दी है। मुझे बड़ा ठेस लगा जब आपने मेरी हमदर्दी को मजाक समझा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो नोटिफिकेशन राजपत्र में आया हुआ उसके फर्स्ट पब्लिकेशन में यह तय किया गया कि दोनों म्युनिसिपैलिटीज़ को, भीनासर और गंगाशहर को एक म्युनिसिपैलिटी बना कर एक बोर्ड बनाना चाहिए और दूसरा यह तय किया कि २५. ७ ६२ का नोटिफिकेशन है वह सुपरसीड हो गया। मगर जो लीगल एनोमोली खड़ी होती है वह इस पैरा से खड़ी होती है और हाई-कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को खड़ा किया है, यह इन्टरप्रेशन ऑफ लॉ का मामला है। हाई-कोर्ट ने इस बात को माना है कि राज्य सरकार ने जो पहले नोटिफिकेशन कैंसल किया है वह यह समझ कर किया है कि वह म्युनिसिपल एक्ट की दफा ६ के नीचे इश्यू होता है वह मेन्डेटरी है, ओब्लीगेटरी नहीं है।

दफा ४ के नीचे नोटिस निकाला है

(श्री परसराम मदेरणा)

वह एतराजात सुनने के बाद में, दो महिने का समय देने के बाद में राज्य सरकार एतराजात को सुनने के बाद में सुपरसेशन और वेलिडिटी के बारे में कन्विन्स होने के बाद में फाइनल नोटिस दफा ४ में निकालती है। उन फोर्मेलिटीज के पहले के हालात में जो नोटिस निकाला उनमें उन फोर्मेलिटीज़ को ओब्ज़र्व किया था उन फोर्मेलिटीज़ को जो दफा ४ में नोटिस निकाला उसमें ओब्ज़र्व नहीं किया। जब फाइनल नोटिस में उन तमाम फोर्मेलिटीज़ को ओब्ज़र्व नहीं किया तो पहले वाला नोटिफिकेशन कैन्सिल नहीं हुआ था। ऐसी हालत में कानून की आंखों में एक ही लीगल एन्टिटी है और वह बीकानेर म्युनिसिपल कौंसिल है। उस वक्त मुश्किल खड़ी हो गई कि यह नोटिस दफा ६ के नीचे निकाला और जब फाइनल नोटिस दफा ४ के नीचे निकाला गंगाशहर, मीनासर और बीकानेर का और जब लॉ डिपार्टमेंट में वैध करने के लिए नोटिफिकेशन भेजा तो लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि फाइनल नोटिफिकेशन निकाला उसमें एतराज-लेने चाहिये थे। सुपरसीड के बारे में लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन नहीं आई थी। उधर डिपार्टमेंट ने इलेक्शन डिपार्टमेंट को इलेक्शन के लिए लिख दिया। फिर लॉ डिपार्टमेंट ने यह पोइन्ट आउट किया कि अलग-अलग म्युनिसिपैलिटीज़ का जिक्र करना चाहिये था। इधर यह पोइन्ट आउट किया उधर इलेक्शन डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव करने का तय कर लिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : लॉ डिपार्टमेंट ने कब कहा?

श्री परसराम मदेरणा : यह तारीख मेरे पास नहीं है। १५ बीस दिन से पहले का नहीं है। उस वक्त में म्युनिसिपैलिटीज़ के वार्ड फिक्स हो चुके थे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यह समझ रहा था कि पहला नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है, डिमार्केशन वार्ड्स का उसी तरह हुआ, अलग अलग वार्ड्स पब्लिश हुए, अलग अलग वार्ड्स फिक्स हुए, अलग अलग डिमार्केशन हुआ। इलेक्शन तीनों के शामिल हुए। चुनाव होने के बाद में चुनाव याचिका में हाईकोर्ट में रिट करके इस मुद्दे को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जो नोटिफिकेशन २-१-६३ का है उसका पैरा २ डिफेक्टिव है, पहले वाले नोटिफिकेशन को ठीक माना है, कानून के माफिक सारी फोर्मेलिटीज़ उसमें ओब्जर्व की हैं। दूसरे नोटिफिकेशन में सुपरसेशन वाले प्रश्न को सिर्फ सुपरसीड करना लिख दिया है पर मेन्डेटरी फोर्मेलिटीज़ जो लीगली ओब्ज़र्व करनी अनिवार्य थी उनको ओब्जर्व नहीं किया ऐसा माना। उस हालत में एक ही म्युनिसिपैलिटी के वार्ड बनने चाहिये थे, डीलिमिटेशन वार्ड्स का होना चाहिये था पर तीनों के अलग अलग हुए है वह स्थिति कानून के अनुसार एग्ज़िस्ट नहीं करती, एक जो कर रहे थे उन एक्स्टेन्डेड एरिया वाला चुनाव होना चाहिए था। क्योंकि एक्स्टेन्डेड वाले वार्ड्स का चुनाव नहीं हुआ इसलिए ३ म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव वोइड घोषित कर दिये गये। हाईकोर्ट का यह फैसला ७-९-६४ को हुआ था और यह फैसला होने के बाद में हमने यह मामला लॉ डिपार्टमेंट को दिया। लॉ डिपार्टमेंट ने स्क्रुटिनी करके यह तय किया

(श्री परसराम मदेरणा)

कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने टैक्निकैलिटी के आधार पर यह फैसला दिया है इसलिये इसकी अपील हाई-कोर्ट की डी० बी० में करनी चाहिये क्योंकि टेक्निकल पोइन्ट के बेसिस पर फैसला हुआ है। हमने अपील की अक्टूबर में। विधान सभा का सेशन मीट हुआ, पर हमें आशा थी कि हमने डी. बी. के सामने अपील की है तो स्टे आर्डर मिल जायगा। सेप्टेम्बर में हमने स्टे आर्डर के लिए एप्लीकेशन दी थी पर हाई-कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। चुनाव रद्द हुए सो हुए पर बीच में जो वेक्यूम रह गया, उसमें चुनाव रद्द होने पर हमारे सामने एक चीज़ थी कि या तो एक म्युनिसिपैलिटी मान कर चलते। उसी माफिक वार्ड्स का डिमार्केशन करते, चुनावों की तारीख डिटमिन कर चुनाव कराते। यह नहीं कराते तो दफा ४ और ६ के नीचे तमाम फोर्मेलिटीज़ को ओब्ज़र्व करते जिस तरह २५-७-६२ के नोटिफिकेशन के तहत हमने किया था।

दूसरी यह स्थिति थी कि अध्यादेश नहीं लाते, पर अध्यादेश नहीं लाने के बाद में अलग नोटिफिकेशन दफा ४ के नीचे कर के तीनों म्युनिसिपैलिटियों को एमलगमेट कर दिया और सुपरसेशन करके उसको कैंसिल हुआ समझा, तीन अलग अलग एन्टिटी समझी, तीनों का अलग अलग बजट पास किया, तीनों का अलग अलग खर्चा हुआ, तीनों की अलग अलग आय हुई, तीनों की अलग अलग प्रोपर्टी रही, तीनों में अलग अलग ट्रान्सफर्स व नियुक्तियां हुई, कानून से एग्जामिन करवाया तो स्थिति यह आई कि २५-७-६२ से ७-६-६४ तक जितना कार्य किया गया, जितने एक्शन लिये गये, जितने ट्रान्सफर किये गये, जितने अपोइन्टमेंट्स किए गए. जितनी शक्तियों का प्रयोग करके लाइवेलिटीज़ इन्कर की हैं वे सब कानून की दृष्टि से अवैध हो जायेंगी तो राज्य सरकार के सामने दूसरा और कोई चारा नहीं था, अध्यादेश नहीं लाती तो इनको तो वेलिडेट करना पड़ता, वह बिल तो लाना ही पड़ता। तो हमने यह मुनासिब समझा कि एक पोइन्ट पर यह सारा केस इल्लीगल घोषित किया गया। २५–७–६२ वाला नोटिस ही शाया किया हुआ नहीं समझते हैं तो इन कार्यवाहियों को चैलेंज किया जा सकता है। इन वार्ड्स का सवाल खड़ा हो सकता है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार ऐसी प्रोसीडिंग्ज़ को वेलिडेट नहीं कर सकती ? सरकार को कानून के अन्दर अधिकार है कि वेक्यूम के इन सारे कार्यों को खर्च वगैरह को वेलिडेट किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : क्वैश्चन यह है कि जो तमाम कार्यवाही २५-७-६२ से ७-६-६४ तक हुई वह वेलिडेट होती। इसे वेलिडेट करने में निश्चित रूप से यह सदन ही समर्थ है, दूसरा कोई एम्पॉवर्ड नहीं है। यह हाउस सक्षम है तो एक ही तरीका था कि या तो बिल लाते या अध्यादेश से वेलिडेट करते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीच में जो कार्यवाहियां हुई थीं वे चुने हुए नुमायन्दे से हुई थीं या सरकार का जो नोमिनी था उसके द्वारा हुई थीं ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार का कमिश्नर था......

श्री मुरलीधर व्यास : उसको स्टे कर दिया, आपका एग्ज़ीक्युटिव ऑफीसर वर्क करता था ?

श्री परसराम मदेरणा : एग्ज़ीक्यूटिव ऑफीसर वर्क नहीं कर सकता था । कानून की निगाह में एक म्युनिसिपैलिटी थी तो हम एड्मिनिस्ट्रेटर अपोन्ट करते और एड्मिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट होता तो यह होता कि तमाम का एक जगह पूल होता, सब जगह एक तरह के टैक्स लगते, सबके अलग अलग साधनों को एक जगह पूल करना पड़ता, और राज्य सरकार की यह मंशा नहीं थी कि तीनों को एक किया जाय तो एक दफा पूल करके धारा ४ और ६ के नीचे तमाम फोर्मेलिटीज़ पूरी करके २५-७-६२ को जो पोजिशन थी, उसे रिवाइव करते ।

(५.०० म.प.)

इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए चुनाव में जो लोग जीत गए थे जिनमें राज्य सरकार और कैंडीडेट्स का खर्चा हुआ था उसमें एक टैक्नीकल पोइंट था, बहुत टैक्निकल पोइंट क्योंकि सुपरसेशन वाला पोर्शन है, फोर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व होनी चाहिए थी वे नहीं हुई, इसलिए पूरे का पूरा इलेक्शन वॉइड हुआ । उससे साथ जितनी भी कार्यवाहियां हैं, की गई, सभी कार्य हैं, नियुक्तियां है, स्थानान्तरण हैं, लगाए गए सभी कर हैं, ये सब के सब अवैध हो जाते, फिर कोई भी आदमी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकता था । इसलिए वैलिडेट करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया और इस विधेयक के जरिए उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करना चाहते हैं ।

मैं मान कर चलता हूं कि अगर राज्य सरकार ने इस आध्यादेश को जारी किया जो उसका कर्त्तव्य हो गया था, उसको अगर मीट आउट नहीं करती तो पास्ट के तमाम एक्शन्स और भविष्य के भी अवैध हो जाते । सरकार के सामने एक ही रास्ता रह गया था । जो दूसरा नोटीफिकेशन निकाला था उस उक्त सरकार ने निर्णय लिया था कि तीनों को साथ में एमल्गेमेट न किया जाय और आज भी सरकार की राय है कि अलग अलग नगरपालिकाएं रहें ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर रहें ? एक गलती हो गई तो फिर गलती क्यों करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मिलाने का प्रश्न नहीं उठता । मिलाने के बाद जब सरकार ने दूसरा निर्णय लिया वह हमने रिप्रेजेन्टेशन्स पर लिया । दूसरा निर्णय भी एग्ज़ामिन करके लिया है । वह यह था कि दोनों को एक कर दिया जाय । अब चुनाव ऊपर हैं । चुनाव के प्रोसेस में प्रोसीड हो रहे हैं । इसलिए तीनों को अलग अलग एन्टिटी रहने दिया जाय । वह जो निर्णय लिया जा चुका था वह आज भी कायम है और सरकार उसी निर्णय को मानती है इसलिए मैं जो राय दे रहा हूं कि जिस वक्त हमने एमल्गेमेट किया था, लोगों का एतराज

(श्री पसराम मदेराणा)

था कि एमल्गमेट न किया जाय, अगर उनके एतराज सफीशियेट हैं तो उनको माना जाता है और मानकर हमने यह निर्णय लिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कैसे कहते हैं कि उन एतराजात को आपने मान लिया है? जाकर आप भीनासर और गंगाशहर में पूछ लीजिए। कौन से कदम का अन्तर है कि दोनों नगरपालिकाओं को अलग अलग रखेंगे?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप तीनों नगरपालिकाओं को मिलाकर मानकर चलते थे। २०–१०–६१ को आपने लिस्ट ऑफ वार्ड्स शाया की थी, उसको बाद फाइनल नोटीफिकेशन धारा ४ के तहत २५–७–६२ को शाया किया गया, यानी इस प्रकार ६ महीने के बाद आपने फाइनल डिसीज़न लिया और इस बीच में कि तीनों नगरपालिकाओं को एक किया जाय या नहीं, या उनका डीलिमिटेशन किया जाय, उस संबंध में क्या आपत्तियां आई कि दुबारा भीनासर और गंगाशहर को अलग किया और जो डिसीजन लिया उसके बारे में केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि २०–१०–६१ और २५–७–६२ पर जो प्रिलिमिनरी और फाइनल निर्णय लिए, इनके बीच में जो आपत्तियां आपके पास आई और विचार करके फाइनल २५–७–६२ को लिस्ट पब्लिश कर दी, तो फिर क्या जरूरत थी सेक्शन ६ के अन्दर दुबारा कार्यवाही करने की?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने पहले निवेदन किया २५–७–६२ को नोटिफिकेशन पब्लिश किया, उसके बाद में लोगों के बराबर रिप्रेज़ेन्टेशन्स राज्य सरकार के पास में आए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहले भी तो आए थे?

श्री परसराम मदेरणा : फैक्चुअल पोजीशन मैं बता रहा हूं। लोगों के रिप्रे–जेन्टेशन्स आए, उनको एग्ज़ामिन करवाया गया और डिपार्टमेंट की यह राय बनी कि इन तीनों को एमल्गेमेट नहीं किया जाय। जहां तक वे एजीटेट कर रहे हैं कि हमें इनके साथ नहीं मिलाया जाय और बीकानेर नगरपालिका के साथ में हम अपने आपको मर्ज नहीं करना चाहते तो रीएग्ज़ामिन करवाया तो उसके बाद में सरकार का निर्णय रहा कि इन दोनों को शामिल कर दिया जाय और बीकानेर को अलग रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप डिप्टी मिनिस्टर लॉ हैं। आप तो लीगल पोजीशन बता दें। जब एक बार नोटीफिकेशन निकलता है, आपत्तियां इन्वाइट करते हैं, टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं कि इस टाइम के अन्दर जिसको एतराज हो भेज दें, उसके बाद में नहीं सुनें जायगें, उसके बाद में २५–७–६२ को सरकार ने फाइनल डिसीज़न ले लिया तो एतराजात का समय रहा नहीं-गलत ले लिया या सही ले लिया–२५–७–६२ के ऑब्जेक्शन्स का टाइम निकल गया और इसलिए एतराज़ात कितने भा करते रहें, आप उनको एन्टरटेन नहीं कर सकते थे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस तरह २५–७–६२ के बाद कोई एन्ड नहीं होगा। सरकारी डिसीज़न हो गया, आपत्तियां डिस्पोज ऑफ कर दी गई और फिर एतराजात ? तो फिर जो टाइम पहले नोटिफिकेशन में फिक्स किया था, वह स्टेज तो खत्म हो गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार ने उसे उचित माना ?

श्री परसराम मदेरणा : कानूनी तौर से यह बात सही है। २५–७–६२ के बाद एतराजात का समय नहीं था। एतराजात का समय २०–१०–६१ तक था और तब तक जो एतराजात आए उन पर सरकार ने निर्णय २५–७–६२ को लिया था और उसी दिन एक्स्ट्राआॅर्डिनरी गजट में नोटि-फिकेशन जारी किया तो मतलब यह था कि पहले जो कुछ एतराजात आते हैं उनको न मानकर सरकार ने तीनों नगरपालिकाओं को मर्ज करने का फैसला किया उसके बाद में बराबर रिप्रेज़ेन्टेशन्स होते रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) होने दो। सवाल यह है कि आॅब्जेक्शन्स करने का समय खत्म हो गया जब आपने १९६१ में नोटीफिकेशन निकाला। दो महीने के समय में जिन्हें एत-राजात करने थे, किए।

श्री परसराम मदेरणा : आप कानूनी तौर पर सही कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार को बाद में यह मालूम हुआ कि उन लोगों की इच्छा नहीं है कि बीकानेर नगरपालिका को इनके साथ में मर्ज किया जाय तो सरकार को दुबारा नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार है और हमने दुबारा नोटिफिकेशन निकाल दिया। पहले वाला नोटिफिकेशन हमने माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने दुबारा २५–७–६२ के बाद, दुबारा इन्कलूड करने बाद आॅब्जेक्शन्स इन्वाइट किए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं। किसी को एतराज था तो उस पीरियड के अंदर करता। उस समय तो आॅब्जेक्शन्स पेश नहीं किए गए, सरकार ने फैसला किया २५–७–६२ को तीनों को मिलाने का, फिर आब्जेक्शन्स की कौन सी स्टेज रही ?

श्री परसराम मदेरणा : फिर गवर्न-मेन्ट ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट और लोगों की मांग पर २५.७.६५ को नोटिफिकेशन निकाला था उसको सुपरसीड कर दिया। यानी २.१.६३ को जो नोटिफिकेशन निकला उसके द्वारा २५.७.६२ को जो नोटिफिकेशन निकाला था वह सुपरसीड हो गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कौनसी सेक्शन के तहत ? आपने आॅब्जेक्शन्स इन्वाइट पहले कर लिये, फाइनली वोटर्स की लिस्ट शाया कर दी फिर किस सेक्शन के तहत आपने आॅब्जेक्शन इन्वाइट किये और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किस प्रकार से दूसरे नोटिफिकेशन के जरिये किस सेक्शन के तहत सुपरसीड कर दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन ४ और ६ के अन्दर है। उस क्षेत्र के और गठन का प्रश्न था और दफा ४ के अन्दर है, दफा ६ में प्रिसिडिंग नोटिफिकेशन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो सरकार ने ऐसा किया कि जिस प्रकार बच्चे बरसात में घर बनाते है और उनको बिगाड़ देते हैं। क्या यह सरकार चलाने का तरीका है ? कोई तरीका नहीं है यह। जितनी गलती कानून के अनुसार की है उसको आप स्वीकार कीजिये जैसा कि आप हमेशा करते हैं। यह कोई तरीका थोड़ा ही है। न तो आपने कोई ऑब्जेक्शन्स इनवाइट किये और आपने फाइनल निर्णय ले लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास कौनसा पॉवरफुल आदमी पहुंच गया था ? कौनसा आसामी, जैसा आप कहते हैं, मुख्य मंत्री जी के पोस पहुंच गया ?

श्री परसराम मदेरणा : जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्सन २३ के अन्तर्गत हमने पहले वाले नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया और हम कर सकते हैं। लोगों के एतराजात थे तो फोर्मेलीटीज ऑब्जर्व करने के लिए २.३.६३ को नोटिफिकेशन निकाल दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप पोजिशन से शिफ्ट हो गये। पहले ४ और ६ सेक्शन बताया और अब जनरल क्लॉजेज एक्ट पर आ गये।

श्री परसराम मदेरणा : फोर्मेलीटीज वही पूरी करनी पड़तीं जो सेक्शन ४ और ६ के अन्तर्गत करनी थीं। जनरल क्लॉजेज एक्ट के नीचे सुपरसेशन किया और यह राज्य सरकार को अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की लुग्दी बना दी, हाई-कोर्ट ने जजमेन्ट दे दिया।

श्री परसराम मदेरणा : लुग्दी नहीं बना दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाईकोर्ट ने जजमेन्ट दे दिया है। फिर ऐसा था तो २५.७.६२ का नोटिफिकेशन नहीं निकालते। रोज निकालते जाओ और फिर रोज उसको बदलते जाओ।

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय पब्लिक इन्ट्रेस्ट में बदलने पड़ेंगे। रिजिडिटी से नहीं चलना चाहते कि एक दफा निर्णय ले लिया वह ही हमेशा के लिए लागू रहेगा। आप अपने भाषण में भी कई दफा पैंतरे पलटते रहते हो। राज्य सरकार तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में निर्णय ले रही है, लोगों के एतराजात को मीट आउट करने के लिए।

श्री मुरलीधर व्यास: सार्वजनिक इन्ट्रेस्ट होता है वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट माना

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है। चार आदमियों ने कह दिया और निर्णय बदल दिया यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी कन्ट्रोवर्सी एक बात से ही खत्म हो जावेगी, आप यह बता दीजिये कि २५–७–६२ के बाद कितने आदमियों ने एतराजात किये ?

श्री परसराम मदेरणा: फाइल मेरे पास नहीं है जिससे मैं यह सही रूप में बता सकूं कि कितने आदमियों ने वास्तव में एतराजात किये। कम से कम १०–१५ रिप्रेज़ेन्टेशन होंगे और २०-२५ टेलीग्राम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :३५ आदमी।

श्री परसराम मदेरणा : हर एक वोटर कहेगा क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दस आदमियों की म्युनिसिपैलिटी और उसमें से केवल ३५ आदमी ओब्जेक्शन करें और राज्य सरकार के निर्णय फौरन से बदल जाएं ? वाह !

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री): जयपुर में पांच लाख की आबादी है। यदि सतीशचन्द्र जी कोई तार रिप्रेज़ेन्टेशन दे दें वे एडवोकेट हैं, कानून को समझते हैं, पब्लिक इन्ट्रेस्ट को भी समझते हैं, उस रिप्रेज़ेन्टेशन की वेल्यू होती है। भेड़ों की क्या ? शेर की होती है।

श्री मुरलीधर व्यास: उन्हीं लोगों ने पहले क्या रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं किया था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: शेर कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर: एक हांडा साहब, और दूसरे मुरलीधर जी व्यास। आप ही सोचते थे कि अच्छा हो यह यदि हो जाय।

श्री मुरलीधर व्यास:क्या सोचता था ?

श्री मथुरादास माथुर: यह बन गयी और बाद में सोचा।

श्री मुरलीधर व्यास :आप भी यह सोचते हैं कि इस तरीके से वह जीत जावेगा और वहां इस तरीके से वह जीत जाय।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो सियासत में बैठे हैं। सब सोचते हैं। आपने तो वानप्रस्थाश्रम ले रखा है।

श्री मुरलीधर व्यास: आपकी दृष्टि में गांधीजी का आश्रम बुरा है ?

श्री परसराम मदेरणा: राज्य सरकार के सामने एक ही ऑल्टर्नेटिव था। जो वेकुम हो गया था उसके लिए एक ऑर्डिनेन्स निकाल दिया।

अब बहुत से माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में बहुत से एतराजात पेश किये थे और कई मुद्दे उन्होंने सदन में उठाये थे। जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य ने आदर्शनगर की सड़कों का यहां जिक्र किया और यह कहा कि उन सड़कों का मालिक कौन है ? उनकी रिपेयर्स नहीं होती हैं और कोई जवाबदारी कोई डिपार्टमेन्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का एक प्रश्न भी सदन के अन्दर पिछले सत्र में आया था और उसके बाद में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने यह फैसला लिया ६-२-६५ को और उस फैसले के जरिये यह तय किया गया कि म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर उन रोड्स की मैन्टीनेन्स और जहां तक उनकी सेनिटरी कन्डीशन्स का सवाल है, उसको देखेगी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट उन रोड्स के काम को जैसा कि म्युनिसिपैलिटी उसको डाइरेक्ट करेगी, उस तरह से उस काम को एग्ज़ीक्यूट करेगी। यह टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा ५० के अन्तर्गत, जिसमें इस प्रकार का प्रोविजन है कि अगर कोई एरिया डेवलप हो गया हो क्योंकि इसमें अनोमली यह हो गई थी कि इसको डाइरेक्टली ट्रस्ट नहीं देख रहा था और रिलीफ एन्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट देख रहा था, ज्यों ज्यों एरिया डेवलप होता जाता है अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स एक्ट के नीचे म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाता है: यह भी दे दिया गया म्युनिसिपैलिटी को और इसके लिए म्युनिसिपेलिटी जिम्मेदार है कि वहां की सड़कों और सेनिटरी कन्डीशन्स को वह देखे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस आज्ञा को कॉपी दे देवें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दे दूंगा। आप चाहेंगे इसको अभी यूज़ करना तो भी दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन करेगी रोड्स को तो किसकी कोस्ट पर ?

श्री परसराम मदेरणा : म्युनिसिपैलिटी की कोस्ट पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह पैसा नहीं देगी तो ?

श्री परसराम मदेरणा : कानूनी तौर पर देना पड़ेगा। अब तक म्युनिसिपैलिटी कह सकती थी कि हमारे ज्युरिस्डिक्शन में नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। जब उनका ज्युरिस्डिक्शन हो गया है तो यह लाजमी हो जाता है उनके लिए कि वे उनकी रिपेयर्स कराये। यह आज्ञा जारी कर दी गई है कि म्युनिसिपेलिटी पैसा देगी। कापी म्युनिसिपैलिटी को भेज दी गई है और माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको दे सकता हूं।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया, नगरपालिकाओं की अवधि तो बढ़ा दी गई, कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये, जहां म्युनिसिपैलिटीज कांग्रेस की थी वहां तो मियाद बढ़ा दी गई और विरोधी पार्टी की थी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दिये। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में ७३ म्युनिसिपैलिटीज़ की टर्म खत्म हो गई थी,

(श्री परसराम मदेरणा)

उनमें से ३९ म्युनिसिपैलिटीज की टर्म एक्सटेन्ड की गयी और तीस में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये गये। इसमें कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटीज का जहां तक सवाल है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो बतलाइये ३९ का एक्सटेन्ड किया उसमें विरोधी पार्टियों की कितनी नगरपालिकायें हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक जनसंघ की म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल है नाथद्वारा, कोटा, लाखेरी और एकाध होगी। उसके अलावा स्वतन्त्र पार्टी सागवाड़ा, पी. एस. पी. की बयाना है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आॅन ए पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर, सरकार ने म्युनिसिपल इलेक्शन को इस आधार पर रिकाॅग्निशन दिया है क्या कि पार्टी बेसिस पर चुनाव होंगे ? वहां पर चुनाव चिन्ह भी नहीं रखा गया। इस प्रकार के क्रिटिसिज़्म का जवाब इस तरह से दिया नहीं जाना चाहिये जब कि पार्टी को रिकाॅग्निशन नहीं दिया है। क्या सरकार इस प्रकार की लिस्ट तैयार रखती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लीगल क्वेश्चन नहीं है। फैक्ट्स की बात हैं कि कोटा में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी है लाखेरी में है, नाथद्वारा में है।

एक माननीय सदस्य : सरकार तो सब को एक निगाह से देखती है।

श्री परसराम मदेरणा : एक तरफ विरोधी पार्टी इस प्रकार का क्रिटिसिज़्म करें कि कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपैलिटीज़ को फेवर किया गया है तो हमें इसकी जानकारी रखनी पड़ती है। जानकारी के आधार पर कह सकते हैं, कौन सी पार्टी का चेयरमैन है, ज्यादा सदस्य कौन सी पार्टी के हैं, इससे मालूम हो सकता है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो हमें यह बतला दीजिये कि ३९ का टर्म एक्सटेन्ड किया है उनमें कितनी विरोधी पार्टी की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह उम्मीद आप क्यों रखते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३९ में से एक भी म्युनिसिपैलिटी विरोधी पार्टी की नहीं जिसका टर्म एक्सटेन्ड किया गया हो। आपका आखिरी क्या क्राइटेरिया है, कहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हो कहां का टर्म एक्सटेन्ड किया जाय ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मांग नहीं आयी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्राइटेरिया क्या था ?

श्री बरकतुल्ला खां (जन–स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सदस्यों को मैं अदब के साथ कह देना चाहता हूं कोटा को ही लीजिये। वहां की म्युनिसिपैलिटी कम्पल्सरी टैक्स लगाने के लिये तैयार नहीं थी इसलिये

(श्री बरकतुल्ला खां)

वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रा करना जरूरी था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : वह तो अब भी नहीं लगा रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : एडमिनिस्ट्रेटर वहां गया। वहां पर टैक्स लगाने का काम नहीं हुआ था कि किस बेसिस पर लगाया जाय। जब तक तैयारी नहीं कर लेते टैक्स नहीं लगा सकते...

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह तो अब भी नहीं लग रहा है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : नहीं तो सुपरसीड होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट ने एक उसूल रखा था कि म्युनिसिपैलिटीज़ अपने अपने फाइनेन्सेज की देखभाल करें। इसके लिये उनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। तीन कम्पल्सरी टैक्स लगाने होंगे लेकिन उसको एन्फोर्स नहीं किया ओक्ट्रोय-हाउस टैक्स। कोटा म्युनिसिपैलिटी ने हाउस टैक्स भी नहीं लगाया...

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्यों लगावे जब कि उसने अपने फाइनेन्सेज़ अन्य साधनों से इम्प्रूव कर लिये। आप क्या बातें करते हैं? क्या जिनका टर्म आपने एक्सटेन्ड कर दिया उन सब ने हाउस टैक्स लगा दिया?

श्री बरकतुल्ला खां : आप अगर करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनसंघ की और विरोधी पार्टी की म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ हमदर्दाना व्यवहार किया है उस पर आप आज यह कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यही तो आपने गलती की।

श्री बरकतुल्ला खां : हम डेमोक्रेसी के अन्दर यह बात लेकर चलते हैं हम भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा चार्ज है कि आप इनसे डरते हैं, इनके साथ आप पक्षपात करते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो भी म्युनिसिपैलिटी मुझ से राय लेना चाहती है उनको राय देने के लिये तैयार रहता हूं। लेकिन जो इस हाउस के अन्दर कानून पास हो जाता है आप हमें जो अधिकार दे देते हैं उस पर कार्यवाही नहीं होती है, हमें एक्शन लेना पड़ता है। या तो आप इस प्रकार का कानून बना दें कि म्युनिसिपैलिटीज़ पर किसी प्रकार का एक्शन हम न ले जो चाहे वे करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर आपका क्राइटेरिया क्या है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नगदुआ नहीं मिलेगा। एक आदमी की रिपोर्ट पर।

श्री बरकतुल्ला खां : रायसिंहनगर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर

(श्री बरकतुल्ला खां)

एक प्लॉट वहां के चेयरमैन ने अपने नाम से ले लिया और दूसरा प्लॉट अपने बच्चे के नाम ले लिया जो माइनर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल गलत बात है। इसके बारे में दौलतरामजी ने रिपोर्ट दी है, आप उसको सदन की मेज पर रखवा दीजिये। आपके ए. डी. एल. बी. साहब ने एक हजार रुपया मांगा, जब उसको नहीं दिया गया इसलिये एक्शन लिया।

श्री परसराम मदेरणा : यह अगर बात है तो आप यह साबित कर दें, पर यह मेरी सूचना है कि एक प्लॉट उनके नाम से है और एक प्लॉट उनके माइनर बच्चे के नाम से है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह २५ साल से बैठा हुआ था। एक प्लॉट लिया है। कोई माइनर बच्चे ने नहीं लिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर ऐसा है तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके डिप्टी मिनिस्टर ने रिपोर्ट दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! आर्डर !! मैं समझता हूं कि इसका उत्तर हो चुका है और अब इस विषय में प्रश्न रखा जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं हुआ है तो उत्तर प्रारम्भ किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ४-५ मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि माथुर साहब की चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी, बाद में कौल साहब की चेयरमैनशिप वाली कमेटी बनी उसके बाद चतुर्वेदी कमेटी अभी काम कर रही है। मेरी ऐसी जानकारी है कि चतुर्वेदी कमेटी ने सभी पहलुओं पर म्युनिसिपल फाइनेन्सेज़ के मामले में अपनी रिपोर्ट फाइनल तौर पर करके तैयार कर ली है और हफ्ते भर में राज्य सरकार के सामने रख दी जायेगी और बाद जांच राज्य सरकार उस पर निर्णय लेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने साल हो गये कुल मिलाकर माथुर साहब की कमेटी, कौल साहब की कमेटी और इस कमेटी को ?

श्री परसराम मदेरणा : इस पोजीशन में मैं अभी नहीं हूं कि इसका जवाब दे सकूं। यह प्रश्न अभी उठा है डेढ़ दो घन्टे पहले और मुझे सही बात का जवाब देना पड़ता है उसके लिए इन्फर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तरीका नहीं होता है कि एक कमेटी को भंग करके दूसरी कमेटी बना दी और फिर तीसरी कमेटी बना दी और ८ वर्ष से कमेटी चल रही है।

Page No 125

श्री मथुरादास माथुर : वह तो जोग की बात है कि कौल साहब मिनिस्टर बन गये; कल तुम भी बन जाओगे तो कमेटी क्या करेगी ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कमेटी काम करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनिस्टर तो आते-जाते रहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई फैसला तो होना चाहिए। आखिर कमेटी का निर्माण किया वह किस नतीजे पर पहुंची ?

श्री परसराम मदेरणा : वह लीगल पोजीशन बिल्कुल सही है कि फाईनेन्स मिनिस्टर किसी कमेटी का चैयरमैन हो वह सिफारिश करे यह नहीं होना चाहिए इसलिए उनको नहीं रहना चाहिए तो यह आवश्यक ही था......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप होम मिनिस्टर हो गये तो क्या हुआ। भवानीशंकर नन्दवाना जिला परिषद् के प्रमुख रह सकते हैं तो क्या उस कमेटी के चेयरमैन आप नहीं रह सकते थे ?

श्री मथुरादास माथुर : इतना विश्वास मेरे पर है तो फिर कर दें तो बन जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : आपको चान्स तो है लेकिन किस प्रकार के चान्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि डिबेट को वार्तालाप के रूप से नहीं किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां पर एक मन्दिर कोटा म्युनिसिपल क्षेत्र में है। उस मन्दिर को एडमिनिस्ट्रेटर ने तुड़वा दिया। यह बात सही है कि इस मन्दिर की सैकण्ड स्टोरी बनाने के लिए जब वहां पर प्रशासक था तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। अभी हाल ही में मन्दिर नहीं तुड़वाया गया है, लेकिन जहां पर पब्लिक व्हे है वैस्ट के अन्दर, पब्लिक व्हे के ऊपर उन्होंने दीवार का कन्स्ट्रक्शन किया है उससे पब्लिक व्हे ब्लाक होता था और वह विदाउट पर्मिशन बना रहे थे। उनको पर्मिशन लेकर मन्दिर की डबल स्टोरी बनाने की थी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपके पास जो इन्फोर्मेशन आई हैं मैं आपकी सूचना के लिए कहता हूं कि गलत इन्फोर्मेशन है। वहां पर न तो रास्ता रुक रहा था और जो कुछ तामीर कर रहे थे वह पर्मिशन के साथ कर रहे थे। स्वयं एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कौन्सिलर ने इस बात को माना है।

श्री भैरव लाल "कालाबादल" : आपकी यह रिपोर्ट गलत है और वह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल बात सही है।

श्री परसराम मदेरणा : जो भी हम सदन में कहते हैं वह जिम्मेदारी से कहते हैं। हमारे पास और कोई सोर्स इन्फोर्मेशन का नहीं है। गवर्नमेंट मशीनरी के जरिये इन्फो-

(श्री परसराम मदेरणा)

मेंशन मंगाते हैं। यह ह्यूमनली इम्पोसिबल है कि सदन में इस तरह से क्रिटिसिज्म में कोई प्रश्न उठायें तो उसका जवाब दिया जा सके। आप इस बात को प्रश्न के जरिये पूछ सकते थे और डिमाण्ड पर इस बात को रख देते तो वह सर्क्युलेट हो जाती है और २४ घन्टे का समय मिल जाता है तो भी हम इन्फोर्मेशन मंगा लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आप बिल्कुल उचित हैं। मेरी आपसे सहानुभूति है कि आपके ऑफिसर्स आपको मिसलीड करते हैं। हमको बरकत साहब ने एक बात कह दी। मैं कहता हूं कि वह बिल्कुल गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सदस्य कहते हैं, उनकी इन्फोर्मेशन गलत है और आपके ऑफिसर्स जो देते हैं वह सही है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे कहने का कदापि यह मतलब नहीं है कि राज्य सरकार के कर्मचारी मिसलीड करते हैं। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य था कि उसको देखकर वेरीफाई करने के लिए इतना समय नहीं मिलता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री उपाध्यक्ष : There is a Point of Order !

श्री परसराम मदेरणा : जो इन्फोर्मेशन हमारे पास आती है...

श्री मानसिंह मझार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज हो गया, फिर भी यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : There is a Point of Order.

श्री परसराम मदेरणा : मैं जरा सा विश्लेषण कर रहा हूं ?...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं सदन के सदस्यों से कि ये रिप्लाई दे रहे हैं शोर्ट पीरियड में। ऐसी हालत में वह सही है या गलत है, बल्कि जो मिनिस्टर कह रहे हैं उसके बाद में रेकार्ड में आ जाये उसके बाद सबूत इकट्ठा करके सरकार को और ज्यादा बतलाया जा सकता है और सरकार को वक्त मिले तो पूरे उन फेक्टस को वेरीफाई कर सकते हैं। यहां अभी यह चीज हो सकती नहीं कि आप बोल गये और उसके लिए कहें कि उसका जवाब यहां पर हां या ना में दिया जाय। यह तो आम रिप्लाई है। उसके बाद वेरीफाई करिये और मौका मिलेगा तब कहियेगा। उसके बाद एक्शन की बात उठती है। उनके रिप्लाई को तो आ जाने दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको केवल यह सूचना देना चाहता हूं। वह एकदम बोल गये और नाराज हो गये। ऐसी बात न हम करना चाहते हैं और न कहना चाहते हैं कि वे गलत बोल रहे हैं। आपके

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पास जैसी भी सूचना आई है वह गलत दी गई है । मैं एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इस सम्बन्ध में मिला हूं । उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और यह वायदा किया है कि जो डेमेज हुआ है उसको किस प्रकार से म्युनिसिपिल फण्ड से पूरा करें, लेकिन इतना समय बीत गया और उन्होंने उसको पूरा नहीं किया । आप इसकी जांच करा लें ।

श्री परसराम मदेरणा : जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है उसकी आथेन्टिसिटी को, ट्रुथफुलनेस को और एक्जामिन कराऊंगा और अगर इन्फोर्मेशन सही नहीं आई है तो मैं देखूंगा कि गलत इन्फोर्मेशन क्यों दी है । लेकिन जो मैं कहता हूं यहां सदन के अन्दर यह बात तो निश्चित तौर से है कि जो इन्फोर्मेशन है उसको ट्विस्ट करके या बदल कर नहीं देता हूं । आफ्टर ऑल इस सदन में जो बात कहना चाहता हूं वह जिम्मेदारी से इस सदन में माननीय सदस्यों को इत्तिला देता हूं और कोई बात छिपाई नहीं जाती है । केवल यह कह देने से कि गलत कह दिया कोई नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले हैं । इस इन्फोर्मेशन को नहीं मानते हैं तो फाइल दिखाने को तैयार हूं ।

अब दूसरा प्रश्न रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी खुराफात की बात कही कि मजदूरों के क्वार्टर बनाने की जमीन का एलॉटमेंट किया गया था वह बॉलबियरिंग फैक्ट्री को दे दी गई है । यह प्रश्न उठा लिया गया था और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस पर्पज के लिए जमीन एक्वायर की गई थी और वह एक्वीजिशन नोटिस सेक्शन ४ के अन्दर, मैंने उस वक्त भी उसका हवाला दिया था, एक प्लान डेवलपमेंट जयपुर शहर के लिए था और चूंकि एक बहुत बड़ी भट्टी वे लगाने वाले थे तो जमीन की आवश्यकता थी और यह जमीन उसके एडजेसेन्ट थी तो उनको दी गई । यह सवाल जब उठा था तो उस समय मैंने अर्ज किया था कि मजदूरों के कॉस्ट पर नहीं दिया बल्कि उसके लगने से एक इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल क्रियेट हो रहा था...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्षमा कीजिये, मेरा एतराज यह था कि उस एरिया को इन्डस्ट्रियल एरिया में इन्क्लूड कर दिया था । जब यू० आई० बी० ने एक प्लान एप्रूव करके सरकार के पास मन्जूरी के लिए भेजा था, तो दो–तीन साल तक क्यों सरकार के पास रहा ? मेरा एतराज यह था, वह प्लान यू० आई० बी० के एप्रूवल के बाद किया जाय । ऑलरेडी वहां पर इन्डस्ट्री लगी हुई है, वॉलबियरिंग के पास एडजोइनिंग जमीन थी इसलिये वे इन्स्टेड थे । वह एरिया इन्डस्ट्रियल एरिया नहीं था ।

श्री परसराम मदेरणा : वह बिड़ला जी का हो या दूसरे सेठ का हो यह हम मानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो कोई भी इन्डस्ट्री लगाता है उसको पानी और बिजली की सुविधा देने का जिम्मा राज्य सरकार का है । मजदूरों के बारे में यह निवेदन करूंगा कि आगे भी आश्वासन दे चुके हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

यू. आई. टी. के चेयरमैनों की कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया है कि जिनकी सेलेरी २००) रु. तक है उनको प्राथमिकता दी जायगी जयपुर में या और दूसरी जगह जमीन अलॉट करने की स्कीम बनेगी उसके बारे में जो रिकमन्डेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब यू. आई. टी. के प्लॉट्स होंगे उन प्लॉट्स को कच्ची बस्ती के लोगों को देना पड़ेगा, सबसे पहला प्रिफरेन्स ऐसे लोगों को और कम आय के लोगों को देना पड़ेगा। लोन आदि की फेसिलिटी की बात रखी थी मजदूरों और कम आय के लोगों का जहां तक सवाल है सरकार उनको प्लॉट्स बराबर एलॉट कर रही है और आगे भी करेगी।

यह भी कहा गया कि माउन्ट आबू के नोमिनेटेड प्रेसिडेंट हैं, रायसिंहनगर के माननीय सदस्य ने कहाकि क्योंकि वे नोमि-नेटेड है इसलिये वे स्वायत्त शासन के अधि-कारियों और म्युनिसिपेलिटी की चुप्पी के लिये प्लोट्स अलॉट करते हैं क्योंकि हमेशा उनके सिर पर तलवार लटकती रहती है कि प्रेसिडेंट आगे रहेंगे या नहीं। मैं जानकारी के लिये अर्ज करूं कि लैंड एलोट करने के लिये वहां पर अलग कमेटी है जिसका चेयरमैन कलेक्टर सिरोही है, एस. डी. ओ. माउन्ट आबू भी उसका मेम्बर है और टाउन प्लानर उसके तीसरे सदस्य हैं उनकी राय के बिना न प्लॉट्स ईयर मार्क होते हैं और न अलॉट होते हैं। उसके चौथे मेम्बर हैं नोमि-नेटेड चेयरमैन जो एक सदस्य मात्र हैं। इस-लिये नोमिनेटेड चैयरमैन जमीन अलॉट नहीं करता है। वहां का मास्टर प्लान तैयार है और उसके माफिक डेवलपमेन्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं, माउन्ट आबू जबसे राजस्थान में आया है तबसे उसका डेवलपमेंट बराबर किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि होलिडे होम में कुछ ऑफिसर्स रेडियो बजाकर जो एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य गये थे उनको डिस्टर्ब करते थे...

श्री योगेन्द्रनाथ हाड़ा : बाकायदा वहां पर दफ्तर लगे हुए हैं। ज्वालाप्रसादजी भी वहां पर मौजूद थे। दिन में रेडियो और रात में शराब की बोतलें चलती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट भी मेरे पास है, मैं आइन्दा देखूंगा कि एस्टिमेट्स या पी. ए. सी. जो बहुत अहम काम करने वाली कमे-टीज़ हैं वे जब वहां जायेंगी तो सरकिट हाउस में या और दूसरी जगह उनके ठहरने का प्रबन्ध किया जायगा ताकि उनको डिस्ट-बेंन्स न हो।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तीन-चार मुख्य मुद्दे उठाये थे उनमें से एक यह था कि यू. आई. टी. जिस जमीन को सेल करे पहले उसका मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिये। इस बारे में मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं खुद उनकी राय से इत्तिफाक करता हूं। यह सही है कि जिस एरिया का मास्टर प्लान नहीं है और वहां की जमीन सेल हो जाती है तो वहां के डेवलपमेन्ट में रुकावट आ जाती है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं करेक्ट कर दूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मास्टर प्लान से मतलब होल सिटी के मास्टर प्लान से है। मास्टर प्लान पार्टिकुलर जगह का नहीं होता। आप टुकड़ों में मास्टर प्लान मानते हैं उसको मैं मास्टर प्लान मानने को तैयार नहीं हूं। सारे शहर का मास्टर प्लान करेंगे तो ठीक है, टुकड़ों में मास्टर प्लान बनता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया उसके लिये धन्यवाद। लेकिन मुझे पहले से जानकारी है कि मास्टर प्लान मुहल्ले या सैक्टर का नहीं बनता है पूरी सिटी का बनता है, एडजोइनिंग एरिया का बनता है। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होना चाहिये जो ग्रो अप करता जायगा, २० साल में पोपुलेशन बढ़ेगी. उस समय क्या स्थिति रहने वाली है, इसका भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिये मास्टर प्लान का मतलब पूरी सिटी का है। आप जो अजमेर सिटी का मास्टर प्लान बनाना चाहते हैं वह जल्दी ही तैयार होगा ताकि उसके अनुसार डैवलपमेन्ट हो सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: तब तक कोई जमीन नहीं बेची जाय।

श्री परसराम मदेरणा: इसके लिए मैं गारन्टी देने वाला नहीं हूं। मास्टर प्लान बनता है उस पर ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है, उसमें समय लगता है। इण्डिविज्युअल प्लॉट्स किसी के पड़े हुए हैं तो वे बेचे जा सकते हैं। बहुत से ऐसे भी मामले हो सकते हैं जैसे वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रश्न आ जाय या और कोई प्रश्न आ जाय तो उसको मास्टर प्लान बनने से पहले रोक दें यह नहीं हो सकता। इस तरह का जनरलाइजेशन नहीं दे सकते, उपाध्यक्ष महोदय। यह जो बात कही, डाइरेक्टर लोकल बोडीज की कि उन्होंने सर्क्यूलर निकाला है, म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य हैं वे व्यापार कर सकते हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: म्युनिसिपल कमेटीज़ से।

श्री परसराम मदेरणा: जी हां। इस तरह का प्रावधान राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा २६ में ऑलरेडी सदन ने रखा है। वहां जो प्रोविजन है वह यही है जिसकी तरफ सर्क्यूलर के जरिये ध्यान आकर्षित किया है कि आपके पास सेक्शन २६ में अख्त्यार है लेकिन रिज़र्व करने का अधिकार म्युनिसिपल कौंसिल को है; वह कितना व्यापार करने का अधिकार देती है वह कौंसिल फिक्स कर सकती है। म्युनिसिपैलिटी छोटी इकाई है जिसमें बिजनेसमैन और ट्रेडर्स भी हैं उनको बिजनेस से डिबार नहीं किया जाय इसलिये इस प्रोविजन को सदन ने रखा है। यह जो सर्क्यूलर निकाला है वह एग्जीक्युटिव सर्क्यूलर नहीं है बल्कि कानून के तहत निकला है। दो हजार रुपये तय किये होंगे म्युनिसिपल कौंसिल ने, यह उसके सोचने की बात है। दो हजार से पांच हजार करती है या जो कुछ भी तय करती है उसे राज्य सरकार के पास भेजेगी और फाइनल निर्णय राज्य सरकार लेगी कि कितना करना चाहिये। अभी तक राज्य सरकार ने निर्णय

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं लिया है। म्युनिसिपैलिटी ने २००० का शायद रिज़ोल्यूशन पास किया है। अब सवाल खड़ा होता है कि अजमेर म्युनिसिपल कौंसिल ने क्यों पास किया ? जब कानून में प्रावधान है तो म्युनिसिपल कौंसिल प्रस्ताव पास कर सकती हैं। या तो कानून में संशोधन लाकर इसको डिलीट किया जाय। यह कानून सन् ५६ में पास हुआ उस समय मैं और आप पास ही बैठते थे उस समय तो आपको ऐसा कानून पास नहीं होने देना चाहिये था उस समय तो आपने मौन लगा ली। जब लेजिस्लेशन पास हो गया आज वह इन फोर्स है और उसके तहत सर्क्यूलर निकलता है डिपार्टमेन्ट की तरफ से तो वह बदनीयती से नहीं निकलता है बल्कि कानून का पालन कराने के लिये निकला है। मैं आशा करता हूं कि जो मानवीय मेम्बर बैठे हैं उनको गुड सेन्स प्रिवेल करेगा आप नेक सलाह दिया करते हैं आप बता दीजिये इस हद तक हो जाय तो ठीक है। दो हजार अजमेर के लिये दें या नहीं, इस पर राज्य सरकार निर्णय देने वाली है

दूसरा प्रश्न...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस निर्णय के बारे में मैं कहता हूं कि मेरी गलती थी, आप भी मेरे पास बैठते थे और आपने भी कोई ध्यान नहीं दिया तो आपकी भी गल्ती थी, दूसरी बात यह है कि यहां पर भी व्यापारी हैं वकील हैं और दूसरे लोग हैं क्या यहां पर भी यह सदन १०,०००) रु. का व्यापार करने का प्रावधान कर सकता है ? यह फंडामेन्टली रोंग है। आप अध्यादेश निकालते है ऐसी बातों के लिए तो इसको डिलीट किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी निगाह से निकल गया तो क्या डाइरेक्टर की भी नजर नहीं पड़ी ? हाउस टैक्स लगा दिया वह ज्यादा है, आप २००० से व्यापार करते हैं ५),२५) रुपये वसूल करते हैं, म्युनिसिपेलिटी इस तरह से कर रही है, आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एज ए मिनिस्टर कि वे व्यापार कर सकते हैं ? आखिर पॉवर आपको है आप अलाउ मत करिये। कोई इम्पोरल बात हो रही है तो उसके लिए अधिकार मत दीजिये। रोकिये इस मौका परस्ती और करप्शन को।

श्री परसराम मदेरणा : जो रेगुलर ट्रेड करते वे डिस्क्वालिफाई नहीं हों इसलिए यह प्रॉवीज़न रखा गया है। जब यह लीगल कार्यवाही करने के लिए मैं डिप्टी मिनिस्टर होने के नाते ऑफेन्स करता हूं तो ऑफेन्स सदन करता है क्योंकि मैं सदन के बाहर हूँ नहीं और वह कानून सदन के द्वारा बनाया गया है, वह आपकी और मेरी सम्मत्ति को लेकर बनाया गया है। इसलिए जो सर्क्यूलर निकाला है डाइरेक्टर ने, वह कानून के अन्तर्गत निकाला है, वह उन सदस्यों के ट्रेड करने के लिए है जो ऑलरेडी ट्रेड में हैं। और ऐसे व्यक्तियों को ट्रेड करने से डिबार न किया जाए–यह लीगल चीज है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं आपको कहना चाहता हूं कि अजमेर म्यूनीसिपल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कमेटी में एक नो–कॉन्फीडेंस मोशन आया था। अजमेर म्यूनीसिपल कमेटी का एक सदस्य प्रेस वाला है, प्रेस का धन्धा करता है। तो कहने के लिए तो वहां छपाई करवाई जा रही है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पांच रुपये की जगह पच्चीस रुपये दिये जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने स्वीकृति नहीं दी हो, लेकिन इस तरह ट्रेड होना, मैं कहता हूं, बुरी बात है; कानूनी है तो और बेकानूनी है तो। आप इस चीज को कानून के द्वारा बन्द कर सकते हैं। आप इस मौकापरस्ती को बन्द कर दीजिए। इससे मेजोरिटी और माइनोरिटी बनाने का मौका मिलता है। इसको आपको खत्म करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज मैं माननीय उप–मंत्री से निवेदन करूंगा और सदन के सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि डिबेट वार्तालाप में चली जाती है तो उसका अंत नहीं होता है। और समय का ख्याल भी नहीं रहता। और हम डिबेट के अन्त में अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। इसलिए सदन की कार्यवाही वस्तुत: इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई बात हो तो ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें, न कि आपस में बात करना शुरू कर दें। इससे सदन का वातावरण नहीं रहता है। जो इस बिल का स्कोप है इसके बारे में ही अर्ज करना है वह अर्ज करें और कोई चीज हो जिसका स्पष्टीकरण करना हो तो जब स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा तब वह किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी व्यवस्था के बारे में इस विषय में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं पहले ही यह बात मानता था कि जो बहुत सारी बातें इस सदन में कही गई हैं वह इस बिल के स्कोप में, रिलेवेन्सी में नहीं आती हैं। लेकिन जो म्यूनीसिपैलिटीज़ से ताल्लुकात रखने वाली चीजें थीं जो माननीय सदस्यों ने उठाईं–मैं समझता हूं उनका स्पष्टीकरण करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, उनका मैंने दिया है। अब जो बातें रह जाती हैं उनको सेपरेटली देखा जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, आपकी मन्शा यह थी कि जो चीजें रिलेवेन्ट नहीं थीं और इस बिल के स्कोप में नहीं आती थीं उन इर्रिलेवेन्ट बातों को कहने के लिए चेयर ने अलाऊ किया है?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आप कह रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी स्पीकर साहब विराजमान हैं, उन्होंने बोलने के लिए अलाउ किया है। आपका कहना है कि उन्होंने इर्रिलेवेन्ट बातों को कहने के लिए अलाउ किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां (जन-स्वास्थ्य मंत्री): आप इस प्रकार से फेक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं। आप वकील हैं, वकालत करते हैं, तो क्या आप सारी वकालत को यहीं खत्म कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I strongly object to this insinuation of the Hon. Minister.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं..................!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, मैं यह पोइन्ट ऑफ ग्रॉर्डर उठाता हूं कि एक चीज जब शुरू हो गई ग्रौर उठ गई तो उठने के बाद जब मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं तो जिन चीजों को हमें पूछना या कहना नहीं चाहिए था लेकिन हमने गलती कर ली और हम ग्रपनी गलती को महसूस करते हैं–तो अब जो सवाल उठा दिये गये हैं उनका जवाब और जानकारी तो वे दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : टाइम बहुत हो गया है। जाने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम बैठने को तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, मैंने मुद्दे की बातें कह दी हैं.........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इलेक्शन कब करवा रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्तशासन) मई में करवा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अनाउन्स कर दिया है कि मई में करवा रहे हैं लेकिन तारीख अभी फिक्स नहीं की है क्यों कि जो फार्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए वे हो नहीं सकी हैं ग्रौर कर्मचारी और अधिकारी पंचायतों के इलेक्शन में, जो लम्बे हो गये, व्यस्त थे और इधर असेम्बली का सेशन होने वाला था.........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मई में चुनाव होंगे तो बीकानेर में भी फ्रेश होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए चुनाव पोस्टपोन किये गये। जब पोस्टपोन किये गये उस वक्त इलेक्शन मिनिस्टर ने उसके साथ-साथ अनाउन्स कर दिया था कि मई में बाकी बची हुई म्युनिसिपैलिटिज् के चुनाव होंगे। अब मई में चुनाव होने वाले हैं।

अब यह वेलिडेटिंग बिल जो सदन के सामने है, इस बिल के सम्बन्ध में जो संकल्प इस अध्यादेश को डिसएप्रूव करने के सम्बन्ध में, इस बिल को जनमत जानने के सम्बन्ध में ग्रौर इस बिल को प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं–मैं समझता हूं कि मैंने इसके सम्बन्ध में कानूनी पोजीशन सदन के सामने पेश की है, उसके बाद सदन के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस वेलिडेटिंग बिल को लाने के सिवाय राज्य सरकार के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था ग्रौर जिन सर्कम्सटान्सेज के अन्दर यह ऑडिनेन्स प्रोमलगेट करवाया गया था और इसको रिप्लेस करने के लिए यह बिल विचारार्थ प्रस्तुत है—इस दृष्टि से माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य अपने संशोधनों को वापिस ले लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक आपने लीगल ओपीनियन का हवाला दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या लॉ डिपार्टमेंट से म्यूनिसिपल कमेटी के लिए वेलिडेटिंग बिल लाने के लिए ओपीनियन ली गई, इसके ऊपर उसने राय दी है कि इस तरह इलेक्शन को वेलीडेट न कराया जाय । इस तरह की लॉ डिपार्टमेंट की राय इस वेलिडेटिंग बिल के बारे में है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : इलेक्शन को वेलिडेट न किया जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : सारी कार्यवाही तो कर ली ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूं कि लॉ डिपार्टमेंट की राय ली है, और जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि चम्पालाल सेठ हैं वे कांग्रेस को चन्दा देते है उनको प्रेसीडेंट बनाना चाहते हैं । यह बात सत्यता से दूर है । यह जो डिसीज़न लिया गया है, यह मिनिस्टर इन्चार्ज ने डिसीज़न लिया है. लॉ डिपार्टमेंट के कन्सलटेशन के साथ । लॉ डिपार्टमेंट की वेलिडेटिंग के लिए राय थी कि जो वेलिडेट करना पड़ेगा यह तो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा । एक तो पास्ट एक्शन को वेलिडेट करना जरूरी हो गया है । इसके साथ ही साथ फ्यूचर के अन्दर म्यूनीसिपैलिटीज़ के चुनाव करवाये जायेंगे, वह फोर्मेलिटिज़ को ऑब्ज़र्व करके, म्यूनीपैलिटीज़ को अलग-अलग डिवाइड करके दुबारा इलेक्शन करवाये जायेंगे । इसके ऊपर अलग-अलग राय नहीं ली गई है । उनकी राय यही थी कि वेलिडेटिंग आर्डिनेन्स बनाना चाहिए । लॉ डिपार्टमेंट की यहां तक राय है–यदि वेलिडेटिंग आर्डिनेन्स ले आता है तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपोइन्ट करने, प्रोपर्टी को एक जगह पूल करने और डिवाइड करने की जो स्थिति खड़ी होने वाली है, वह सब आर्डिनेन्स से–पास्ट फ्यूचर की डिफीकल्टीज़ सोल्व की जा सकती हैं । इसलिए यह ऑर्डिनेन्स लाया गया है । मैं समझता हूँ, जो बिल विचारार्थ प्रस्तुत है इसको पास करेंगे ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मेरा एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रह गया है । आपने मुझे आज्ञा दी है । उदयपुर नगरपालिका के सदस्य चाहते हैं कि कुछ क्षेत्र को रखा जाय और नगर विकास मंडल उस क्षेत्र के लिए चाहता है कि वह ट्रांसफर किया जाय । यह विवाद चल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जनतन्त्रवाद में सभी स्वतन्त्र हैं और जब वहां के आदमियों की ऐसी इच्छा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाय । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विरोधी पार्टियों की नगरपालिका कैसे काम कर सकती हैं ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : एक प्रश्न मैंने नेशनल इम्पोर्टेन्स का डिफेन्स के बारे में उठाया था कि नेशनल हाइवे के ऊपर इस तरह दूकानें बनाकर और सड़क को सकड़ा करके खराब नहीं किया जाय, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी । यह एक इम्पोर्टेन्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात है क्योंकि उस पर करोड़ों रुपया लगाते हैं। आप इस बारे में हां या ना में जवाब दे दें।

श्री जोधसिंह चौहान : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर की वाटर स्कीम के बारे में आपका कहना था कि नसीराबाद के अन्दर मिलिटरी और सेन्ट्रल आर्म्स कॉन्स्टेबुलेरी है और डिफेन्स के फन्ड से कई लाख इसके लिए कन्ट्रीब्यूट किये गये हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी पानी लाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार यह पसन्द नहीं करेगी कि जहां पीने के पानी की किल्लत हो जहां पानी की दिक्कत हो वहां के लिए जो स्कीम है उसको पूरा जल्दी से जल्दी नहीं किया जाय। मैं कह सकता हूं कि मुझे फेक्चुअल पोजीशन मालूम नहीं है लेकिन क्योंकि गर्मी आने वाली है इसलिए हम इस काम को वार लेवल पर लेकर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नसीराबाद पानी पहुंचे और अजमेर भी पहुंचे।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं कहता हूं कि उदयपुर नगरपालिका में जो क्षेत्र आते हैं उनको ट्रान्सफर कर दिये जायं, वैसा वहां के सदस्य भी कराना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इस प्रकार ट्रान्सफर के मसले सदन में हुआ करते हैं क्या ?

(६.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं समझता हूं कि इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं वह पारित किया जाए।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी कहा है कि 'हां पक्ष जीता'। आपने दो दफे कहा है कि 'हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता'।

श्री उपाध्यक्ष : That was a slip of tongue.

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

संकल्प गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के लिये आये हैं उनको पारित किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये आए हैं उनको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक का खंड २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ३, श्री अब्दुलजब्बार खां।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि केवल वे ही संशोधन रखें जिनको रखने की आवश्यकता हो।

[संशोधन निम्न प्रकार हैं:—

"भाग (१) जो भाग (ख) के पश्चात है, को विलोपित किया जाये।"]

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेडा): मैं हमेशा उन्हीं को रखता हूं। मेरा अर्ज करना यह है......

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि और भी कई बिल आवेंगे और आपको मौका मिलेगा। आप संक्षेप में बोलें।

श्री अब्दुलजब्बार खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो परम्परा चली आ रही है, उस पर विश्वास करता हूं और मुझे भी वही जवाब मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन २५ जुलाई, ६२ को निकाला, मैंने यह संशोधन रखा है कि भाग (१) जो भाग (ख) के पश्चात है, को विलोपित किया जावे और...

(शोरगुल)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): उपाध्यक्ष महोदय, ८ घन्टे से ज्यादा समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : That is not my responsibility. That depends upon the Hon. Members.

श्री अब्दुलजब्बार खां : अब प्रश्न आता है कि समस्त कार्यवाहियां, किए गए सभी कार्य, की गई सभी नियुक्तियां, किये गये सभी स्थानान्तरण तथा प्रयुक्त की गई सभी शक्तियों को वैध करने के लिये यह रखा जाता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप केवल नोटिफिकेशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दें तो आपकी मंशा पूरी हो जावेगी। क्योंकि चार दिन के बाद इस सदन में इन्हीं मुद्दों पर पुनः प्रतिवेदन आने वाला है और मैं यह कहूंगा कि सरकार ने पहले भी गलती की और फिर चार जगह गलती करेंगे इससे तो यह अच्छा है कि गलती को फौरन दुरूस्त कर दी जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब भी समय है, आप गलती को करेक्ट कर लें। हम तो यह चाहते हैं कि तमाम गल्तियां दूर हो जावें। इसलिये आप इस क्लॉज़ को विलोपित कर दें; इससे जो कुछ मैं और आप चाहते हैं वह मंशा पूरी हो जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भाग (१) जो भाग (ख) के पश्चात हैं को विलोपित किया जाये। मैं यह कहूंगा कि इसको विलोपित करने का मतलब यह होता है कि जो भी ऑफिसर्स या उनके द्वारा की गई कार्यवाही जबकि म्युनिसिपेलिटी एक थी, लेकिन अलग अलग एन्टीटी मान रहे हैं कि २५.७.६२ की सूचना को सुपरसीड कर लिये हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसको विलोपित कर दिया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और इसके लिये कोर्ट ओफ लॉ में इसको चैलेंज किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको माननीय सदस्य विथडॉ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अब्दुलजब्बारखां ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ३ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के खंड ४,५ और ६ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ४,५ और ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १,टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक के अंग बनें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : खंड १ तो हिन्दी में और प्रीएम्बल वगैरह अंग्रेजी में है।

श्री उपाध्यक्ष : (स्वीकृत)

खंड १. टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कतिपय नगरपालिका (बोर्डों का निरन्तर अस्तित्व एवं गठन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९६५ पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक आज सायं ६ बज कर ६ मिनट पर कल दिनांक ६ मार्च, १९६५ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८१ का उत्तर देखिये)

सूची

क.सं.	नाम काश्तकार	भूमि जो आवाप्त की गई बीघा	बिस्वा	आवाप्त की गई भूमि की धन राशि रु०	पै०	विशेष विवरण
१)	श्री किशोर पुत्र भागचन्द मीणा	८	१२	११६०	२०	मुआवजा चुका दिया गया है
२)	श्री नाथूलाल पुत्र लक्ष्मण मीणा	११	६	६४६	४७	,, ,,
३)	श्री अमरा पुत्र धन्ना	६	७	४६६	८१	,, ,,
४)	श्री जगन दास वैरागी	२	४	१२१	०	,, ,,
५)	श्री अमर लाल पुत्र मन्ना	६	६	एवार्ड इकजाई है।		,, ,,
६)	श्री रामगोपाल पुत्र भागचन्द	८	६	२७७	२०	,, ,,
७)	श्री भंवारिया पुत्र देवीलाल	——		३३६	५०	धनिये की फसल का मुआवजा था जो चुका दिया गया है।
८)	श्री कन्हैयालाल	——		———		इनका अवार्ड अभी जारी नहीं हुआ है अत: रकबा व धनराशि का मालूम नहीं है।
९)	श्री रामपाल	——		———		गडला माइनर खसरा नं. ८८ में से निकली है। इसका मालिक श्री रामचन्द्र पुत्र जीवन मीणा है। एल. ए. बी. ने उसी के नाम से इकजाई अवार्ड जारी किया है। श्री रामपाल ने इस जमीन को खरीदना बताया है। अत: उन्हें एल. ए. ओ. से इस मामले का फैसला करवाना चाहिए।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८३ का उत्तर देखिये)

वर्षवार सूची निम्न लिखित है :

वर्ष	संख्या
१९५०	१२
१९५१	४
१९५२	११
१९५३	४
१९५४	२
१९५५	५
१९५६	५
१९५७	१
१९५८	५
१९५९	८
१९६०	४
१९६१	७
१९६२	६
१९६३	६
१९६४	७

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तालाबों, नहरों आदि को पक्का बनाने पर व्यय

१६६. श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में बड़गांव और गिरवा पंचायत समिति क्षेत्रों में कहां कहां बांध और तालाब बनाने की योजना है और इसके लिये कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

(२) बड़गांव पंचायत समिति क्षेत्र में बड़गांव में जो नहरों से जमीन खराब हो रही है उसके लिये उन नहरों को पक्का बनाने की क्या योजना है क्योंकि खराब होने वाली जमीन का हासल (रेवेन्यू टैक्स) वसूल हो रहा है ?

उत्तर

(१) गिरवा और टोडी। गिरवा पर करीब ७६०००) रु० खर्च किये जा चुके हैं टोडी पर करीब ३५ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(३) आवश्यकतानुसार नहरों को पक्का कर दिया गया है।

सिंचाई योजनाओं पर व्यय

१६८. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व सिंचित क्षेत्र कितना था और पहली योजना के प्रारम्भ से अब तक कितना है ?

(२) सिंचाई योजनाओं पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है—छोटी सिंचाई योजनाओं पर कितना और बड़ी सिंचाई योजनाओं पर कितना ?

उत्तर

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले ६ लाख एकड़, उसके पश्चात ६ लाख एकड़ और, तथा आज तक कुल १८ लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र पूरे राज्य में है।

(२) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंच-वर्षीय योजना के तीन वर्षों में बृहत् व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर क्रमशः २३.७८ करोड़ १६.७१ करोड़ व १०.५८ करोड़ रुपया व्यय हुआ तथा लघु सिंचाई योजनाओं पर क्रमशः १.०७ करोड़ १.६७ करोड़ तथा १.८७ करोड़ रुपया व्यय हुआ इसमें राजस्थान नहर का व्यय सम्मिलित नहीं है।

तहसील सांगोद में नहर में आई भूमि का मुआवजा

१६६. श्री जुझारसिंह (चेचट) :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सांगोद में काश्तकारों को काली सिंध, परवान व अलनिया परियोजनाओं हेतु नहर में आने वाली भूमि की क्षति व फसल नष्ट होने के बहुत से मुआवजों के दावों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

(२) भूमि तथा फसल को हुई क्षति के क्रमशः कितने प्रतिशत दावों का भुगतान अब तक कर दिया गया है ?

(३) दावों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, कुछ मुआवजा चुकाना अभी शेष है।

(२) आलनियां पर ७७%, परवान पर ५४%, काली सिंध ६०% कैसेज, का भुगतान कर दिया गया हैं।

(३) राजस्व विभाग से एवार्ड प्राप्त होने पर।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी, जामसर द्वारा किए गये ब्लास्टिंग से नुकसान

२००. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी जामसर के द्वारा खानों को ब्लास्ट करने से ग्रामवासियों के घरों तथा सार्वजनिक कुओं आदि को नुकसान पहुंचा है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव खींचिया व जलालसर के कुछ घरों में खानों के ब्लास्टिंग से दरारें आ गई है तथा ग्रामीणों को अभी तक कोई मुआवजा नही दिया गया है ?

(३) ब्लास्टिंग आबादी से कितनी दूर पर करना चाहिये तथा उस दूरी पर कितनी मात्रा में एक्सप्लोजिव्ज काम में लाने का प्रावधान है ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. कोई दरार नहीं आई। अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

३. मल्टीफेरियस माइन्स रेगूलेशन्स के तहत आबादी से ३०० मीटर की दूरी पर ही ब्लास्टिंग कियाजा सकता हैं। इस दूरी पर कितना एक्सप्लोजिव काम में लिया जाना चाहिए इस संबंध में उपरोक्त रेग्यूलेशन्स में कोई मात्रा निर्धारित नहीं की हुई हैं।

गोवटा बांध के पानी का उपयोग

२०१. श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के गोवटा बांध के पानी का उपयोग नहरों की खराबी के कारण पूर्ण रूप से नही हो रहा है तथा नहरों की दुरुस्ती के लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने जो रकम की मांग की थी वह अभी तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो इससे अनुमानतः पैदावार में कितना नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, कमाण्ड में जो अच्छा क्षेत्र है उसे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। बाकी क्षेत्र बीड़ है और उसकी हालत में सुधार की आवश्यकता है।

नहरों के धोरों का निर्माण

२०२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल क्षेत्र, जिला कोटा व बूंदी में वाटर कोर्स के द्वारा नहरों के धोरे बनाने का काम जारी है ?

(२) यदि हां, तो कुल कितने वर्ग मील धोरे कितनी एकड़ भूमि में खोदकर पानी देने की योजना बनाई गई है ?

(३) क्या यह सही है कि जिन किसानों की जमीन में धोरे खोदे जा रहे हैं उनकी कीमत सरकार काश्तकार से ही वसूल करेगी ?

(४) यदि हां तो यह रकम किसान को कितने वर्ष बाद कितनी किश्तों में किस प्रकार चुकानी पड़ेगी ?

(५) क्या सरकार के द्वारा किसानों को इस प्रकार की जानकारी करा दी गई है कि धोरों की कीमत स्वयं किसान को देनी पड़ेगी ?

(६) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तालेड़ा व केशवराय पाटन में ठेकेदारों के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां तो कितने ठेकेदारों द्वारा ?

(७) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि किसान अपने अपने खेतों में स्वयं धोरा बना कर पानी ले लें ?

(८) क्या यह सही है कि धोरों का निर्माण नहीं होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिलने से सिंचाई करने में काफी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं ?

उत्तर

(१) जीहां ।

(२) लगभग ६ लाख एकड़ भूमि में कुल ७,८०० मील की लम्बाई में धोरे खोद कर पानी देने की योजना है

(३) जी हां ।

(४) यह प्रश्न राजस्थान सरकार के विचाराधीन है ।

(५) जी हां ।

(६) जी हां; पिछले वर्ष करीब ३० ठेकेदारों द्वारा यह काम करवाया गया था परन्तु अब ठेकेदारों की संख्या १५ हैं ।

(७) जी हां; यदि काश्तकार इसमें उचित सहयोग दे । चूंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, अतः सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना पडा ।

(८) जी हां, जिस जगह धोरे नहीं खुदे हैं वहां कठिनाइयां है ।

Page No 144

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७९ का उत्तर देखिये)

सूची नगरपालिकायें, जिनका कार्य-काल समाप्त हो गया है परन्तु समय वृद्धि के अधीन कार्य कर रही हैं

१. ब्यावर
२. पुष्कर
३. किशनगढ़
४. सरवाड़
५. चौमूं
६. दौसा
७. सीकर
८. चिड़ावा
९. खेतड़ी
१०. मन्डावा
११. उदयपुरवाटी
१२. देवली
१३. अलवर
१४. खेड़ली
१५. वैर
१६. सूरतगढ़
१७. सांगरिया
१८. नावां
१९. पाली
२०. भीनमाल
२१. बालोतरा
२२. सिरोही
२३. शिवगंज
२४. आबूरोड़
२५. देवगढ
२६. सलूम्बर
२७. प्रतापगढ़
२८. बांसवाड़ा
२९. केशोरायपाटन
३०. झालावाड़
३१. झालरापाटन
३२. सुनेल
३३. फलोदी
३४. नीमकाथाना
३५. श्रीमाधोपुर
३६. उनियारा
३७. जैसलमेर
३८. नैनवा
३९. पिन्डवाडा

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ५ मार्च, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१५४४-१५४५	शीर्षक	५ मार्च, २५-	५ मार्च, ६५-
१५४४	अन्तिम से १	तोकि	तो कि
१५४६-१५४७	शीर्षक	५ मार्च, २५-	५ मार्च, ६५-
१५५३	२६	रायसिह	रायसिंह-
१५५६	११	[२	१२
१५७३	अन्तिम से १	एक्ज़ामिन	एग्ज़ामिन
१५७५	शीर्षक	द्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
१५७६-१५७७	शीर्षक	८ मार्च	५ मार्च
१५८४	३	आद ी	आदमी
,,	२६	कामत	कीमत
१५८५	२४-२५	(आसपुरा)	(आसपुर)
१५८६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
१५९६	शीर्षक	सदस्या	सदस्यों
१६००	१७	खिलाड़ा	खिलाड़ी
१६०२	२	सकूलर	सर्कूलर
१६०३	शीर्षक	श्रनपूरक	अनुपूरक
१६१५	१६	धारू	घारू
१६१६	६	धारू	घारू
१६१७	३	धारू	घारू
,,	७	धारूजी	घारूजी
१६२४	अन्तिम से ५	रार्यसिहनगर	रायसिंहनगर
१६२८	अन्तिम से ७	निकला	निकाला
१६२९	२३	म्युनिसिपैलटियों	म्युनिसिपैलिटियों
१६३३	शीर्षक	वै-धकरण	वैधकरण
१६३६	शीर्ष	गोग्रल	गोयल

१	२	३	४
१६३८	२	धारूजी	घारूजी
,,	३	धारू	घारू
१६४०	४	परिषद	परिषद्
१६४४	५	जाते हैं	जाते हैं।
१६४६	शीर्षक	कति य	कतिपय
१६४७	अन्तिम से ३	अध्यथ	अध्यक्ष
१६५१	शीर्षक	यिधेयक	विधेयक
१६६०	२४	पड़ंगी	पड़ेंगी
१६६२	२	ह	है
१६६८–१६६९	शीर्षक	६४–	६५–
१६७३	१४	रेडियों	रेडियां
,,	१५	रेडियों	रेडियां
१६७५	१६	कान्स्टीट्यूशन	कान्स्टीट्यूशन
१६७८	शीर्षक	कतिपद	कतिपय
१६९०	९	बुध्द्	वृद्ध
१७०४	शीर्षक	नमरपालिक	नगरपालिका
१७०४–१७०५	शीर्षक	२५–	६५–
१७१४	शीर्षक	यगरपालिका	नगरपालिका
१७१४–१७१५	शीर्षक	२५–	६५–
१७१८	१५	कम्प्लेट	कम्प्लेन्ट
१७२०	अन्तिम से २	जयणर	जयपुर
१७२२	२४	बनाये	बनाये रखना या
१७२४	१९	आंट्रोक्रेसी	ओटोक्रेसी
१७३०–३१	शीर्षक	५ मार्च, ५५	५ मार्च, ६५
१७३०	अन्तिम से ३	विलयेरन्स	क्लियरेन्स
१७३२	६	वैघकरण	वैधकरण
,,	२१	believed	levied
१७३३	शीर्षक	विधेयक, १९५५	विधेयक, ६५
१७३६	शीर्ष	ज्री अब्दुलजब्बार)	(श्री अब्दुलजब्बार)

१	२	३	४
१७३६	शीर्षक	धेवकरण	वैधकरण
१७४८	शीर्ष	(श्रीं	(श्री
,,	१६	डिटमिन	डिर्टमिन
१७५२	शीर्ष	(श्री परसराम मदेराणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
१७५४	२१-२२	(जोहरी : बाजार, जयपुर)	(जोहरी बाजार, जयपुर) :
१७६४	१	मुकर्रा	मुकर्रर
१७६५	१३-१४	म्युनिसिपेंलिटी	म्युनिसिपेंलिटीज़
१७६६	शीर्षक	वेंधकरण	वैंधकरण
,,	१२	पब्लिक व्हें	पब्लिक वे
१७७१	१८	फेक्टस	फेक्ट्स
१७७३	शीर्षक	वेंधरण विधेयक, ५६६६	वैंधकरण विधेयक, १६६५
,,	२	एंक्वायर	एक्वायर
,,	२३	वे इन्स्ट्रेड	वे इन्ट्रेस्टेड
१७७५	६	श्री योगन्द्रनाथ हांड़ा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१७७६	शीर्षक	विधेयक, १६६३	विधेयक, १६६५
,,	१०	रहे हैं	रहे हैं
,,	३	इम्पोरल	इम्मोरल
१७८६	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
१७६०	शीर्षक	कयिपय	कतिपय
१७६४	,,	परिशिप्ट	परिशिष्ट
१७६६	८	गई है	गई हैं